खण्ड-223, अंक-9
बुधवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1883
(3 मई, 1961 ई0)

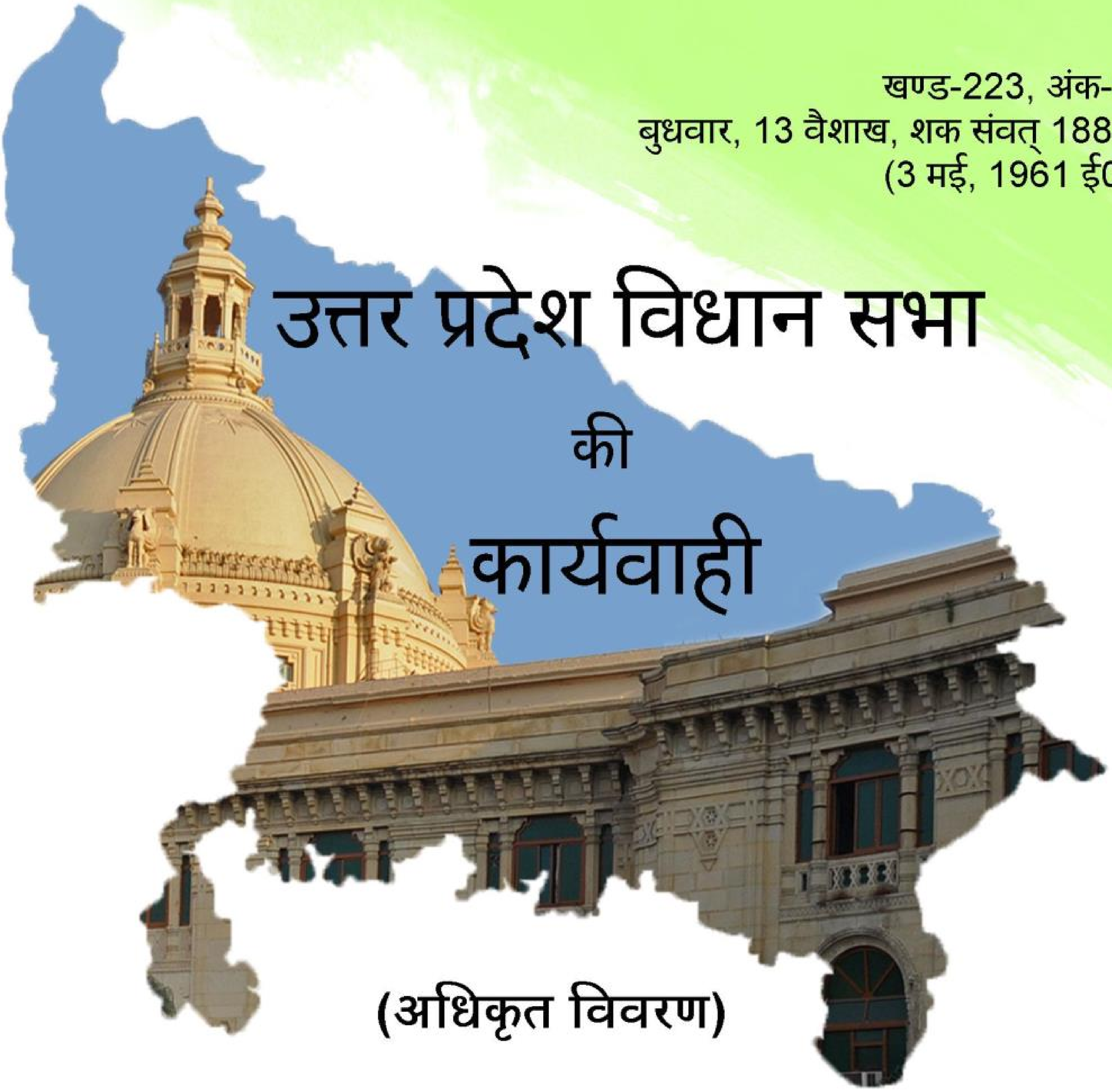

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश चन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गफूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री

गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम किमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटे लाल मालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण , श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रविपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' ,श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती

रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्णजैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह सोहाल दहा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराम, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनेहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री, तथा श्रम मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२७ अप्रैल, १९६१ के प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न के बारे में कुछ अर्ज करना है। गुजश्ता थर्सडे को जो रामसुन्दर जी का क्वेश्चन था कि फलां तारीख का खत आपके पास पहुंचा अथवा उन्होंने दिखाया, तो वह हमारे विभाग का नहीं था, ऐग्रीकल्चर विभाग का था। हमारा जवाब तो ठीक ही था।

श्री अध्यक्ष—यह किसके बारे में आप कह रहे हैं? क्या यह पहला सवाल है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१४ नम्बर का सवाल था।

श्री अध्यक्ष—उसके लिए समय नहीं है। मुझे लिखित भेज दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रवीन्द्र रंगशाला को बनारसीबाग के स्थान पर मोतीलाल मेमोरियल ग्राउण्ड पर बनाने का निश्चय

**१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर), श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा), राजा बीरेन्द्रशाह (जिला जालौन), श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा), श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा), श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़), श्री रामायणराय (जिला देवरिया), श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़), श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी), श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या रवीन्द्र जयन्ती के अवसर पर लखनऊ में एक उत्कृष्ट सार्वजनिक रंगशाला (थियेटर) बनाने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को गत वर्ष कोई अनुदान दिया था अथवा देने का वचन दिया था?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां, इस रंगशाला के निर्माण के निमित्त समस्त राज्यों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत इस राज्य को ढाई लाख रुपया सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।

**२—कुंवर श्रीपालसिंह, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, राजा वीरेन्द्रशाह, श्री बलदेवसिंह, श्री गंगाप्रसाद वर्मा, श्री इन्दुभूषण गुप्त, श्री रामायणराय, श्री मदन पांडेय, श्री त्रिलोकीसिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सुरथबहादुरशाह, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बेचनराम गुप्त—क्या यह सच है कि उक्त रंगशाला का निर्माण रवीन्द्र रंगशाला के नाम से बनारसी बाग में प्रगति संग्रहालय के पास प्रारम्भ हुआ था और उसका विधिवत् शिलान्यास भी हो गया था?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं, निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। शिलान्यास अवश्य हो गया था।

**३—कुंवर श्रीपालसिंह, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, राजा वीरेन्द्रशाह, श्री बलदेवसिंह, श्री गंगाप्रसाद वर्मा, श्री इन्दुभूषण गुप्त, श्री रामायणराय, श्री मदन पांडेय, श्री त्रिलोकीसिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सुरथबहादुरशाह, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बेचनरामगुप्त—क्या यह भी सत्य है कि उसका निर्माण रोक कर अब उसका सारा रुपया एक प्राइवेट ट्रस्ट को चारबाग में मोतीलाल मेमोरियल ग्राउन्ड पर उसका निर्माण करने के लिये दे दिया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री मुऊफ जाफरी—निर्माण रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं, अभी सारा रुपया नहीं दिया गया है।

हां, अब यह तय हुआ है कि रवीन्द्र रंगशाला मोतीलाल मेमोरियल ग्राउन्ड पर मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की देख रेख में बनाई जाय। पहले इस रंगशाला का निर्माण बनारसी बाग के समीप प्रदर्शनी भवन के प्रांगण में होना निश्चित हुआ था, किन्तु गत वर्ष की बाढ़ का पानी उक्त स्थान पर भर जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के मतानुसार इस स्थान पर रंगशाला के बनवाने का निर्णय रद्द कर दिया गया। टाउन प्लानर ने उक्त स्थान पर रंगशाला के निर्माण का नक्शा भी नहीं पास किया। तत्पश्चात् यह निर्णय किया गया कि यह रंगशाला किसी ऊंचे स्थान पर बनवाई जाय। कोई दूसरा उचित स्थान उपलब्ध न होने के फलस्वरूप मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की जमीन पर कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ इस रंगशाला के बनवाने का निर्णय किया गया। इस की स्वीकृति भी भारत सरकार से प्राप्त कर ली गई है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ढाई लाख रुपया जो मिला है इतना ही उस स्कीम के अन्दर है या इससे अधिक रुपया और मिलने वाला है जिसमें यह एक जुज ढाई लाख रुपये का मिला है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—ढाई लाख रुपया केन्द्रीय सरकार का दिया हुआ है। प्रदेशीय सरकार भी कुछ धन व्यय करेगी और कुल शायद मिला कर ८—९ लाख अधिक १२ लाख तक भी पहुंच सकता है। अभी सारे एस्टीमेट्स वगैरह तैयार नहीं हुए हैं जिससे कतई तौर से बताया जा सके कि कितनी धनराशि उस समय व्यय होगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह मोतीलाल ट्रस्ट की कौन-सी जमीन पर—चारबाग वाली जमीन पर बनाया जा रहा है या मोतीमहल वाली पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चारबाग वाली पर।

श्री रामायणराय—जो धन है वह किस नियम के आधार पर एक गैर-सरकारी संस्था को ट्रांसफर किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया, जिसने योजना चलाई है, उसकी स्वीकृति से सब कार्य हुआ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने हाल ही में जब पं० जवाहरलाल नेहरू आये तो उनसे निवेदन किया कि उसका शिलान्यास करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि पं० जवाहरलाल नेहरू जी से उसका शिलान्यास करने के विषय में चर्चा हुई थी।

श्री मदन पांडेय—उत्तर में लिखा हुआ है "कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ यह रकम दी गई है," तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह विशिष्ट शर्तें क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो इसकी कमेटी होगी उसमें सरकारी आदमी होंगे और सोसाइटी के आदमी भी होंगे और जो निर्माण होगा वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर अपने तहत में करवायेंगे।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कमेटी होगी---जैसा कि उनके कहने से प्रतीत होता है शायद अभी है नहीं---वह कब तक बन जायगी और उसमें किन-किन को नियुक्त करने का इरादा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो जब कमेटी बनेगी तब सरकार सरकारी आदमियों को रखेगी और सोसाइटी अपने आदमियों को भेजेगी जिसमें कोई और व्यक्ति भी जो उनका सदस्य नहीं होगा वह भी सोसाइटी की तरफ से रखा जा सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सार्वजनिक रंगशाला की तरह से ही बनेगी या इसमें पुस्तकों वगैरह का संग्रहालय भी रहेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिस स्थान पर रंगशाला बनने की बात है वहां पर बच्चों के लिये सार्वजनिक स्थान रख दिये गये हैं। वहां पर एक पुस्तकालय भी मौजूद है, बच्चों की प्रदर्शनी भी मौजूद है और उनके खेल-कूद का भी सामान मौजूद है और उनके अस्पताल की भी व्यवस्था है। वहां पर मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी की ओर से एक हाल बन रहा था, आधी इमारत बन भी चुकी है लेकिन अभी हाल नहीं बन पाया है। तो जब जगह की बात उठी तो यह तय किया गया कि जब और जगह नहीं है, वहां पर जगह उपलब्ध है और वह भी एक सेवा संस्था है जो कि चन्दा लेकर ही कोई चीज बनाती है और यह भी सार्वजनिक रुपया है तो फिर दो-दो हाल बनाने की क्या आवश्यकता है। इसलिये जो रंगशाला बनने वाली थी उसके लिये यह निर्णय ले लिया गया केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कि उसी जगह बना दी जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि पहले इसका शिलान्यास किसने किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने।

कुंवर श्रीपालसिंह---मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन पर भारत सरकार की स्वीकृति से रंगशाला बनाई जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने भारत सरकार को इस बारे में कुछ सलाह दी थी और यदि दी थी, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केन्द्रीय सरकार चाहती थी कि यह रंगशाला नवम्बर तक बन जाय। यह उनकी शर्त थी। अब चूंकि वहां पर जगह थी और एक हाल बनाने का प्रश्न था तो प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया कि हमारे पास एक ऐसा स्थान है और जिसको केन्द्रीय सरकार के मन्त्री ने आकर देखा भी था, उसको देखकर और हमारी सलाह पर उन्होंने इस बात की मंजूरी दी कि इसी जगह पर हाल बनवा लिया जाय क्योंकि स्थान की खोज करने में व्यर्थ ही समय नष्ट होगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया))---मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया जो मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट को दिया गया है उससे जो रंगशाला बनेगी वह ट्रस्ट की रंगशाला होगी या सरकारी रंगशाला होगी ? वह मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन पर बनेगी तो मालिकाना हक किसका होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो कमेटी होगी उसमें सरकारी लोग भी होंगे और सोसाइटी के लोग भी होंगे, उनका हक होगा। उसमें यह शर्त रख दी गई है...

श्री अध्यक्ष---यानी वह ट्रस्ट की रंगशाला होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसकी एक कमेटी होगी जिसकी तहत में वह चलेगी। मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि तमाम संस्थाओं का संचालन करती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो कमेटी बनेगी उसमें बहुमत सरकारी प्रतिनिधियों का होगा या ट्रस्ट के प्रतिनिधियों का ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसके सभापति मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष होंगे और उन्हें छोड़कर बराबर प्रतिनिधि होंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि यह सुझाव या प्रस्ताव सबसे पहले किसकी ओर से आया कि बनारसीबाग से हटाकर रंगशाला सोसायटी की जमीन पर बनाई जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सी० बी० गुप्त जो लखनऊ नगरी के एक नागरिक हैं, उनकी तरफ से यह सुझाव आया ।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब नवम्बर तक रंगशाला को बन जाना निश्चित था तो यह कैसे माना जाय कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्लान भी पास नहीं किया और शिलान्यास भी हो गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो कागज मेरे सामने हैं उनमें शिलान्यास का कोई जिक्र नहीं है । मुझे दुख है कि बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने उसका शिलान्यास किया, यह बात पहले मेरे सामने नहीं आई । जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैंने जिक्र किया तो बाद में अधिकारियों ने मुझे बतलाया कि बाबूजी ने इसका शिलान्यास किया था । जैसे ही मुझे यह सूचना मिली तो मैंने पंडित जी से यह कह दिया कि बाबू सम्पूर्णानन्द जी शिलान्यास कर चुके हैं इसलिये मैं आपसे शिलान्यास कराने के विषय में इसकी बात नहीं करता ।

कुंवर श्रीपालसिंह---सी० बी० गुप्त साहब, जिन्होंने परामर्श दिया था, वह मुख्य मंत्री होने से पहले दिया था या बाद में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुख्य मंत्री होने के बाद दिया था । बाबू सम्पूर्णानन्द जी की सहमति थी और किन कंडीशन्स पर यह जिम्मेदारी सरकार से सोसायटी ले, उनके बनाने में भी उनका पूरा-पूरा हाथ था ।

श्री रामायणराय---जब पहले शिलान्यास किया गया तो उससे पहले इंजीनीयरों से राय ली गई थी या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१४ नवम्बर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था तब उसकी कार्यवाही हुई ।

श्री गौरीशंकरराय---श्री सी० बी० गुप्त, जो लखनऊ नगरी के नागरिक हैं वही सोसायटी के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य मंत्री भी, तीनों हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री की सहमति बनारसी बाग से स्थान ट्रांसफर करने के बारे में थी या अन्य किसी बात के लिये थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बाबू सम्पूर्णानन्द मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके सदस्य हैं । मेरे से पूर्व वह अध्यक्ष थे । जब मुख्य मंत्री थे तब भी अध्यक्ष थे । जब यह सवाल उठा कि उन ग्राउन्ड्स पर यह रंगशाला बने, तो सारे मसले सोसायटी की काउन्सिल में रखे गये और किन-किन शर्तों पर यह रंगशाला वहां पर सरकार की ओर से बनाई जाय उन सारी शर्तों पर उन्होंने अपने सुझाव रखे और सहमति दी । तब यह निर्णय हुआ कि सोसायटी इजाजत दे कि यह रंगशाला उस स्थान पर बने जहां बच्चों के लिये विभिन्न संस्थायें निर्मित की गई हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या स्टैडियम के बनने से पहले भी इंजीनीयर्स ने राय दी थी कि यह नशेब की जमीन में न बनाकर पुलिस लाइन्स में बनाया जाय ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इससे नहीं उठता है । उनका उत्तर है कि पहले बनारसीबाग में बनना निश्चित हुआ किन्तु गत वर्ष बाढ़ का पानी उक्त स्थान पर भरने के कारण यह निर्णय रद्द किया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जब बाढ़ ८ अक्टूबर, सन् १९६० को आई थी तो १४ नवम्बर को शिलान्यास पर धन क्यों बरबाद किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे मालूम नहीं है कि पहले इंजीनीयर्स ने यह राय दी थी या नहीं । १४ नवम्बर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर यह कार्यवाही हुई है । जिस प्रश्न की आपने इजाजत नहीं दी, उसे मैं साफ कर दूं । स्टैडियम के तजुर्बे की बुनियाद पर और भी राय यह बनी कि एक गलती तो हम कर चुके हैं अब दूसरी गलती उस नशेब की जमीन में ऐसी इमारत बना कर न करें जिसका रोजमर्रा सार्वजनिक कार्यों से सम्बन्ध रहेगा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिलान्यास के उत्सव के लिये निमंत्रण-पत्र छपे थे और वह श्री सी० बी० गुप्त साहब को भी भेजा गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे याद नहीं है । मैंने जो कागज देखे उनसे मुझे पता नहीं लगा ।

अलीगढ़ में तालों पर बिक्री-कर लगाने का विरोध

४--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ में तालों पर कोई कर लगाया गया है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार का कर है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--जी हां । उत्तर प्रदेश में निर्मित ताले और ताले के भाग, जो अब तक निर्माताओं द्वारा बिक्री किए जाने पर कर से मुक्त थे, ५ अप्रैल, १९६१ से कर मुक्त नहीं रहे । इन निर्माताओं पर भी अब २ प्रतिशत कर लगने लगा है ?

५--श्री अनन्तराम वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रायः सात वर्ष पहले अलीगढ़-तालों पर बिक्री-कर था लेकिन कुटीर उद्योग का ध्यान रखते हुये ताला बनाने वालों के अनुनय पर सरकार ने उन्हें बिक्री-कर से मुक्त कर दिया था ?

श्री धर्मसिंह--जी हां । केवल छोटे-छोटे व्यवसायी ही कर से मुक्त नहीं थे, ताले और उनके भाग के बड़े-बड़े निर्माताओं को भी कर से मुक्ति थी ।

श्री अनन्तराम वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि अलीगढ़ के ताले वालों ने ताले और ताले के हिस्सों पर टैक्स लगाने के बारे में मुकम्मिल हड़ताल की थी ?

श्री धर्मसिंह--हो सकता है । जो सूचना मेरे पास इस वक्त है उससे तो यह मालूम नहीं होता लेकिन माननीय सदस्य इसके बारे में ठीक ही जानते होंगे ।

श्री अनन्तराम वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोई जलूस जिलाधीश की कोठी पर भी पहुंचा था इसकी कोई रिपोर्ट सरकार के पास है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक सरकार का संबंध है, उसके पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आयी । जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जलूस मकान पर पहुंचा, यह बात सही हो सकती है ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि ताले बनाने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अनपढ़ हैं और वे सैल्स टैक्स का हिसाब नहीं रख सकते इसलिये हो सकता है कि ताला उद्योग ही खत्म हो जाय ?

श्री धर्मसिंह---सरकार ने इन तमाम बातों पर विचार कर लिया है और यह विचार करके ही टैक्स लगाया है कि अगर कोई इस प्रकार का टैक्स लगाया जायगा तो उससे उद्योग की कोई हानि न होगी ?

खाद्यान्नों को बिक्री-कर से मुक्त करने पर विचार

**६---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या अप्रैल, १९६१ में प्रदेश के गल्ला व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों से खाद्यान्नों पर एक पर्दीय बिक्री-कर लगाये जाने के सम्बन्ध में मिला है ? अगर हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां । मामले पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस खाद्यान्न से सरकार को कितना सैल्स टैक्स सालाना मिलता है ? और क्या सरकार खाद्यान्न के महत्व को देखते हुए इस पर से बिक्री-कर हटाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---सरकार को इससे आमदनी करीब एक करोड़ रुपया सालाना होती है । जहां तक उसको हटाये जाने की बात है, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, उस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार बतायेगी कि जनता की ८-१० साल से यह मांग रही है कि खाद्यान्न पर से सेल्स-टैक्स हटाया जाय । तो फिर क्या कारण है कि इसमें इतनी देर की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---जनता की मांग तो होती ही रहती है लेकिन जहां तक इस मामले का संबंध है सेल्सटैक्स कमिश्नर के पास उनकी टिप्पणी के लिये भेजा गया है । उनकी टिप्पणी आ जाने पर विचार किया जायगा कि इस बारे में क्या किया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस बात को देखते हुए कि कानपुर की मंडी में प्रत्येक महीने इस बिक्री-कर के विरुद्ध हड़ताल होती आयी है जब से यह टैक्स लगाया है, तो क्या इस प्रकार की हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए सरकार इस मामले में शीघ्रता से विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अगर जनता कुछ गलत आदमियों के बहकाने से कोई गलत काम करे तो उस गलत काम का असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा ।

आंख अस्पताल, सीतापुर के विरुद्ध शिकायतें

**७---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर आंख के अस्पताल में होने वाली गड़बड़ियों के सम्बन्ध में कितने शिकायती-पत्र विधायकों द्वारा दिनांक २८ मार्च, १९६१ से ५ अप्रैल, १९६१ तक उन्हें प्राप्त हुये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, ऐसा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो वह अधिकारी कौन है ?

श्री धर्मसिंह--अन्त में आप का जो पत्र मिला था उसको डायरेक्टर आफ मेडीकल ऐन्ड हैल्थ सर्विसेज को भेज दिया गया है । उनकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सीतापुर के अस्पताल के बारे में जो शिकायतें आयी हैं उनमें से मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह--अनेक प्रकार की शिकायतें हैं, जैसे अस्पताल में गड़बड़ी है, धन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है आदि-आदि शिकायतें हैं ?

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का इतिहास "हू इज हू" सम्बन्धी समिति

८--श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या श्री रऊफ जाफरी की अध्यक्षता में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों का इतिहास "हू इज हू" लिखने के लिये सरकारी स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

अध्यक्ष के अतिरिक्त कमेटी के सदस्य निम्नांकित व्यक्ति हैं :--

(१) श्री मलखान सिंह, एम० एल० ए०

(२) श्री नवल किशोर, एम० एल० ए०

(३) श्री गेंदा सिंह, एम० एल० ए०

(४) राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह, एम० एल० ए०

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संचालक कार्यालय के विरुद्ध शिकायत

९--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके पास कोई प्रार्थना-पत्र १ अप्रैल से १५ अप्रैल, १९६१ के बीच आया है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संचालक के दफ्तर में कुनबापरस्ती व भ्रष्टाचार हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक जांच कर रहे हैं और जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बतायेंगे कि जो यह पत्र आया था सरकार के पास वह स्वास्थ्य सेवा निरीक्षक के पी० ए० और उनके दफ्तर से संबंधित था तो फिर उनको ही जांच क्यों दी गयी, किसी दूसरे अधिकारी को क्यों नहीं दी गयी जो उस विभाग से अलग विभाग का हो ?

श्री धर्मसिंह--इससे पूर्व एक मामले में जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी गयी थी लेकिन जांच के बाद वैसी कोई बात पायी नहीं गयी । इसलिये इसको उन्हीं को जांच के लिये भेज दिया गया है । अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पायी गयी तो फिर बाद में उस पर विचार किया जायगा कि उसमें आगे क्या किया जाय । फिलहाल क्योंकि उन्हीं के दफ्तर का मामला है इसलिये उन्हीं के पास जांच के लिये भेज दिया गया है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी शिकायतों की गम्भीरता को देखते हुए, चूंकि उसमें कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो पुलिस की कार्यवाही के योग्य हैं, इसकी जांच सी० आई० डी० को देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यह निर्णय नहीं लिया जा सकता । जैसा कि मैंने निवेदन किया, डाइरेक्टर साहब के पास इसको अभी भेज दिया है उनकी बात सुन लें और फिर अगर सरकार यह महसूस करे कि सी० आई० डी० को देने की बात है तो बाद में निर्णय किया जायगा । इस वक्त कोई निर्णय लेना कठिन है ।

टेरिटोरियल आर्मी के सम्बन्ध में आदेश

****१०—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल), श्री चन्द्रजीत यादव, श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल), श्री मोतीलाल अवस्थी, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि टेरिटोरियल आर्मी में जिन सरकारी कर्मचारियों को साल में दो महीने की ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है उनमें से कुछ को आर्मी तथा उनके विभाग दोनों जगह से वेतन मिलता है और कुछ को केवल एक जगह से ? यदि हां, तो क्यों ?

संसदीय विधायक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—टेरिटोरियल आर्मी में साल में दो महीने की ट्रेनिंग में जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को केवल एक ही जगह से वेतन मिलता है न कि दो जगहों से । किन्तु उन कर्मचारियों को जो सालाना कैम्प में ४ से १४ दिन के लिये जाते हैं उन्हें उनका :

(क) असैनिक वेतन व भत्ता (civil pay and allowances), और
(ख) सैनिक वेतन व भत्ता (Military pay and allowances) दोनों ही मिलते हैं ।

****११—श्री प्रतापसिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री मोतीलाल अवस्थी, कुंवर श्रीपालसिंह, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**—क्या सरकार के इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं । इन आदेशों का खुलासा एक टिप्पणी में दे दिया गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१२—८१३ पर)

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कैनाल डिपार्टमेन्ट, पी० डब्लू० डी० और इस तरह से कुल मिलाकर १०० डिपार्टमेन्ट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ को तो दोनों तरफ से वेतन मिलता है और भत्ता भी मिलता है, तो उसी तरह से और विभाग के लोग जो टेरिटोरियल आर्मी में जाते हैं उनको भी दोनों तरह का भत्ता और वेतन दिलाने का आदेश जारी करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—दोनों तरह का वेतन और भत्ता डिपार्टमेन्ट्स की तरफ से नहीं दिया जाता है । टेरिटोरियल आर्मी में दो तरह के यूनिट हैं एक अरबन और एक प्रोविन्शियल । अरबन यूनिट में तो शहर के लोग शाम को परेड में जाते हैं और ४ रोज से १४ रोज तक का उनका कैम्प होता है जिसमें वह एक तरफ से छुट्टी लेकर चले जाते हैं । लेकिन प्रोविन्शियल

यूनिट में जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग १ महीने से २ महीने तक की होती है और उसके लिये उनको डिपार्टमेन्ट से छुट्टी लेकर बाहर जाना पड़ता है और वहां उनका कैम्प पड़ता है। इसलिये यह सम्भव नहीं है कि उनको दोनों तरफ से तनख्वाह दी जाय।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जैसे एक आदमी एक विभाग से टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग के लिये २ महीने के लिये चला जाता है तो उसको अपने विभाग की तरफ से दो महीने का वेतन मिलता है और टेरिटोरियल आर्मी से केवल भत्ता मिलता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जो दो महीने के लिये ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो उनको वेतन और भत्ते में से, जो ज्यादा हो, वही मिलता है। अगर विभाग में ज्यादा हो तो वह मिलता है या टेरिटोरियल आर्मी में ज्यादा हो तो वह मिलता है। अगर सिविल में ज्यादा तनख्वाह हो तो आर्मी अपनी तनख्वाह दे देगी और जो डिफरेंस होगा वह डिपार्टमेन्ट उसे देगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार कुछ को प्राविन्शियल यूनिट में और कुछ को अरबन यूनिट में लेती है, ऐसा क्यों है, सबको एक ही यूनिट में क्यों नहीं लेती ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--साधारणतया प्राविन्शियल यूनिट में भेजने की पालिसी नहीं है। ऐडहाक बेसिस पर कभी-कभी इसके लिये इजाजत दे दी जाती है क्योंकि दफतर में जो काम करते हैं उनको दफ्तर से छुट्टी लेकर जाना पड़ता है तो उनकी जगह पर और किसी को रखना पड़ता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

जाखलोन स्टेशन के निकट कथित श्मशान भूमि पर वन विभाग की चौकी का निर्माण

*२--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या तहसील ललितपुर, जिला झांसी में जाखलोन स्टेशन पर सड़क के पास वन अधिकारियों द्वारा श्री शिवप्रसाद जैन की पारिवारिक श्मशान भूमि पर उनके परिवार और पिता के स्मारक चबूतरों के बीच में बने माता के चबूतरे को मिटा कर वन विभाग की चौकी बनवाई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त श्मशान भूमि पर ही चौकी बनवाने का क्या कारण है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--जी नहीं, किसी श्मशान भूमि पर या स्मारक चबूतरे को खोद कर कोई चौकी नहीं बनवाई जा रही है।

इस प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन अधिकारियों के उक्त कार्य से उस क्षेत्र के निवासियों और जैन समाज में घोर असन्तोष फैल रहा है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय यहां पर जो चौकी बनाई गई है उसके दोनों तरफ १०–१० फीट के फासले पर श्री शिवप्रसाद जैन के परिवार की समाधि बनी हुई है ? यदि हां, तो उनके बीच में इस चौकी के बनाने का क्या कारण है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—चौकी के लिये यह जमीन उपयुक्त समझी गयी, और जहां पर यह बनायी जायगी वह गांव समाज की भूमि है जिसको स्वीकृत उसके लिये ले ली गयी है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में उक्त प्रार्थी हाईकोर्ट में पेटीशन दायर करने गया था और उसकी सुनवाई को स्वीकार करते हुये १७ अप्रैल को जस्टिस धवन ने कहा है कि उक्त प्रार्थी ने जो शिकायत की है यदि वह सही है तो ऐसा मालूम होता है कि वहां वन अधिकारी नादिरशाही फरमान जारी कर रहे हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस संबंध में मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब एक जस्टिस की इन्क्वायरी से साफ जाहिर हो गया कि वह श्मशान भूमि है और स्मारक के चबूतरे पर वह चौकी बन रही है तो मंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैं निश्चित रूप से यह जानता हूं कि श्मशान भूमि पर यह चौकी नहीं बन रही है और न किसी स्मारक के चबूतरे को खोद कर ही बनाई जा रही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—जब एक जस्टिस की इन्क्वायरी से साफ जाहिर हो गया कि चबूतरे को खोदकर · · · · ·

श्री अध्यक्ष—उन्होंने पूछा था कि जस्टिस धवन का कहना है कि यदि यह बात सत्य है तो वह नादिरशाही फरमान है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्री सुदामा प्रसाद जी ने कहा है कि जस्टिस धवन ने अपनी रिपोर्ट में फैसला दिया है कि एप्लीकेशन सही है . . . .

श्री अध्यक्ष—यह नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो प्रार्थी है उसने जो कुछ कहा है यदि वह सत्य है कि स्मारक खोदा गया है तो यह कार्य नादिरशाही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी अपने वन विभाग के अधिकारियों पर विश्वास न करके किसी और जरिये से इन्क्वायरी करायेंगे कि माननीय सुदामाप्रसाद जी गोस्वामी का कथन सही है या गलत है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने निश्चित रूप से अपने उत्तर में यह घोषणा की है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्मशान भूमि पर या स्मारक के चबूतरे पर चौकी नहीं बनाई गई। कहने वाले चाहे जो कुछ कहें लेकिन अदालत का निर्णय होगा तो देखा जायगा। लेकिन मैं निजी जानकारी के आधार पर इतना कह सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—(वन मंत्री से) आपने खुद जानकारी की है या अफसरों द्वारा प्राप्त की है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैं वहां गया नहीं हूं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस प्रश्न के पहुंचने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने उस भूमि का, जो श्मशान भूमि थी और परती जमीन थी, ग्राम समाज से पट्टा कराने का प्रबन्ध किया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस प्रकार की जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि चौकी श्मशान भूमि को खोदकर नहीं बनाई जा रही है, तो क्या दोनों ओर जो समाधि है उसको खोदकर वह बनाई जा रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जो चौकी बन रही है, उसके कुछ फासले पर २ चबूतरे हैं, यह सत्य है ।

श्री देवनारायण भारतीय—मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि मुकदमे का निर्णय कुछ भी हो । तो जो मुकदमा चल रहा है उसके फैसले तक चौकी का बनना रुक गया है या वह बनाई जा रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—चौकी करीब-करीब बन चुकी है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—हाईकोर्ट ने उस काम को रोक दिया है, उसके बन चुकने का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आपने इस प्रकार का सवाल नहीं किया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१-३—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

हाउस बिल्डिंग लोन से निर्मित सचिवालय कर्मचारियों के मकान

*४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित), श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सचिवालय के ५४ गजटेड तथा ११२ नान-गजटेड सरकारी कर्मचारियों में से, जिन्होंने १९५२ से अब तक सरकार से हाउस बिल्डिंग लोन लेकर मकान बनवाये हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने मकानों में स्वयं न रहकर दूसरों को किराये पर दे दिये हैं और स्वयं मकान एलाट कराकर किराये पर रह रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—५४ गजटेड तथा ११२ नान-गजटेड सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों को १९५२ से अब तक दिये गये हाउस बिल्डिंग लोन्स के सिलसिले में वांछित सूचना इस प्रकार है :

कोटि	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने लोन लेकर मकान बनवाये हैं	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने मकानों में न रहकर उनको किराये पर दे दिया है और स्वयं एलाट किये मकानों में रहते हैं
गजटेड	५४	६
नान-गजटेड	११२	१४

इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उपर्युक्त सूचना (प्रश्न के अनुसार) केवल सचिवालय के उन्हीं कर्मचारियों के विषय में है जिन्होंने सरकार ही से लोन लेकर मकान बनवाये हैं । सचिवालय के ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने सहकारी बैंकों या अन्य दूसरी संस्थाओं से लोन लेकर मकान बनवाये हैं इस सूचना में सम्मिलित नहीं है । पिछली बार इस विषय में दिये गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर इस हद तक ठीक नहीं थे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह ६ गजटेड और १४ नान-गजटेड आदमी कौन हैं जिन्होंने मकान बनाये पर किराये पर उठा दिये ?

श्री धर्मसिंह—श्रीमन्, इस वक्त सरकार यह चाहती है कि नाम बताने से पहले यह जांच कर ली जाय कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने मकानों को किराये पर दिया और खुद एलाट कराकर रहे। तो जब तक इन्क्वायरी न हो जाय तब तक नाम बताना मुनासिब नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायगे कि जब उन्होंने यह बता दिया कि किराये पर मकान दिये हैं तो नाम बताने में उन्हें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कारण तो बता दिया कि इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना इन्क्वायरी के कैसे बता दिया गया कि इतने आदमियों ने अपने मकान किराये पर दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने दूसरे मकान लिये और अपने मकान में नहीं गये, इसकी जानकारी वह इन्क्वायरी से कराना चाहते हैं, यह जानकारी उनके पास नहीं है। तो जब तक यह जानकारी न हो जाय तब तक उनका नाम वह नहीं बताना चाहते कि उसमें कोई आक्षेप वगैरह हो जाएगा, हो सकता है कि उनको कोई परमीशन वगैरह मिल गई हो या ऐसी कोई बात हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिनों से सरकार की प्रवृत्ति हो गई है कि इस तरह से अधिकारियों के बारे में, और लोगों के बारे में, जब बात पूछी जाती है तो नाम बताने से इन्कार कर दिया जाता है। खासतौर से इस सवाल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि इस बारे में जांच हो रही है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने मकान दूसरों को किराये पर दिये और खुद मकान एलाट कराकर किराये पर रहे। हमारा सवाल यह नहीं है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया ? उन पर दोषारोपण नहीं है। बल्कि पहला सवाल यह है कि किन व्यक्तियों ने ऐसा किया ? जब यह सवाल पूछा जाय कि उन्होंने किन कारणों से ऐसा किया तब सरकार कह सकती है कि इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस समय नाम बताने में क्या एतराज है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब बहुत आग्रह है और बहुत ख्वाहिश है नाम जानने की तो, यद्यपि मैं उन्हें गुप्त रखना चाहता था, मैं तैयार हूं कि नाम बता दूं। नाम इस प्रकार हैं :—

१—श्री राजकिशोर श्रीवास्तव, सुपरिंटेंडेन्ट

२—श्री एम० जहीर, आई० ए० एस०

३—श्री बी० बी० लाल, आई० सी० एस०

४—श्री श्यामसुन्दर सक्सेना

५—श्री ए० पी० पांडेय

६—श्री एस० पी० गुप्ता

७—श्री पी० एन० शुक्ला

८—श्री बी० एल० शुक्ला

९—श्री श्यामकृष्ण श्रीवास्तव

१०—श्री जगदीश सिंह....

श्री अध्यक्ष—गजटेड और नान-गजटेड अलग-अलग कर दें।

श्री धर्मसिंह—जहां तक गजटेड का प्रश्न है, वह ६ हैं :—

१—श्री एस० पी० गुप्ता, पावर डिपार्टमेंट
२—श्री ए० पी० पांडेय
३—श्री श्यामसुन्दर सक्सेना
४—श्री बी० बी० लाल, आई० सी० एस०
५—श्री एम० जहीर, आई० ए० एस०, क्योंकि इनका मकान इलाहाबाद में है....

श्री अध्यक्ष—कारण न दीजिये ।

श्री धर्मसिंह—श्री राजकिशोर श्रीवास्तव ।

यह ६ कर्मचारी गजटेड हैं । जहां तक नान-गजटेड का संबंध है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१—श्री सुखानन्द गुप्ता, फूड ऐंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट
२—श्री आर० एस० आदीच्य, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट,
३—श्री कामता प्रसाद शर्मा, गृह विभाग,
४—श्री प्रेमस्वरूप, गृह विभाग,
५—श्री जगदीश सिंह, नगरपालिका में काम करते हैं,
६—श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, स्टेनोग्राफर, राजस्व विभाग,
७—श्री बी० एल० शुक्ला, पुनर्वासन विभाग,
८—श्री पी० एन० शुक्ला, वित्त विभाग
९—श्री राधेश्याम अग्रवाल, होम पुलिस (सी) डिपार्टमेंट,
१०—श्री राधिका रमण सिकरोरिया, गृह विभाग†
११—श्री प्रेम राम शिल्पकार, लेबर (ए) डिपार्टमेंट,
१२—श्री मदन किशोर सेठ, रेवेन्यू (बी) डिपार्टमेंट,
१३—श्री बी० एम० लाल, रेवेन्यू (सी) डिपार्टमेंट,
१४—श्री मनकामेश्वर नाथ श्रीवास्तव, सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान) डिपार्टमेंट ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मंत्री जी ने पहले कहा कि हमने यह जांच नहीं की कि किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया । फिर उन्होंने गजटेड कर्मचारियों का जिक्र करते हुये कहा क्योंकि श्री एम० जहीर, आई० ए० एस० का मकान इलाहाबाद में बना है इसलिये इनको यहां लेना पड़ा । तो सरकार को क्यों जरूरत पड़ गई कि एक्सप्लेनेशन दिया जाय जब कि उनको एक्सप्लेनेशन मालूम नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने गलती की कि पढ़ दिया । वह दफ्तर से आयी हुई चीज है । लेकिन आपने प्रश्न नहीं पूछा इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि इन्क्वायरी किसके द्वारा करायी जा रही है कि किन परिस्थितियों में इन अफसरों ने यह मकान किराये पर उठाये हैं ?

श्री धर्मसिंह—मुख्य सचिव के द्वारा करायी जायेगी ।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी बतायेंगे कि उन ६ गजटेड अफसरों में से किन-किन लोगों ने लखनऊ में ही लोन लेकर मकान बनाये हैं ?

श्री धर्मसिंह—एक को छोड़ कर बाकी सब यहीं हैं ।

श्री ऊदल—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह मामला जो मकान का है वह बहुत पुराना है और कई बार उठ चुका है, इसको पूरे तौर से जांच करके सदन को सूचित करने की कृपा करेंगे ?

---

†(ये आजकल इलाहाबाद में तैनात हैं । इसलिए ऐसा विचार है कि उन्होंने अपना मकान किराये पर दे दिया है ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब मेरे सामने यह बात आयी और सदन में भी उठायी गई तो मैंने इस मसले को मंत्रि परिषद् में रखा और उसने यह निर्णय कर दिया है कि आइन्दा कोई भी अधिकारी इस तरह की बात नहीं कर सकेगा और साथ ही जिन अधिकारियों के अभी मकान हैं और जो किराये पर उठाये हुए हैं चेष्टा इस बात की की जायगी कि वह अपने मकानों में जायं और जो सरकारी मकान उन्होंने अपने कब्जे में कर रखे हैं या और व्यक्तियों के मकान ले रखे हैं वे उनसे खाली कराये जायं ।

श्री मोतीराम अवस्थी--मंत्री जी के उत्तर में संबंधित । आखिरी पंक्ति इस प्रकार से है "पिछली बार इस विषय पर दिये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर इस हद तक ठीक नहीं थे" । क्या सरकार बतायेगी कि अनुपूरक प्रश्न में जो उत्तर दिये गये थे वह किस प्रकार से गलत थे और उनका शुद्ध रूप क्या है ?

श्री अध्यक्ष--शुद्धि के लिये तो मैं फिर से मौका दूंगा कि उसको बाद में पेश करें, लेकिन अगर आपको अभी मालूम हो तो बता सकते हैं ।

श्री धर्मसिंह--जब यह प्रश्न उस समय किया गया था तो बहुत सी बातें उठायी गईं । आपकी आज्ञा हुई थी कि सब पर विचार करने के बाद उत्तर दे दिया जाय । इसी आधार पर यह उत्तर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--अशुद्ध कौन सी चीज थी और शुद्ध क्या है ?

श्री धर्मसिंह--गलतफहमी यह थी उस वक्त ४ नम्बर का प्रश्न था । ऊपर के प्रश्न में जो सचिवालय शब्द था नीचे से उसमें नहीं था । तो गलतफहमी यह थी जो सूचना मंगायी जा रही है वह तमाम प्रदेश से संबंधित है । तो इसमें जो ४ नम्बर प्रश्न आपके यहां से आया उसमें सचिवालय शब्द जोड़ दिया ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--'नीचे वाला' उक्त शब्द था ऊपर वाले को क्वालीफाई करते हुए । मंत्री जी को याद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न सीमित था और वह समझे थे कि आप सारे प्रान्त के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जो लोग अपने मकानों को छोड़ कर दूसरे मकानों में रहते हैं कोशिश की जायगी कि अपने मकानों में चले जायं । तो मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि किस कानून से जिन लोगों के मकान में रहते हैं उनके मकान खाली करवाये जायेंगे और जिन मकानों में यह रहते हैं उनसे खाली करवाया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वही प्रश्न हमारे सामने था और उस प्रश्न को हल करने के लिये हम रेंट कंट्रोल ऐक्ट को परिवर्तित करने जा रहे हैं जिससे कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना मकान बनाये तो कानून के अन्तर्गत वह जिस मकान में रह रहा है वह खाली समझा जायगा और वह दूसरे व्यक्ति को एलाट कर दिया जायगा । इस तरह की व्यवस्था करने की बातचीत ला डिपार्टमेंट से चल रही है और उन्होंने कुछ आपत्तियां भी की हैं और उन आपत्तियों से बचने के लिये फिर उस कानून में इस प्रकार से परिवर्तन करने के लिये हमने आदेश दिये हैं ।

थड़वाट के किसानों का जंगलात विभाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन

*५--श्री गौरीशंकर राय--क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक २८ मार्च, १९६१ को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, खटीमा, जिला नैनीताल के नेतृत्व में थड़वाट के काश्तकारों का प्रदर्शन जंगलात विभाग के कार्यालय के सामने हुआ था ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार ने अब तक क्या किया ?

श्री अलगूराय शास्त्री--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, प्रश्न के दो भाग हैं जिसमें एक भाग यह है कि क्या प्रदर्शन हुआ ? तो इस बात की सूचना के लिये कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में नैनीताल में काश्तकारों का प्रदर्शन हुआ कितने महीने और लगेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री--कोई महीने नहीं लगेंगे, सब सूचना बहुत जल्द एकत्रित हो जायगी।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी तहसील खटीमा को अपने विभाग से टेलीफोन करके यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि आया प्रदर्शन हुआ या नहीं ताकि सूचना एकत्रित करने का कष्ट उनके विभाग को न उठाना पड़े ?

श्री अध्यक्ष--खाली इतना ही प्रश्न थोड़े ही है। उसमें यह भी है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सरकार ने अब तक क्या किया ? तो इसका भी वे जवाब देना चाहते हैं।

अपरेंटिस ओवरसियर्स

*६--श्री प्रतापसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में १९६० में ट्रेनिंग पाये हुये कितने अपरेंटिस ओवरसियरों को १ जनवरी, १९६१ तक नोकरी में ले लिया गया और कितने अब बाकी हैं ?

श्री धर्मसिंह--१९६० में ट्रेनिंग पाये हुये अप्रेन्टिस ओवरसियरों में से ३४७ ओवरसियरों को ex-cadre ओवरसियरों के पद पर निर्माण विभाग में नियुक्त किया गया। ३५९ अप्रेन्टिस ओवरसियरों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है।

*७--श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है परन्तु उनको उपर्युक्त ट्रेनिंग पाये हुये लोगों से प्राथमिकता दे दी गई है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ३५९ ओवरसियर बाकी हैं इनकी कब तक नियुक्ति करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाय। शुरुआत में नियुक्ति मार्क्स की बिना पर की गयी थी। उस पर कुछ एतराजात वगैरह हुये। लेकिन सरकार ने यह निर्णय किया कि इनकी नियुक्ति जिसने जैसे ट्रेनिंग ली हो उसके आधार पर की जाय। अब यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही निर्णय हो जायगा वैसे ही उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने एक्स-काडर की नयी पोस्टें बनायी हैं ये किस आधार पर बनायी हैं और इनमें और अन्य पोस्टों में क्या फर्क है ?

श्री धर्मसिंह--अधिक कार्य होने के कारण ओवरसियरों की आवश्यकता होती है तो एक्स केडर ओवरसियर रख लिये जाते हैं। इनकी भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं की जाती। रेगुलर पोस्टों में ओवरसियरों की भर्ती स्थाई आधार पर की जाती है

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार इस चीज को सामने रखते हुए कि उत्तराखन्ड डिवीजन में और पहाड़ी इलाकों में ओवरसियर्स की बड़ी डर्थ है वह इनकी शीघ्र नियुक्ति पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह---एप्वाइन्टमेन्ट करते समय विशेष रूप से इस बात का विचार किया जायगा कि जितने भी एप्वाइन्टमेन्ट हों जब सरकार निर्णय कर लेगी तो उत्तराखन्ड विभाजन में जो खास तौर के पहाड़ी इलाकों में एपरेंटिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं सब से पहले उनकी नियुक्ति की जाय ।

छुआछूत उन्मूलनार्थ सामाजिक संस्थाओं को सहायता

*८---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९--६० में कितनी सामाजिक संस्थाओं को छुआछूत उन्मूलनार्थ हरिजन कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है ?

*९---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की जिन सामाजिक संस्थाओं को उक्त सहायता दी जा चुकी है उनमें कितनी ऐसी संस्थायें हैं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट २१, १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जायगी ?

श्री धर्मसिंह---सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, शीघ्र ही जायगी ।

कानपुर जिलान्तर्गत सिकन्दरा--बारा तथा अन्य सड़कों व पुलों का निर्माण

*१०---श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत सिकन्दरा से बारा आदर्श रोड को बनाकर कार्य समाप्त करने की अवधि संबंधित ठेके में क्या थी और कब तक उक्त रोड के पूर्ण तौर से बनने की संभावना है ?

*११---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत सिकन्दरा से बारा आदर्श रोड, देरापुर से रूरारोड, बिल्हौर से सिकन्दरा रोड पर सेंगर नदी में अलग-अलग पुल बनाने के ठेके किस तिथि तक पुल तैयार कर देने के लिये दिये गये हैं और उनमें से कहां-कहां अवधि का उल्लंघन हुआ है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कानपुर जिले के अन्तर्गत नानामऊ से बैजामऊ सड़क के बिल्हौर से सिकन्दरा तक के भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में ले लिया है ? यदि हां, तो क्या शेष भाग को भी अन्तरिम जिला परिषद् कानपुर की सिफारिश व कानपुर के विधायकों द्वारा इसकी महत्ता के संबंध में लिखे गये पत्रों के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने अन्तर्गत लेने पर विचार करेगा ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न ही नहीं उठता ।

[३ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३---श्री मदन पांडेय---[४ मई, १९६१ के लिये प्रश्न १---३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

छाछा–मनऊ सड़क से बाई पास न बनाने की प्रार्थना

*४––श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनपुरी जिले में तहसील भोगांव में जो पी० डब्लू० डी० की सड़क छाछा से मनऊ को गई है, उस पर जो बाई पास बनाये जा रहे हैं, उनके मुतालिक छाछा व अलीपुर की जनता ने नवम्बर, १९६० में जिलाधीश मैनपुरी व इंजीनियर पी० डब्लू० डी० व निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेशीय सरकार को लिखित शिकायतें दी हैं और उपर्युक्त अधिकारियों को ३ फरवरी, १९६१ को तार भी दिये हैं ?

श्री धर्मसिंह––इस संबंध में छाछा और अलीपुर की जनता से लिखित प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं। कथित तार किसी भी अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ।

*५––श्री गनेशचन्द्र काछी––यदि हां, तो उपर्युक्त शिकायतों पर क्या हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह––इन शिकायतों पर मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, से एक प्रतिवेदन मांगा गया है, जिसके प्राप्त होने पर इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री गनेशचन्द्र काछी––भीड़ और आबादी को बचाने के लिये बाई पास बनाये जाते हैं, कुछ दिनों के बाद उनके किनारे दूकानें और मकानात बन जाते हैं, जैसा कि मैनपुरी जिले में बन गये हैं, तो क्या सरकार छाछा से मनऊ जाने वाली सड़क पर जिस पर केवल दो तीन मोटरें ही चलती हैं, बाई पास न बनायेगी, क्योंकि इससे सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा हो जायगा और जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा ?

श्री धर्मसिंह––इसके बारे में तो मुख्य अभियन्ता से रिपोर्ट मांगी गयी है। मुख्य अभियन्ता से रिपोर्ट आने पर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, इन बातों पर भी विचार कर लिया जायगा।

*६–७––श्री प्रतापसिंह––[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*८–९––श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी––[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०–१२––आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)––[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कथित विचाराधीन मामले

*१३––श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के पास कितने मामले विभागीय कर्मचारियों के अपील के ऐसे हैं जिनको ३१ मार्च, १९६१ को दो साल से अधिक समय हो गया है और उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है तथा इतनी लम्बी अवधि तक अनिर्णीत रहने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह––कोई नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*१४––श्री खुशीराम––क्या सरकार यह बतायेगी कि इनमें से कितने मामले अधीक्षण अभियंताओं के हैं, कितने अधिशासी अभियन्ताओं के हैं, कितने ओवरसियरों के हैं और कितने लिपिकों के हैं ?

श्री धर्मसिंह––प्रश्न नहीं उठता।

रजिस्ट्रेशन विभाग में इन्स्पेक्टरों का चुनाव

*१५.—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रजिस्ट्रेशन विभाग में २१ जनवरी, १९६१ को इंस्पेक्टरों के लिये इंटरव्यू (साक्षात्कार) हुआ, उनमें से कितने हरिजनों को विभाग से बुलाया गया और कितनों को बाहर से ?

श्री धर्मसिंह—राजकीय रजिस्ट्रेशन विभाग में इन्सपेक्टरों के चुनाव के लिये जो साक्षात्कार २१ जनवरी, १९६१ को हुआ था उसमें किसी हरिजन उम्मीदवार को न तो विभाग से और न बाहर से ही बुलाया गया था।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि न बुलाने का क्या कारण था ?

श्री धर्मसिंह—यह जो रिजर्वेशन है वह एप्वाइन्टमेन्टस में है, न कि डिपार्टमेन्टल प्रोमोशंस इत्यादि में। चूंकि प्रोमोशन का मामला था इसलिये जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गयी थी उसमें कोई व्यक्ति नहीं आता था, इसलिये नहीं हो सके।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतायेगी कि विभाग में जो हरिजन कर्मचारी काम करते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या योग्यता है इस बारे में ?

श्री धर्मसिंह—इस पद का जहां तक संबंध है, जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का काम करते हैं, दस साल की नौकरी हो परमानेन्ट कैपेसिटी में, यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, पहली अगस्त को अधिक से अधिक ४८ वर्ष की उम्र हो। चौथी चीज यह है कि हिन्दी उर्दू जानता हो।

*१६-१८.—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।

*१९.—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

विधान भवन के सामने स्वर्गीय गोविन्दवल्लभ पन्त की प्रतिमा स्थापित करने का निश्चय

*२०.—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास हाल में इस आशय के सुझाव आये हैं कि विधान भवन के सामने स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त के स्मारक स्वरूप उनकी स्टेच्यू की स्थापना की जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की ओर से विधान भवन के सामने स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की (प्रतिमा) स्टेच्यू स्थापित कराने का कोई विचार नहीं है। किन्तु कांग्रेस विधान मंडल पार्टी की तरफ से स्वर्गीय पन्त जी की एक प्रतिमा स्थापित की जायगी।

लीसा की कीमत निर्धारित करने के लिये बैठक

*२१.—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री शिवराम (जिला बिजनौर) तथा श्री हिम्मत सिंह—क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक २४ मार्च, १९६१ को मुख्य मंत्री के कमरे में कोई सरकारी व गैर सरकारी लोगों की एक बैठक कुमाऊं व उत्तराखन्ड में पैदा होने वाले लीसे की कीमत आदि के बारे में हुई थी ? अगर हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय सरकार ने लिये ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, परन्तु वह बैठक कुमायूं व उत्तराखण्ड में पैदा होने वाले लीसे की कीमत आदि के संबंध में नहीं थी, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२२—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री शिवराम तथा श्री हिम्मतसिंह**—क्या लीसे की मात्रा व उसके बटवारे की भी योजना बनाई गई है या उस पर विचार हो रहा है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह बैठक अगर लीसा के बारे में नहीं थी, जैसा कि 'आदि' शब्द लिखा हुआ है तो किस बारे में थी और क्या निर्णय लिये गये ?

श्री अलगूराय शास्त्री—२४ को मीटिंग हुई थी जैसा कि निवेदन किया है। उसमें अल्मोड़ा जिले की जो बेनाप भूमि है उसके संबंध में बातचीत हुई और उसी के संबंध में कुछ निश्चय भी किये गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—चूंकि मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं और उन्होंने ही मीटिंग की थी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वह इसको सुन लें, और शायद वह जवाब दे सकें। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय वन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २४ मार्च को जो माननीय मुख्य मंत्री जी कुमायूं की वन उपज लीसा वगैरह के बारे में सरकारी व गैर-सरकारी लोगों की मीटिंग की थी उसमें क्या-क्या बातें हुई थीं, क्या-क्या तय हुआ और क्या उसमें यह भी तय हुआ था कि लीसे की रायल्टी २ रुपये से बढ़ाकर १० रुपये कर दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि एक मीटिंग २४ तारीख को मेरे कमरे में हुई थी जिसके लिये मैंने ही विभाग के अधिकारियों को और उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करवाया था। उसमें कुछ निर्णय बेनाप लैन्ड और नाप-लैन्ड के विषय में और जो लीसा इत्यादि के पेड़ बेनाप लैंड में होते हैं उसके विषय में लिये थे और इसलिये लिये थे कि जो बेनाप लैंड के पेड़ हैं और उसमें लीसा इत्यादि निकलता है, अभी तक उसके लिये कोई सही व्यवस्था नहीं थी। उस बेनाप लैन्ड में जो पेड़ हैं उनसे जो लीसा निकाला जा सकता है उसकी व्यवस्था करने के लिये यह निर्णय लिये थे कि जितनी आमदनी उस लीसे से हो वह सारी आमदनी उन फारेस्ट पंचायतों को दी जाय और उससे उन फारेस्ट पंचायतों के विकास आदि के कार्यों का संचालन कराया जाय। अब तक ऐसी व्यवस्था शायद थी, हमें यह बताया गया था कि बेनाप लैण्ड के जो पेड़ हैं उनमें लीसे का जो रोजगार होता है वह गैरकानूनी ढंग से होता है। कुछ लोग चोरी करके लीसा निकाल लेते हैं और वह धन जो कि फारेस्ट पंचायतों को मिलना चाहिये वह उन्हें नहीं मिलता है। तो उसी संबंध में कुछ ऐसे निर्णय लिये कि जिनसे फारेस्ट पंचायतों की आमदनी बढ़ सकती है और जो गैरकानूनी ढंग से और चोरी करके लीसा निकालते थे वह अब न निकाल सकें, जाहिर से ऐसे लोग या ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज जो उस रोजगार को बढ़ायें उनको लीसा उस कीमत पर दिया जा सके जिस कीमत पर आज लीसा टर्पेन्टाइन फैक्ट्री को हम देते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह मांग है लोगों की कि यह जो लीसा है यह वन पंचायतों को या सिविल वालों को पूरी कीमत पर दिया जाय न कि दस रुपये जो रायल्टी रखी गई है वह हो ? अगर हां, तो क्या वह इस पर फिर विचार करने की कृपा करेंगे कि लीसे की पूरी कीमत मिले ?

[**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—दो प्रकार के निर्णय थे। एक तो इस साल के लिये लिये गये और दूसरे आगे के लिये लिये गये। मुझे पूरे वाकयात याद नहीं हैं क्योंकि आज मैंने फाइल देखी नहीं है। इस साल चूंकि देर हो गई थी, इसलिये कुछ ऐडहाक फैसले लेने पड़े। अगले वर्षों के लिये कुछ और निर्णय लिये जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा आमदनी फारेस्ट पंचायतों की हो सके।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, एक निवेदन है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी बात हुई थी, माननीय वन मंत्री कहते हैं कि नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने फाइल आज देखी नहीं है, तो इसे पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अलगूराय शास्त्री--मैंने 'नहीं' नहीं कहा। मैंने यह नहीं कहा कि कोई ऐसे निर्णय नहीं हुए। मैंने तो "जी हां" कहा है २२ नम्बर के प्रश्न में लेकिन वह जो प्रश्न है उत्तराखण्ड और कुमायूं का उसके बारे में २४ तारीख को जो मीटिंग हुई थी.....

श्री अध्यक्ष--आपने यह कहा था कि परन्तु वह बैठक कुमायूं और उत्तराखण्ड में पैदा होने वाले लीसे की कीमत आदि के संबंध में नहीं थी, और इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कुछ इसके निर्णय हुए लीसे की कीमत के बारे में। यह विरोधाभास जो है, इसको आप कैसे साफ करते हैं?

श्री अलगूराय शास्त्री--२२ नम्बर का प्रश्न है कि क्या लीसे की मात्रा व उसके बटवारे की भी योजना बनाई गई है या उस पर विचार हो रहा है? तो इसके उत्तर में मैंने "जी हां" कहा है

श्री अध्यक्ष--यह कीमत के बारे में है। 'क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक २४ मार्च, १९६१ को मुख्य मंत्री के कमरे में कोई सरकारी व गैर सरकारी लोगों की एक बैठक कुमायूं व उत्तराखण्ड में पैदा होने वाले लीसे की कीमत आदि के बारे में हुई थी?' तो खाली कीमत के बारे में ही नहीं है बल्कि इसमें यह है कि कीमत आदि के बारे में हुई थी? आपने उत्तर में कहा कि कीमत आदि के संबंध में नहीं थी, और कीमत के बारे में फैसला हुआ ऐसा मुख्य मंत्री जी कहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो कीमत के बारे में फैसला हुआ, उसको फैसला हुआ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि फैसला उन अधिकारियों पर और विभाग पर छोड़ा गया था लेकिन उस दिशा में किस तरह से कीमत ली जाय, बातचीत हुई और बातचीत करके जो मेरे स्वतः विचार थे उनको मैंने उस कमेटी के सामने रखा और अधिकारियों से यह कहा कि वे और प्रतिनिधियों से बातचीत करें और फिर वह उस दिशा में निर्णय ले लें जिस दिशा में मैंने अपने विचार प्रकट किये थे।

श्री मदन पाण्डेय--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि २२ के उत्तर में उन्होंने "जी हां" कहा है लीसा के बटवारे के संबंध में, तो क्या वन मंत्री महोदय बतलायेंगे कि वह क्या योजना बनाई गई थी?

श्री अलगूराय शास्त्री--जैसा मैंने अभी कहा कि योजना बनाई गई थी और सरकार का विचाराधीन है। इस योजना से सम्बन्ध टरपेन्टाइन फैक्टरी का भी है, और वह उसकी कीमत के बारे में खुद विचार कर रहे हैं। मई के महीने में उस पर निर्णय लिया जायगा जब कि डाइरेक्टरों की मीटिंग होगी। जब निर्णय हो जायगा तो यहां पर उसको व्यक्त किया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया कि २४ मार्च को सरकारी और गैर-सरकारी लोगों की बैठक कुमायूं और उत्तराखंड में पैदा होने वाले लीसा की कीमत के बारे में हुई थी। वन मंत्री कहते हैं कि वह बैठक नहीं हुई थी। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने पूरी फाइल देखी नहीं है, तो मैं यह चाहता हूं कि इसको अगले दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप फिर से प्रश्न भेज दीजियेगा।

नोट--तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

नवीन रेलवे लाइनें बिछाने पर विचार

*२४--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रदेश के किन-किन भागों एवं स्थानों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाइनें बिछाने का सुझाव दिया है ?

श्री गिरधारीलाल--विषय विचाराधीन है।

*२५--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन सुझावों में से किस-किस सुझाव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न नहीं उठता।

बुनकरों द्वारा हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं की मांग

*२६--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या २५ मार्च, १९६१ को राया (मथुरा) में उप मंत्री डाक्टर जवाहरलाल जी की उपस्थिति में आगरा, मेरठ, रुहेलखंड डिवीजन के बुनकर लोगों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव द्वारा उनको हरिजन माने जाने तथा उसके अनुसार सभी सुविधायें प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

घुघली के विद्युतीकरण की प्रार्थना

*२७--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घुघली बाजार, जिला गोरखपुर में बिजली प्राप्त करने के लिये वहां के नागरिकों ने पिछले तीन वर्षों से कितने आवेदन-पत्र सरकार को भेजे हैं और उन प्रार्थना-पत्रों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नवम्बर, १९५८ में मण्डल कांग्रेस कमेटी, पौहरिया, जिला गोरखपुर से घुघली के विद्युतीकरण के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। धनाभाव के कारण घुघली का विद्युतीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हो सका।

*२८--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में घुघली बाजार, गोरखपुर में बिजली देने का निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना पर कितना व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १,५०० गांवों का विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। अभी इस बात का फैसला नहीं किया गया कि यह गांव कौन-कौन से होंगे।

गोरखपुर में बिजली लगाने की योजना

*२९--श्री अमरनाथ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर शहर में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में कहां-कहां बिजली लगाने की उसकी योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राज्य विद्युत परिषद् ने गोरखपुर शहर की निम्नलिखित जगहों में, जो कि लाइसेन्सी की सप्लाई के क्षेत्र के बाहर पड़ते हैं, बिजली लगाने के लिये स्वीकृति दे दी है:--

१--शहर के पश्चिमी क्षेत्र में,

२--शहर के उत्तरी क्षेत्र में।

३--नारमल स्कूल के पास की जगह।

*३०—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में कहां-कहां बिजली लगाने की योजना है और उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १,५०० गांवों में विद्युतीकरण का प्रस्ताव है । अभी इस बात का फैसला नहीं किया गया कि यह गांव कौन-कौन से होंगे ।

पन्द्रहा, कोल असला परगने में मुसहरों के लिये गृह-निर्माण योजना

*३१—श्री उदल—क्या सरकार परगना पन्द्रहा कोल असला जिला व तहसील वाराणसी में मुसहर जाति के लिये मकान बनाने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—परगना पन्द्रहा के मुसहरों के गृह निर्माण की कोई योजना नहीं बनाई गई है । परगना कोल असला के मुसहरों के गृह-निर्माण हेतु एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत ग्राम हरुआ में २० मुसहर परिवारों की एक बस्ती बनाई जायगी ।

*३२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३३—श्री उदल—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

विद्युत् प्रदान करने में प्राथमिकताएं

*३४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन लोगों को (अ) केन्द्र के नेशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, (ब) यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन, और (स) डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के ऋण पर बिजली से चलने वाली मशीनें मिल जाती हैं उनको भी बिजली नहीं मिलती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विद्युत् शक्ति की अत्यधिक कमी के कारण सरकार ने विद्युत् वितरण समितियां नियुक्त की हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित ११ प्राथमिकताओं के अनुसार छोटे तथा बड़े उद्योगों को जिनको सरकारी ऋण दिया गया होता है, उद्योग निदेशक की सिफारिश पर विद्युत् प्रदान करने में विशेष ध्यान रखती हैं ।

प्राथमिकताएं निम्न प्रकार की हैं :—

(१) प्रशिक्षण योजनायें,

(२) राज्य उद्योग,

(३) नलकूप आदि,

(४) राज्य सहायता प्राप्त उद्योग,

(५) राज्य के लिये विशेष महत्व के उद्योग जैसे सीठी (bagasse) आदि से कागज बनाना,

(६) अभिशासित उद्योग,

(७) विद्युत् उद्योग,

(८) रासायनिक उद्योग,

(९) अन्य भारी उद्योग,

(१०) शीत संग्रहण (कोल्ड स्टोरेज) तथा प्रशीतन सम्बन्धी संयंत्र (रेफ्रीजरेशन प्लांट),

(११) अन्य छोटे-मोटे उद्योग ।

*३५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अगर हां, तो क्या सरकार यह व्यवस्था करने की बात सोच रही है कि उपर्युक्त लोगों को बिजली मिल जाया करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

*३६—श्री गौरीशंकर राय—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों तथा पुलों के निर्माणार्थ अनुदान की मांग

*३७—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—तृतीय योजना में पक्की सड़कों के निर्माण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४९, दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना के लिये पुल और सड़क निर्माण के निमित्त सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितने धन की मांग सरकार से की थी और कुल कितना धन सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये सड़क तथा पुलों के निर्माण के निमित्त सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ३७ करोड़ रुपयों की मांग की थी और इस कार्य के लिये तृतीय योजना में १८ करोड़ रुपया रक्खा गया है । इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड डिवीजन में सड़क और पुल निर्माण के लिये १३.१२ करोड़ रुपये की मांग की गई थी पर उसके लिये १२.४८ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है ।

*३८—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सड़क निर्माण के कार्य को सरकार तृतीय योजना में निर्मित होने वाले कार्यों में द्वितीय या तृतीय प्राथमिकता देने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि, बड़ी तथा लघु सिंचाई योजनाओं को पहली प्राथमिकता, विद्युत् और उद्योग को दूसरा स्थान तथा समाज सेवाओं को तीसरा स्थान दिया गया है । पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ कर, प्रदेश के बाकी भागों में सड़क तथा पुल निर्माण को उनसे अधिक ऊंची प्राथमिकता देना संभव नहीं प्रतीत होता ।

आगरा जिले में नवीन सड़कें बनाने की सिफारिश

*३९—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, आगरा तथा मंत्री जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग परामर्शदात्री समिति एवं सहायक अभियंता, प्रथम प्रान्तीय खंड, आगरा ने तृतीय योजना में किन-किन सड़कों को प्राथमिकता देने हेतु सरकार के पास सुझाव भेजे हैं और सरकार ने उनमें से किन-किन सड़कों को तृतीय योजना में सम्मिलित किया है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

द्वितीय भाग—जिला आगरा में किसी नई पक्की सड़क का निर्माण तृतीय योजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं हो सका है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ८१४–८१५ पर)

*४०—श्री प्रतापसिंह—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

न्यूज एजेंसियों को सहायता

*४१—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में शासन ने कितनी न्यूज एजेन्सियों (सूचना संस्थानों) को किस-किस कार्य के लये कितना-कितना रुपया दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—न्यूज एजेन्सियों को पिछले वर्ष दी गई सहायता का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१६ पर)

*४२—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३–४४—**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५—**श्री कमलेशचन्द्र** (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिया गया ।]

*४६—**श्री कमलेशचन्द्र**—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४७—**श्री इस्तफा हुसैन** (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया ।]

*४८—४९—**श्री गंगाप्रसाद**—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०—५१—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कोंच के विद्युतीकरण की योजना

*५२—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला जालौन के कस्बा कोंच, माधवगढ़, रामपुरा और जगम्मनपुर में बिजली लगाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वहां कब तक बिजली लग जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोंच कस्बे का विद्युतीकरण उरई से कोंच तक ११ के० वी० लाइन के बन जाने पर किया जायगा । इस लाइन को बनाने का काम हाथ में लिया जा रहा है । अन्य तीन कस्बों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*५३—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४—५५—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—[हटा दिये गये ।]

सड़कों पर से इन्क्रोचमेंट हटाने का बिल लाने की प्रार्थना

*५६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री सड़कों पर इंक्रोचमेंट के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या ६ व ७, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५५ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग को सड़कों के किनारों के encroachments हटाने के सम्बन्ध में जो बिल १९५६ में प्रस्तुत होना था वह अब कब प्रस्तुत होगा ?

श्री गिरधारीलाल—उसके सम्बन्ध में अभी कोई समय निश्चित नहीं है ।

*५७—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—[१० मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भट्ठों को कोयला वितरण

*५८—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के पी० डब्ल्यू० डी० (P.W.D.) को कितना कितना कोयला १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९६०–६१ में मिला था और विभाग ने किन-किन भट्ठे वालों को विभाग की ईंटों के लिये दिया था और उन भट्ठे वालों से कितनी-कितनी ईंटें ली गईं ?

श्री गिरधारीलाल--जिला बस्ती के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सन् १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १९५९-६० में निम्न मात्रा में कोयला मिला--

१९५७-५८	..	..	..	..	३,२६५ टन
१९५८-५९	..	..	..	..	५,७१८ ,,
१९५९-६०	..	..	..	..	१,४८३ ,,

विभाग कोयला ठेकेदारों को ठेके के अनुसार देता है, इनमें कुछ के अपने भट्ठे होते हैं और कुछ दूसरे भट्ठे वालों को कोयला देकर ईंटें पाने का स्वयं प्रबन्ध करते हैं। जिन-जिन ठेकेदारों को उक्त वर्षों में कोयला दिया गया और उनसे जितनी ईंटें ली गईं उनकी सूचियां † सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत हैं ।

*५९--**श्री धनुषधारी पांडेय**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना-कितना कोयला पी० डब्ल्यू० डी० (P.W.D.) बस्ती ने उपर्युक्त सालों में डी० सी० एफ० (D.C.F.) बस्ती को दिया है ?

श्री गिरधारीलाल--जिला बस्ती के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उपर्युक्त वर्षों में जिला सहकारी संघ बस्ती को निम्न मात्रा में कोयला दिया--

सन् १९५७-५८		..	..	..	६८ टन
सन् १९५८-५९	..	..	..	..	कुछ नहीं
सन् १९५९-६०	..	..	..	..	१३३ टन

घगलोड़ी ग्राम में सड़क निर्माणार्थ कथित अध्याप्त भूमि

*६०--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत, पोस्ट द्वारा हाट के ग्राम घगलोड़ी के निवासियों की कुछ भूमि सड़क बनाने के लिये हस्तगत की गई है ?

श्री गिरधारीलाल--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई भूमि ग्राम घगलोड़ी में सड़क बनाने के लिये हस्तगत नहीं की गई है ।

*६१--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--यदि हां, तो कब-कब और इस भूमि का अब क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६१ पर राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ अप्रैल, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में श्री गौरीशंकर राय ने मुझे यह सूचना दी थी कि उनको उस रोज न लिया जाय और दो को लिया जाय । इस बीच में मैंने

---

†सूचियां छापी नहीं गईं ।

[श्री अध्यक्ष]

गृह मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ा था और उसके पढ़ने के बाद मुझे यह उचित मालूम हुआ कि उनका स्पष्टीकरण लेना जरूरी है फैसले के पहले । आपने उसमें संकेत शब्द इस्तेमाल किया है तो मैंने उनके पास पत्र लिख कर भेज दिया है कि किस प्रकार से उन्होंने संकेत किया था और क्या उनके पास उस बारे में जानकारी थी जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा । यह मैंने जानने के लिये उनके पास भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि वे इसका उत्तर भेज देंगे । इसलिये उसके ऊपर मैंने फैसला स्थगित कर दिया है । उनका उत्तर आज या कल में आ जायगा । वह बीमार थे । उनका उत्तर आने के बाद आपको भी मौका दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि विशेषाधिकार के मामले में अभी आप जांच कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि उस विशेषाधिकार के प्रश्न को यहां सदन में पढ़ दिया जाय तो सदन सुन ले और उसके बाद आप जांच करते रहें । जहां तक उसकी प्राइमाफेसी का सम्बन्ध है वही आपको देखना है ।

श्री अध्यक्ष----उसकी प्राइमाफेसी को ही निश्चित करने के लिये मैं यह सब देख रहा हूं ।

श्री गौरीशंकर राय---उसकी यदि आप सदन को जानकारी करा देते तो अच्छा था ।

श्री अध्यक्ष----मैं उसके लिये तभी आपको इजाजत दे दूंगा और तभी सदन में उसको पढ़ कर सुना दूंगा । पहले उनसे और जानकारी हासिल कर लूं तभी सुनाऊंगा । आपको भी मौका दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय---मैं सदन को और आपको कुछ और जानकारी कराना चाहता हूं । मुझे कुछ और जानकारी हुई है ।

श्री अध्यक्ष----अभी आप अपनी जानकारी न बतलायें ।

श्री गौरीशंकर राय---मैं आपकी जानकारी में कुछ और वृद्धि करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष----वह जानकारी बाद में दीजियेगा ।

श्री गौरीशंकर राय----मेरे कथन से आपको फैसला करने में सहायता मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष----वह जानकारी आप मेरे कमरे में आकर दें । अब मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गौरीशंकर राय----जैसा कि मुझे मालूम है उसी को मैं निवेदन करना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष----मैंने आपको इसकी इजाजत नहीं दी है । आप जानकारी मेरे कमरे में आ कर करायें ।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में तालाबंदी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष----अब नियम ५२ के अनुसार श्री ऊदल, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री मदन पांडेय, श्री दुर्योधन, श्री ब्रजनारायण तिवारी और श्री मोतीलाल अवस्थी ने एक ही विषय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिये यह प्रश्न भेजा है । मैं सिर्फ इसमें से पहले श्री ऊदल जी का चूंकि आया है, इसलिये उसे पढ़ देता हूं, जिससे विषय मालूम हो जायगा । वह इस प्रकार है----

"स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में काम के घंटे की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में करीब जनवरी माह के मजदूरों तथा मालिकों में विवाद चल रहा था जिसकी तरफ सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया गया था । तारीख १ मई से मिल के प्रबन्धकों ने मिल

में ताला बन्द कर दिया है जिसकी वजह से हजारों मजदूरों को काम से पृथक होना पड़ा है। इस घटना से कानपुर के मजदूरों में व्यापक असन्तोष व्याप्त हो गया है और विषम परिस्थिति पैदा हो गई है।

"मैं आपके जरिये से श्रीमन् मन्त्री जी का ध्यान कार्य-संचालन प्रक्रिया नियमावली नियम ५२ के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं।"

माननीय श्रम मन्त्री इस पर वक्तव्य किस रोज देंगे ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—मैं कल वक्तव्य देना पसन्द करूंगी, अगर आप चाहें तो।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दो दिन पहले दो बार मैंने एक नियम ५२ का प्रश्न उठाया था जिसमें करोड़ों किसानों के मरने और उनकी जिन्दगी का सवाल है। यह मिल और हड़ताल वगैरह तो आप के सामने आया ही करते हैं, लेकिन श्रीमन्, करोड़ों किसान मर जायेंगे। उसमें एक अखबार की कटिंग भी लगी हुई है उसे भी आप पढ़ने की कृपा करते तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे ऐसे बूढ़े शेर के लिये, जो ठुकराया जा रहा है और एक किसान जो यहां आ गया है, उस की यह उपेक्षा है, उसका निवेदन भी नहीं सुना जाता है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसको देखा है।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं भी निवेदन कर रहा हूं और निवेदन करने पर दुख होता है। मुझे भी दुख होता है कि मेरे निवेदन पर गौर नहीं किया जाता। आगे बैठने वालों को पीछे हटाया जाय, हम लोगों को भी ज्यादा समय मिला करे। मैं आशा करता हूं कि मेरा प्रश्न कल ले लिया जायगा, नहीं तो मैं लड़ जाऊंगा और फिर आप कहेंगे कि बूढ़ा शेर बिगड़ जाता है। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलता हूं।

जिला सीतापुर के खैराबाद नगर के एक मन्दिर से प्राचीन मूर्तियों को पुलिस द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब जिला सीतापुर के नगर खैराबाद के मन्दिर से पुलिस द्वारा मूर्तियां खोद कर ले जाने के सम्बन्ध में श्री शिवप्रसाद नागर द्वारा दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ को दी गई सूचना पर नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मन्त्री वक्तव्य देंगे।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—श्रीमन्, सितम्बर, सन् १९६० में मोहल्ला सुजावलपुर, खैराबाद, जिला सीतापुर में जमीन खोदते समय तीन मूर्तियां मिलीं, एक अष्टधातु की और दो पत्थर की। यह तीनों मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की ध्यान मुद्रा में हैं। मोहल्ले के रहने वालों ने और बाहर के कुछ जैनियों ने इन मूर्तियों की पूजा आरम्भ कर दी और यह भी प्रचार किया कि वे मूर्तियां दूध पीती हैं। जांच करने पर पता लगा कि मूर्तियों के अन्दर ट्यूब लगा दी गई थी और उसमें से दूध अन्दर चला जाता था। राज्य संग्रहालय, लखनऊ के असिस्टेंट क्यूरेटर ने इन मूर्तियों का निरीक्षण किया और यह कहा कि इनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। थोड़े दिन बाद इन मूर्तियों की ओर से लोगों का आकर्षण कम हो गया और जिस कमेटी के द्वारा उनकी स्थापना हुई थी उन्होंने जिलाधीश को दरख्वास्तें दीं कि कोई मूर्तियों की देखभाल करने के लिये नहीं है और जांच से पता लगा कि उन मूर्तियों की रक्षा के लिये कोई मन्दिर या छत बनाने के लिये तैयार नहीं है। जिलाधीश ने इसलिये यह उचित समझा कि मूर्तियों को ट्रेजर ट्रोव ऐक्ट की धारा १६ के अन्तर्गत सरकार की ओर से एक्वायर कर लिया जाय और उन्हें राज्य संग्रहालय भेज दिया जाय। अब यह मूर्तियां वहां से मंगा कर तहसील सबट्रेजरी, सीतापुर में रख दी गई हैं। जिलाधीश के इजलास में ट्रेजर ट्रोव ऐक्ट के अन्दर कार्य-

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

वाही हो रही है। अब जिलाधीश को लिखा जा रहा है कि इन मूर्तियों को संग्रहालय भेजने का कष्ट न करें। कानून के अन्तर्गत जो इन मूर्तियों का हकदार है, उनको मूर्तियां दे दी जायें और अगर कोई हकदार न हो और जनता उन मूर्तियों को स्थापित करना चाहे तो उनको स्थापित जनता की मांग के आधार पर वहां हो जाने दें क्योंकि यह मूर्तियां पुरातात्विक की नहीं हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)----क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मूर्तियों को जिन्हें केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग ने तलब किया था और फिर उनको स्वीकार नहीं किया, जिलाधीश महोदय कब तक उस मन्दिर को वापस देने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा----इसका तो कोई सवाल उठता नहीं है। पहले यह समझा गया था कि यह मूर्तियां कुछ पुरानी हैं और उनका कुछ महत्व है, इसलिये उनको मंगा लिया गया किन्तु जांच के दौरान यह पता चला कि वे पुरानी नहीं हैं। अब कानून के अनुसार जो उनका मालिक होगा उनको वह मूर्तियां दे दी जायेंगी और अगर उनका मालिक नहीं मिलेगा तो जो दरख्वास्त देगा और जो उनको लेना चाहेंगे उनको दे दिया जायगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)----श्रीमन्, जिस दिन यह प्रश्न उठाया गया था उस दिन यह कहा गया था नागर जी की तरफ से कि यह मूर्तियां दूध पीती हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य बात है?

श्री अध्यक्ष----यह बात गलत है, यह तो उत्तर में बता दिया गया कि उनमें ट्यूब लगा दिया गया था।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)----यह मूर्तियां अब तक कहां हैं और किसके अधिकार में हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा----यह वहां की सब-ट्रेजरी में हैं। उस पर कार्यवाही हो रही है। लोकल आदमियों की कुछ दरख्वास्तें भी आई हैं कि उनको दे दिया जाय। जब इस पर निर्णय हो जायगा तो उनको दे दी जायेंगी।

श्री शिवप्रसाद नागर----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खैराबाद के नागरिकों की ओर से जो दरख्वास्तें आई हैं उन मूर्तियों के क्लेम के बारे में, उनको वह मूर्तियां कब तक वापस कर दी जायेंगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा----जिलाधीश नियमों के अनुसार उसका फैसला करेंगे। कानून के अनुसार जो उसके मालिक होंगे उनको वे दी जायेंगी, लेकिन अगर वे नहीं लेंगे तो जनता को दे दी जायेंगी।

श्री शिवप्रसाद नागर----श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि उनके क्लेमेन्ट की तरफ से कोई दरख्वास्त आई है.....

श्री अध्यक्ष----आप इस तरह से पूछें कि क्या कोई दरख्वास्तें आई हैं...

श्री शिवप्रसाद नागर----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके क्लेमेंट्स की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र आये हैं और यदि हां, तो उन्हें कब तक वापस कर दिया जायगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा----प्रार्थना-पत्र पहले असल में कुछ कानपुर के लोगों के भी आये थे, लेकिन यह उचित नहीं समझा गया कि दूसरी जगह के लोगों को उन्हें दिया जाये। कुछ प्रार्थना-पत्र लोकल लोगों के भी आये। उन सब पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही फैसला हो जायगा और मूर्तियां वापस कर दी जायेंगी।

२९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न २६–२७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन†

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—प्रध्यक्ष महोदय, दिनांक २९ मार्च, १९६१ को श्री छेदी लाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६, २७ के सम्बन्ध में सर्वश्री शिव प्रसाद नागर तथा बालक राम ने क्रमशः निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछे थे :—

(१) क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल की पूर्व योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

(२) वे दो शर्तें कौन-कौन सी हैं ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि—

(१) "केन्द्रीय सरकार से इस बारे में लिखा-पढ़ी होती रही है। उनकी दो शर्तों को मानकर प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इत्तला कर दी है। वहां से अभी कोई जवाब नहीं आया है।"

(२) "स्टेट गवर्नमेन्ट मेंटीनेंस इत्यादि खर्चा बरदाश्त करे और टूटी हुई सड़कों के खर्च के लिये स्टेट गवर्नमिन्ट तैयार है या नहीं। दोनों में २२,९०७ और २,५२६ के इम्पलीकेशन्स हैं।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

(१) "केन्द्रीय सरकार से इस बारे में लिखा-पढ़ी होती रही है। उनकी मुख्य-मुख्य शर्तों को मानकर प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार को इत्तला करनी है।"

(२) "स्टेट गवर्नमेन्ट मेंटीनेंस इत्यादि का खर्चा बरदाश्त करे और सड़क (Road decking) के तोड़ने के खर्चे को बरदाश्त करने के लिये स्टेट गवर्नमेंट तैयार है या नहीं। दोनों में २७,९०७ रुपये और ७,००० रुपये के इम्पलीकेशन्स हैं।"

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी आगे 'घ' पृष्ठ ८१७ पर।)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अभी जो प्रश्न का शुद्धिकरण हुआ है उस के कारण नये प्रश्न उपस्थित हो गये हैं। इसलिये मैं उनके बारे में जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कोई प्रश्न करना चाहें उस सम्बन्ध में तो फिर से प्रश्न भेज दीजिये फिर उनका उत्तर मैं ले लूंगा।

१८५७ के क्रान्तिकारियों और देशभक्तों को राजनीतिक पीड़ितों के समान सुविधायें देने के लिये संकल्प—(क्रमागत)††

श्री अध्यक्ष—उस दिन श्री हरीसिंह अपना भाषण दे रहे थे, उसे वह जारी रखें।

---

†२९ मार्च, १९६१ को कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

††१ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--श्रीमन्, जो स्वतन्त्रता संग्राम के बागी कहलाते थे उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये क्रांति की थी। उनके बच्चे जो गोद में थे या दूध पीते थे या जो रिश्तेदारियों में चले गये थे उनके द्वारा जो बीज बोया गया था उसको उन्होंने जागृत रखा। हमारे देश के कर्णधारों और नेताओं ने उस वृक्ष को पानी दिया और यही नहीं कि उन पेड़ों में फल आये बल्कि देश उनके बलिदान से फला-फूला। यह सही है कि माली जो वृक्ष लगाता है उसे उसका फल नहीं मिलता, परन्तु यह जानते हुये भी हमारे देश के लोगों, देश की फौजों ने देश के लिये स्वतन्त्रता प्राप्त की। तो फिर ऐसे लोगों के लिये देश के शासकों का कर्तव्य हो जाता है कि उनकी सहायता करें, उन्हें पेंशन दें, उनके रोजगार का प्रबन्ध करें, उनकी शिक्षा और उनके दवादारू का प्रबन्ध करें। हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी और महाराज पृथ्वीराज चौहान ने देश की स्वतन्त्रता के लिये, आनबान के लिये अपने प्राणों की बाजी लगाई। उन्हीं को वे सेनानी बागी करार दिये गये थे जिन्हें आज गदर कहते हैं। इस देश की स्वतन्त्रता के बाद इस देश के रहबरों ने उन लोगों को बुलाया इसलिये कि उन्होंने सब से पहले चित्तौड़गढ़ में तिरंगा झंडा फहराया। उन वीरों को जमीनें दी गईं, उनका सम्मेलन किया गया, लेकिन आज वही सेनानी मारे-मारे फिरते हैं और उन्हें अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखा जाता। आज यही दशा सन् १८५७ के उन वीरों की है जो कालेपानी पहुंच गये थे और जो संस्कृत का शब्द "साहसी" है वह नाम उन लोगों को दिया गया लेकिन आज वह लोग दर-दर मारे मारे फिरते हैं। उनके लिये भी यह ध्यान नहीं दिया गया कि ये वह सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिये प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने कालेपानी की और दूसरी यातनायें भोगीं लेकिन जब वे लोग लौट कर आये तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और आज उनको भी गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है। यही वह कौमें हैं जो १८५७ में इस देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ी थीं। आज बहुत बुरी दशा उन वीर सेनानियों की है जिन्होंने कांग्रेस के आन्दोलन में अपनी आहुतियां दी हैं। हम अपने पूर्वजों का सम्मान चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सिपाहियों के लिये कोई आदर सम्मान नहीं है। चाहे वह किसी भी विचार धारा के हों, कम्यूनिस्ट ही क्यों न हों जिन्होंने हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिये अपना बलिदान दिया, उनका आदर सम्मान जरूर होना चाहिये।

सबसे पहले तो एक सूची तैयार होनी चाहिये कि इन-इन कर्मवीरों ने आन्दोलन में हिस्सा लिया। आज उनके बच्चे दाने-दाने को मोहताज हैं। हापुड़ का एक हरिजन जो कि १८ वर्ष का था उसने दरोगा के बार-बार कहने पर भी झंडा नहीं छोड़ा, उसको गोली से मार दिया गया। उसकी बेवा मां को एक पैसे की भी पेंशन नहीं मिली। और कोई उसके लिये सहायता नहीं पहुंचाई गई। करनावल गांव के ६ जाटव जो कि कांग्रेस आन्दोलन में जेल में मरे, उनके बच्चों के पालन-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे कांग्रेसमैनों के बच्चों को दवा-दारू, शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है कि इन २०-२५ रुपया पेंशन के रूप में देने से सरकार के कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती। वह तब होती है जब उन्हें किसी न किसी रोजगार से लगाया जाता, उनका आदर और सम्मान किया जाता ताकि वह समझते कि हम भी एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं जिसकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये हमने भी कुछ किया है। आज शासन की ओर से मान उन्हीं का होता है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जिनके पास सुख-समृद्धि के साधन हैं।

यह अवश्य है कि सरकार बेबस है। इस प्रान्त में जमीन्दारी खत्म हो चुकी, इसलिये उन वीरों के लिये जमीनें कहां से जुटाई जायें और इतना धन भी नहीं दे सकते जितना कि एक राष्ट्र के सैनिक की आवश्यकता होती है, परन्तु सरकार उन्हें रोजगार दे सकती है, उनके लिये दस्तकारी खुलवा सकती है, आदर दे सकती है। जो बड़े-बड़े नेता जिले में जायं तो सबसे पहले उन्हीं वीर सैनिकों का आदर सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ावें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत कभी माया के वशीभूत नहीं रहा। यहां तपस्वी, ऋषि मुनियों का सदैव आदर होता रहा और उनके तप बुद्धि और विचारों के लिये रुपया पैसा नहीं, बल्कि आदर-सम्मान प्रकट किया जाता था। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि उनका वैसा ही आदर सम्मान हो जैसाकि पेंशनयाफ्ता सैनिकों को दिया जाता है जिससे उनके हृदय गद्गद् हो जाते हैं कि हमने अपने देश के लिये यह किया था, इसलिये सम्मान दिया जा रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद आज वीर सेनानियों के हाथ में शासन की बागडोर है, इसलिये आवश्यक है कि श्रीमन् उनका आदर किया जाय और उनको रोजगार और उद्योग धन्धे में लगाया जाय ताकि उन्होंने जो यातनायें आज तक भोगी हैं उसमें कुछ सन्तोष पा सकें। अन्त में श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं लेकिन यह अवश्य चाहता हूं कि उन वीर सैनिकों को सम्मान प्रदान किया जाय।

*श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदास जी इस सदन में जो प्रस्ताव लाये हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आज इतने दिनों के बाद इस सदन में यह प्रस्ताव आया उन महान विभूतियों की स्मृति में जिन्होंने इस देश की सेवा के लिये अपना बलिदान और कुर्बानी की। १८५७ में प्रथम बार जिन महापुरुषों ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाने के लिये और इस देश से अंग्रेजी हुकूमत का नाश करने के लिये संकल्प किया था और जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके लिये यह प्रस्ताव आया कि वह भी स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी और राजनीतिक पीड़ित माने जायं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उनका कार्य महान था। अंग्रेजी राज्य को हटाने के लिये हम भी एक सेनानी थे और हमने भी सत्याग्रह किया लेकिन मान्यवर, उस समय बड़ी सुविधायें आगई थीं जबकि लोग १९१९, १९२१ या १९३० में जेल गये। सन् ३० में मैं भी गया लेकिन उस समय काफी सुविधायें आ गई थीं, दलिया और दूध जेल में मिल जाता था लेकिन उस समय गोलियों का शिकार होना पड़ता था।

मान्यवर, जिस तख्त पर आप बैठे हैं यहां पर पहले वाजिद अली शाह की राजधानी थी। १८५७ में जब वह गिरफ्तार किये गये, उसकी चर्चा मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, उस समय एक महापुरुष राजा देवी बख्शसिंह गोंडा में राजा थे। उनके पास वाजिद अली शाह उनकी बेगम हजरत महल और उनका लड़का बिरजीस कदर भागते हुये घाघरा नदी को नाव से पार करके उस पार गये और सन्देशा भेजा कि हम मुसीबत में हैं, तो राजा साहब ने संकल्प किया कि मैं अंग्रेजी राज्य को घाघरा के पार नहीं उतरने दूंगा। आज भी देहातों में उनकी बहादुरी के लोक गीत गाये जाते हैं। गांव के लोग आज भी बिरहा गाते हैं---

"राजा देवी बक्स लोहबंका,
बाजे मार मार के डंका
राजा अक्सरै बंधाय दिहिन लाभ"

इस प्रकार की कहानी आज तक प्रचलित है।

मान्यवर, इतने बड़े महापुरुष ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनसे पूरी लड़ाई लड़ी। फैजाबाद जिले में उनकी तीन नावों को डुबा दिया लेकिन वहीं के मानसिंह ने उनको धोखा दिया, इसलिये उनको विफलता मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूती से लड़कर बेगम हजरत महल और बिरजीस कदर को नेपाल की सीमा में पहुंचा दिया और उसके बाद उनके प्राणान्त हो गये। यह कहानी है। मान्यवर, इस प्रकार के वीरों की चर्चा कहीं इतिहास में भी नहीं है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिये अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी दी। मान्यवर, हमें ऐसे वीर महापुरुषों की ओर ध्यान देना चाहिये और उनकी यादगार में स्मारक बनवाने चाहिये जिनसे हमें आजादी हासिल करने की प्रेरणा मिलती थी कि हम आजादी हासिल करें और हमारा यह कर्त्तव्य होता है। इधर अवध के दो आदमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेव सिंह]

ऐसे हैं जिनकी चर्चा करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । एक हैं राजा देवी बख्श सिंह गोंडा के जिनका राज्य छीन कर दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया--एक राज्य हुआ बलरामपुर का और दूसरा अयोध्या का और उसी के कुछ शेष बचे हुए हिस्से में उन्हीं के वंशज आज भी मौजूद हैं ---राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी, एम० एल० ए० और ठाकुर नौरंग सिंह एम० एल० सी०, लेकिन उनका जो कोट है वह बहुत बुरी हालत में है । उसके चारों ओर सुन्दर नहर बनी है । मैं संग्रहालय विभाग का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह उसका प्रबंध अपने हाथ में ले क्योंकि वह स्थान बहुत ही सुन्दर और रम्य है ।

लखनऊ में ही एक बटलर पार्क है जो ताल्लुकेदारों के ही कब्जे में था जो अब सरकार के कब्जे में है । वहां पर बटलर की विशाल मूर्ति थी उसको हटा दिया गया है, उसके स्थान पर देश के लिये प्राण निछावर करने वाले अपने राज्य को कुरबान करने वाले राणा बेणी माधव सिंह और राजा देवी बख्श सिंह जी की मूर्तियों को स्थापित किया जाय जिससे हमारे उन वीर सेनानी पूर्वजों की यादगार कायम रह सके और हमारी संतान भी याद कर सके कि आजादी की लड़ाई के लिये किस प्रकार से लड़ा जाता है ।

मैं दोषारोपण नहीं करता हूं लेकिन बहुत से ऐसे सेनानी अब भी मौजूद हैं जो अनेक बार आप ही के साथ कांग्रेस में रह कर ही अंग्रेजी राज्य को हटाने के लिये जेल गये लेकिन उनको भी भुला दिया गया उनकी यादगार को भुलाने में भी उनकी कोई गलती नहीं है । फिर अगर आप उनको भूल गये तो भूल गये लेकिन राजा देवी बख्श सिंह और राणा बेणी माधव सिंह को न भूलें और उनकी मूर्तियां बटलर पार्क में स्थापित करें जिससे इतिहास में उनकी बहादुरी की अमिट छाप हो जाय । राजा देवी बख्श सिंह ने हमें आजादी दिलाने के लिये अपने प्राणों और राज्य को बलि कर दिया और उस जमाने में जब कि उफ तक करने का साहस किसी में न था उस वक्त उन्होंने ३ दिन तक भूखों अंग्रेजों का मुकाबला किया और खाना भी सारा समाप्त हो गया था । तीन दिन तक लड़ते रहे, घायल भी हो गये थे और अपना प्राण गंवा देना चाहते थे लेकिन चूंकि बेगम हजरत महल एक स्त्री होते हुए वहां पहुंच गयीं, श्रीमन्, जिस गद्दी पर आप आज बैठे हुए हैं उसी पर बैठने वाले अवध नवाब खानदान की वह स्त्री थीं, उनको बचाने के लिये उन्होंने इस राज्य को छोड़ कर नेपाल राज्य की शरण ली और वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना प्राण दे दिया । तो मेरी प्रार्थना है कि उनका स्टेचू बटलर पार्क में लगवाने की सरकार जरूर कृपा करे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रश्न को उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--आप बीच में कहीं चले गये थे । मैंने श्री रामलखन मिश्र को बुला लिया है, अब आप इसे बाद में उपस्थित करें ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावक श्री नारायण दास पासी का बहुत ही आदर करता हूं किन्तु इसकी व्यावहारिकता की ओर उन्होंने दृष्टि नहीं दी कि इस कार्य में कितनी अव्यावहारिकता इस प्रस्ताव में है, इस कारण मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं । कुछ सुझाव दे सकता हूं एक परिणाम पर पहुंचने के लिये । जो कठिनाइयां हमारे रास्ते में आयी हैं, वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की जितनी भी प्रशंसा की जाय जो उन्होंने आहुति दी है उनकी जितनी भी स्मृतियां बनायी जायं और जो कुछ भी किया जाय सभी स्तुत्य है, किन्तु प्रस्ताव जिस रूप में साकार हुआ है जिन शब्दों में प्रस्ताव रखा गया है, वह व्यावहारिक है या नहीं इसको भी हमें देखना है ।

नेपाल की तराई में स्वतंत्रता-संग्राम के हमारे कितने सैनिक अब भी भ्रमण कर रहे हैं और दुःख उठा रहे हैं इसका पता लगाना कठिन बात है । दूसरे यह कि उन स्वतंत्रता-संग्रामों की चल अचल सम्पत्ति के रूप में कितने भूमिधर सीरदार कब कब बने, इसका पता कैसे

लगाया जाय और उसके लिये न्यायालयों की शरण ली जाय यह भी असम्भव सी बात है। साथ ही १८५७ से अब तक के स्वतंत्रता-संग्राम में कितने साल के अन्दर कितने शहीद हुए तथा कितने आदमियों ने क्रान्तिकारियों के रूप में स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया इसकी एक प्रामाणित सूची तैयार करने की बहुत आवश्यकता है लेकिन यह भी सत्य है कि उस सूची को तैयार करना बहुत ही कठिन है और दूसरे व्यावहारिक भी नहीं है।

मेरा सुझाव स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के इतिहास के सम्बन्ध में यह है कि "वार आफ इंडिपेंडेंस" नामक एक ग्रन्थ श्री सावरकर ने लिखा है जिसमें कुछ चीजों की तरफ संकेत है। "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का आधुनिक इतिहास" से भी कुछ चीजों का संकेत मिल सकता है। आज भी बहुत से ग्रामीण जीवित हैं जिनसे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के सम्बन्ध में कुछ बातों का संकलन किया जा सकता है और इस प्रामाणिक संकलन के आधार पर हम एक परिणाम पर पहुंच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से जिले-जिले के जो गजेटियर्स लिखे जाते हैं उसमें भी हम कुछ सहायता पहुंचावें और उन शहीदों के नाम या उन व्यक्तियों के नाम उनमें आ जायं जो १८५७ या उसके आसपास स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों के रूप में भाग लिये, तो इस प्रस्ताव के स्वरूप को घटा बढ़ा कर हमारे सामने एक सूची तैयार होगी।

अब जहां तक उनकी चल-अचल सम्पति के लिये प्रमाण देने की बात है, उस सूची के तैयार हो जाने पर सरकार उनको प्रमाण-पत्र देने के प्रश्न पर निर्णय करेगी और तभी विचार करेगी कि उनको प्रमाण-पत्र दिये जायं। लेकिन सर्वप्रथम तो मोटे-मोटे तौर पर अभी जानकारी प्राप्त करनी है कि अगर किसी राजा ने उस संग्राम में भाग लिया तो उसकी चल अचल सम्पत्ति राजा मनकापुर के पास चली गयी या उन सैकड़ों हजारों गरीबों के पास है जो उसको जोतते बोते हैं। तो यह भी एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होगा और सर्वप्रथम जो कठिनाई हमारे सामने है वह यह है कि प्रमाणपत्र के रूप में उनकी सूची किस प्रकार तैयार कराई जाय। मैं दोहराना नहीं चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसकी व्यावहारिकता में एक बड़ी कठिनाई है और उसके लिये हमें बहुत से मामलों में अदालत की शरण लेनी होगी और यह भी देखना होगा कि स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में सिखों ने और पंजाब के लोगों ने कितना प्रभावित किया है, उस सबकी रूपरेखा हमें अपने सामने लानी होगी। उनको भी सम्पत्तियां मिली हैं, उन सब बातों के विषय में हमें विचार करना होगा।

अनेक ऐसी बातें हैं, हमें न्यायालयों के निर्णयों को भी देखना होगा। मैंने उन निर्णयों को देखा भी है क्योंकि मैंने बस्ती गजेटियर के सम्बन्ध में एक वर्ष तक संयोजक के रूप में काम किया है। सन् १८६४ के लगभग बस्ती जिला गोरखपुर से पृथक किया गया और इस कारण से वहां के रिकार्ड गोरखपुर में थे और उन का निरीक्षण करने में बहुत अधिक पैसा लगता था। जब हमने अपनी कमेटी में प्रस्ताव किया तो बड़ी मुश्किल से २४ रुपया स्वीकृत हुआ जितने में कि रिकार्ड्स का निरीक्षण करना असम्भव था। वह रिकार्ड ऐसे हैं जिनका पता नहीं चलता था कि वह कहां पर मिलेंगे। मेरे कहने का आशय यह है कि प्रमाणबद्ध सूची तैयार करना प्रथम कार्य होना चाहिये। यदि सचमुच हमारा अभीष्ट उन भावनाओं के पीछे चलने का है तो गजेटियर के सम्बन्ध में हमें ऐसा करना चाहिये कि जिले जिले में जो यह गजेटियर की कमेटी बनी हैं और जो ऐसी मूर्छित अवस्था में हैं कि उन से काम नहीं चल सकता उनको पुनर्जीवित करें। हमारा विश्वास है कि हम गजेटियर के बनाने की बात तभी पूरी कर सकते हैं जब हम गैर सरकारी कमेटी बनायें और शहीदों के सम्बन्ध में ऐसी कमेटियां बनायें जो तमाम जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसा कर के ही इस विषय में प्रदेश का सही चित्र बना सकते हैं।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर हम चाहते हैं कि जो प्रस्ताव की भावना है उस की पूर्ति हो तो यह आवश्यक है कि प्रथमतः जो हमारे गजेटियर हैं उनके सम्बन्ध में हम एक सफल प्रयत्न करें जिससे जिले की पूरी जानकारी इस सम्बन्ध में

[श्री रामलखन मिश्र]

सके। नेपाल में और काठमाडू में हमें ऐसा इतिहास मिलेगा और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राणा जंग बहादुर ने इतिहास में अंग्रेजों का साथ सन् १८५७ में दिया जो भाग कर नेपाल गये उनके साथ इतनी अपमानजनक बातें हुई हैं कि जिनको यदि मैं सदन में चर्चा करूं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो पहले हमें छानबीन कर के उनकी एक सूची तैयार करनी होगी। उस के बाद ही हम इस विषय पर आ सकेंगे कि व्यावहारिक रूप से उनकी सम्पत्तियों को वापस किया जा सके या न किया जा सके। ऐसी सूची बनाने में कई वर्ष लगेंगे और यदि हम ऐसी सूची बना भी लें तो उसके बाद ही किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। जहांतक मेरी स्मृति जाती है माननीय स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने भी एक बार इस विचार को लिया था कि १८५७ के लोगों की सूची बनाई जाय लेकिन अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उन्हें इस प्रश्न को स्थगित करना पड़ा।

श्री बलदेवसिंह---मेरा, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रस्ताव में यह कहा है कि उनकी जायदाद वापस करना चाहिये....

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इस में व्यवस्था की क्या बात है? आप बैठ जायं।

श्री रामलखन मिश्र---ऐसा भ्रम हो गया है माननीय आपत्तिकारक को लेकिन जो प्रस्ताव है उस को वह पूर्ण रूप में देखें और उसमें जो मांगें दी गई हैं वह देखें। मनकापुर के सम्बन्ध में उनकी जो सम्पत्तियां अयोध्या और बलरामपुर में ले ली गईं उस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि मैं उसकी व्यावहारिकता की ओर ध्यान दिलाऊं और इसी कारण मैंने उसकी चर्चा की और प्रस्ताव में वह एक प्रधान चीज है और सक्रिय-रूप से मांग की गई है, इसलिये मैंने यह बात कही। तो मैं इस सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ी कठिनाई जो है वह यह है प्रामाणिक रूप से एक सूची तैयार करना। जिले-जिले में गजेटियर बनाने की सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक कोशिश की गई है।

मैं कह रहा था कि हमारे स्वर्गीय पंत जी ने भी इस बात को लिया कि प्रदेश के जो सन् १८५७ के शहीद और क्रान्तिकारी लोग हैं उनकी एक ऐसी प्रामाणिक चीज तैयार कराई जाय और उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ दिया जाय। लेकिन उसमें इतनी व्यावहारिक कठिनाई आई कि यह विचार उस समय त्याग दिया गया लेकिन यह निर्णय किया गया कि १८३३ में जिले-जिले में जो गजेटियर बने थे और जिनका स्वरूप बहुत विकृत था उनका रूपान्तर स्वतंत्रता संग्राम के प्रकाश में किया जाय और एक सही चित्र उसमें चित्रित किया जाय। तो जब वह सूची तैयार हो जाय। तब हमें विचार करना चाहिये कि इन शहीदों के स्मारक में हमें क्या करना चाहिये जिससे कि वे हमारे भविष्य के लिये प्रेरणादायक हो सकें और हम उनके लिये कुछ कर सकें जिससे कि हमारे मानस को शांति मिले।

*श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव पर श्री नारायणदास पासी का बहुत आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वह ऐसा प्रस्ताव सदन में लाये। इन चार वर्षों में कभी इस प्रकार की चर्चा इस सदन में नहीं हुई। इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ पुरानी बात मुझे याद आई। जब स्वतंत्रता संग्राम तीरों से चला तो बापू उसके अगुवा हुए और जब आगे चले तो सबसे पहला पड़ाव सन् १९२० में पड़ा और उस पड़ाव के बाद हम फिर मंजिल पर मंजिल तय करते चले। सन् २० के पड़ाव में जो लोग थक गये थे उनको हमने अपने कंधों पर बैठा लिया और कहा कि बोलो नेता जी की जय। फिर आगे चले। सन् ३० में दूसरा पड़ाव डाला, दूसरी मंजिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय की और जो उसमें थके उन्हें भी अपने कंधों पर ले लिया। यह वह नेता है जो पड़ावों पर थकते गये और जिन्हें हम कंधों पर लेते चले गये। तीसरा पड़ाव सन् ३२ में डाला और चौथा सन् ४० में और बार-बार बापू से पूछा कि कहां है आजादी का किला। वह यह कहते चले कि आजादी का किला दूर है; तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा; हमें दिखाई पड़ता है; तुम चले चलो हमारे साथ। हम बढ़ते चले उनके साथ।

सन् ४२ की राज्य क्रान्ति आयी। उस क्रान्ति में बापू के इशारे पर सैकड़ों हजारों लोग गोली का निशाना बने, कितनी ही इस देशकी ललनाएं बिना सिन्दूर के हो गईं, कितने ही लाल अनाथ हो गये और न मालूम कितने लोग उस मौके पर शहीद हुए। बहुत से लोगों के यहां से भागकर दूसरे मुल्कों में नेपाल जैसी जगहों में चले गये और बहुत से अन्डर ग्राउन्ड एक मुद्दत तक रहे। उन सब बातोंके बावजूद जब हम आजादी के किले के नीचे पहुंचे तो इस देश के, जो सरकार के खैर-ख्वाह थे वे उस किले की दीवार पर बन्दूकें सजाए हुए थे और हम लोगों ने जब किले को घेरा तो हम पर बेशुमार गोली चली। जिन अगुआकारों को हम कंधे पर बैठाये थे उनसे हमने कहा, देखो हम अपना कंधा ऊंचा करते हैं, १९४६ में ऐसा कहा था और किले के कंगूरों को पकड़ कर अन्दर दाखिल हो जाओ और किले का फाटक खोल दो ताकि हम भी अन्दर दाखिल हो जायं और किले पर कब्जा हो जाय। यह जो सामने बैठे हुए हैं जिन को हम कंधे पर बैठाये थे, जब ये दाखिल हुए तो ऊपर जो लोग बैठे थे उन्होंने एक सेज सजा दी और एक मेज सजा दी। मेज पर मुर्ग मुसल्लम कोफ्ता आदि बढ़िया-बढ़िया खाने का सामान सजा दिया और झुक कर सलाम किया कि सरकार किला आप का हो गया। आजादी आपके हाथ में आ गयी। आप बड़ी मंजिलें तय करते आ रहे हैं, भूखे होंगे, मेज पर बैठ जाइये और भोजन कीजिये। लगे दोनों हाथों से खाने और जब पेट भरा तो नींद आने लगी, दूसरी तरफ़ एक सेज सजी हुई थी उस तरफ़ इशारा किया, आई० सी० एस० ब्रेन बड़ा काबिल था, उन्होंने कहा जरा विश्राम कर लीजिये। सेज पर पहुंचते ही नींद आ गई और भूल गये कि किले का फाटक भी खोलना है। हम बाहर खड़े रहे। १९४७ में आजादी हुई और उसके बाद १९५२ में एक नारा बुलन्द किया, संविधान तैयार हो गया, नई सरकार गणतंत्र की बनी। वह सिपाही स्वतंत्रता संग्राम के जिनके कंधों पर बैठ कर यह नेता आगे चले थे आज भी किले की दीवार के बाहर खड़े मार खा रहे हैं, आज भी पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का वही रवैया है। वे सारे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, जो राजनीतिक पीड़ित बनकर जेलों में गये थे उनको आज पुलिस १०९ में बन्द करती है, नाना प्रकार के अत्याचार उन पर करती है। वे लोग जिन्होंने कभी भी एक तमाचा पुलिस का नहीं खाया था और स्वतंत्रता संग्राम के नजदीक नहीं आये थे, उनको १९५२ में टिकट मिला, विधायक बनाये गये और उसके बाद अगर मेरी बात ग़लत न होगी तो मंत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक दिन भी भाग नहीं लिया होगा कि वह सीन कैसा था।

इसी प्रदेश की बात है। चन्द्रशेखर आजाद जैसा शहीद जिसने पुलिस की गोली का मुकाबला गोली से किया, जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये, आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। उसकी मूर्ति तो दूर रही, उसकी मां अन्तिम दिनोंमें कितनी परेशान रहीं आर्थिक रूप से यह हम सब जानते हैं और हमारी सरकार ने उसकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया। कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने एक बात कही थी कि जिस समय जवाहरलाल जी की महात्मा गांधी की बड़ी बहन से मुलाकात हुई तो उन्हें पहले दिन मालूम हुआ कि महात्मा गांधी के भी कोई बड़ी बहन हैं और जब मालूम हुआ तो उनकी २० रु० की पेंशन मुकर्रर की गई। मुझे तो यह सुन कर बड़ी ग्लानि हुई कि यह हमदर्दी रह गई है स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के साथ। इस प्रकार एक नहीं अनेकों शहीद ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, असेम्बली और संसद में बम डाला, लन्दन तक और असेम्बली तक ऊधम मचा दिया। लेकिन ऐसे लोगों की आज कोई याद करने वाला नहीं है।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

आज दिन मनाया जाता है उनका जिन्होंने पुलिस का एक तमाचा नहीं खाया। इस सदन में जिनको बड़ी-बड़ी सहूलियतें मिली हुई हैं, उनके दिन, जन्म दिन, मनाये जाते हैं। लेकिन जिनके मकान नेस्तनाबूद कर दिये गये, ऐसे भी गांव हैं जहां के लोगों के गांव तथा घर सब खुदवा डाले गये—मेरे यहां लखीमपुर जिले में भोखमपुर और भूलनपुर, दो ऐसे मौजे हैं जिनमें दीवारें खुदवा कर सैकड़ों बोरे नमक के छिड़कवा दिये गये थे ताकि फिर कोई मकान न बनवा सके। न जाने कितने लोग वहां शहीद हुए—आज उन शहीदों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। एक राजनारायण नाम का व्यक्ति भोखमपुर गांव में शहीद हुआ था। उसके नाम से एक स्मारक लखीमपुर में बनवाया गया। लाखों रुपये उस स्मारक के बनवाने में खर्च किये गये, जिसमें से काफी रुपया गवर्नमेंट ने दिया और कुछ चन्दा भी इकट्ठा किया गया लेकिन जो उसमें हजारों ही होंगे, पता नहीं बाकी रुपया कहां चला गया। एक मंत्री जी उसका उद्घाटन करने गये। हजारों, लाखों आदमियों का मजमा था लेकिन उस राजनारायण की बेचारी बेवा स्त्री और उसका लड़का एक दरख्त के नीचे अलग बैठे हुये थे, कोई पूछने वाला नहीं था कि यह राजनारायण की बेवा है और यह उसका लड़का है। आज उसकी बीवी का और उसके लड़के की पढ़ाई-लिखाई का कोई इन्तजाम नहीं है।

श्रीमन्, एक नहीं अनेक शहीदों के बारे में यह कहा जा सकता है कि आज उनका कोई पुरसां हाल नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग जेल गये थे आज उनको हिकारत की नजर से देखा जाता है और यह सोचा जाता है कि उनके क्लेश नाजायज हैं। उनके साथ लोगों को आज हमदर्दी नहीं है। इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको कोई राष्ट्रीय सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र वगैरह दे कर संतुष्ट कर दिया जाय बल्कि उनके लिये कोई ऐसी सुविधा जरूर की जाय ताकि जब तक वे जियें और उनके परिवार के लोगों को जिनको उनके न रहने से दुःख हुआ है, उनको हर प्रकार की सहायता दी जाय।

अन्त में फिर माननीय नारायणदास जी पासी को धन्यवाद देता हूं कि यह एक बड़ी अच्छी बात हुई कि चार वर्षों में यह पहला प्रताव इस प्रकार का आया है।

श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पासी जी का रेजोल्यूशन बहुत काबिल कद्र है। जिस खयाल और जिस जज्बे से यह रेजोल्यूशन हाउस में मूव किया गया है उसकी सब को इज्जत करनी चाहिये। १८५७ की जंगे आजादी से वैसे तो हर हिन्दुस्तानी का एक बड़ा जज्बाती ताल्लुक है लेकिन बाज खान्दान ऐसे हैं जिनके बुजुर्गों ने उसमें हिस्सा लिया था और जाहिर है कि जो इलाका और जो जज्बा उनके दिल में मोजजन है वह औरों के दिल में कम हो हो सकता है। यहां इस सिलसिले में बहुत मालूमात देने वाली तकरीर हुई और बहुत से उन खानदानों का जिक्र किया गया जिससे मुझे और आदरणीय सदन के बहुत से मेम्बरान को बहुत काफी मालूमात उन लोगों के बारे में हुई जिन लोगों ने इस जंगे आजादी में हिस्सा लिया था। बाज बड़ी दिलचस्प तकरीरें हुईं। श्री ऊदल ने जिनको पार्टी के नजदीक अगर हिन्दुस्तान की तारीख का तजजिया किया जाय तो जागीरदारों की गालिबन वह आखिरी कोशिश थी जागीरदाराना निजाम को कायम रखने की, उनके फ्यूडल (feudal) राइट्स के लिये जितने जोर शोर से श्री ऊदल ने हाउस में हिमायत की वह काबिले दाद थी।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुए।)

श्रीपाल सिंह साहब ने डिस्क्रिमिनेशन की पालिसी बरतने के सिलसिले में यह फरमाया कि सियासी हकूक के बारे में इस बात का खयाल रखना चाहिए कि जिन खानदानों ने १८५७ की आजादी में हिस्सा लिया उन खानदानों की तो तारीफ करनी ही चाहिए, लेकिन जिन्होंने मुखालिफत की उनकी औलादों को आज भी सियासी हुकूक नहीं मिलने चाहिए।

श्री भूप किशोर (जिला एटा)—आप तो जेल गये नहीं होंगे। आपके पिता जी गये होंगे।

श्री अतीकुल रहमान-- मैं १३-१४ वर्ष की उम्र में १९४२ के मूवमेंट में एक साल तक जेल में पड़ा रहा था। आपको मालूमात नहीं है। जाती बात बेहतर है आप न करें।

मैं यह अर्ज करने वाला था कि श्रीपालसिंह जी और प्रतापसिंह जी ने पोलिटिकल पेन्शंस देने के सिलसिले में यह फरमाया कि यह हुकूमत ऐसे लोगों को जो मुस्तहक नहीं हैं, जिनकी कोठी, बंगले और महल और फैक्टरियां चल रही हैं, उनको पालिटिकल पेंशनें दे रही है। मैं यह नहीं समझा कि ऐसी हुकूमत के हाथ में जो इस तरह से पालिटिकल पेंशनें दे रही है, आप और ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं जिससे फिर आपके नजदीक इंसाफ नहीं होगा, ऐसी हुकूमत को ऐसे अधिकार देना और उस रेजोल्युशन को हिमायत करना मैं नहीं समझा कि कहां तक सही था।

पब्लिक मनी के सम्बन्ध में इस हाउस को बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है। मान्यवर को मालूम है कि इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने जो इक्तदार हासिल किया और इंग्लिस्तान की हुकूमत में पार्लियामेंट का ज्यों-ज्यों असर बढ़ता गया उसकी बुनियाद पार्लियामेंट का फाइनेंशल मैटर्स में कंट्रोल था। पार्लियामेंट के हाथ में चूंकि आमदनी और खर्च का मामला था इसलिए पार्लियामेंट का रफ्ता-रफ्ता इक्तदार बढ़ता चला गया, और इंग्लिस्तान में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कायम हुई। इस चीज को देखते हुए और यह भी मालूम है कि इस आदरणीय सदन को सबसे अहम अधिकार जो है वह आमदनी और खर्च के बारे में है। आदरणीय सदन के सदस्यों को पब्लिक मनी के सिलसिले में आमदनी हासिल करना और खासतौर से खर्चे के सिलसिले में बहुत सख्त होना चाहिए। पब्लिक का एक उसूल है कि एक से लोगों के साथ एक-सा व्यवहार हो। इस सिलसिले में पिगो ने लिखा है---

"Fundamental to the problem of compensation is the principle of equity. This principle in its bearest form asserts that similar persons should be treated similarly by the public powers as by anybody else."

इसका तात्पर्य यह है कि कंपेंसेशन के सिलसिले में जाहिर है हम ऐसे लोगों को जिन्होंने १८५७ की जंगे आजादी में हिस्सा लिया है उनको कंपेंसेट करना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कंपेंसेशन के सिलसिले में इंसाफ का तकाजा यह है कि एक से लोगों के साथ एक-सा व्यवहार किया जाय। इस सिलसिले में बार-बार आदरणीय सदन की तवज्जह इस तरफ दिलायी गयी और सही दिलायी गयी, कि पालिटिकल पेंशन हम देते हैं, १९४२ में और उससे पहले जो गांधी जी ने तहरीकें चलायीं उन तहरीकों में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है हम उनको पालिटिकल पेंशन देते हैं। अब देखना यह है कि आया यह लोग जिन्होंने १८५७ की आजादी में हिस्सा लिया था और उनके आज जो परिवार हैं वह उस उसूल के ऐतबार से एक से लोगों की तारीफ में आते हैं या नहीं।

मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक १९४२ की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का ताल्लुक है, १९३० की आजादी में हिस्सा लेने का ताल्लुक है, १९३२ में और १९२१ में हिस्सा लेने का ताल्लुक है, १९२१ से जितना ही इधर करीब आयेंगे जाहिर है कि यह तहकीक करना कि उसने हिस्सा लिया है या नहीं, आसान है और यह बात कतई तरीके से मुनासिब हो सकती है, यानी यह आदरणीय सदन को भी और ऐडिमनिस्ट्रेशन को भी यकीन हो सकता है कि फलां शख्स ने उसमें हिस्सा लिया था या नहीं और इसकी यह हालत उस बिना पर है कि चूंकि उसने उस आजादी के जंग में हिस्सा लिया था। अब इसमें जो अगर दुश्वारी पेश आयेगी सन् १८५७ वाले में वह यह कि आज १९६१ ई० है। १०० वर्ष से ज्यादा गुजर गये। कहीं पांचवीं पीढ़ी, कहीं छठी पीढ़ी और कहीं सातवीं पीढ़ी चल रही होगी। तो आज सही तौर से उन खानदानों का पता लगाना मेरे नजदीक आसान नहीं, निहायत मुश्किल मालूम होता है। कुछ का, जिनका पता लग जाय, उनके बारे में क्या किया जाय, यह मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन इस समय उस जंग में हिस्सा लेने वालों का सबका पता लगना बहुत ही मुश्किल बात है।

[श्री अतीकुल रहमान]

यह बात कि आज पांचवीं, छठीं या सातवीं पुश्त बाद जो हालत है उस खानदान की वह उसी वजह से है जो सन् १८५७ में उन पर मुसीबत आयी थी, उस जंग में भाग लेने के कारण, यह मालूम होना बहुत ही मुश्किल है। मुमकिन है कि दूसरी या तीसरी पुश्त में किसी वक्त किसी तरीके से तिजारत या और कोई काम करके उन्होंने जायदाद पैदा की हो और वह फिर उसके बाद की पुश्तों में किसी वजह से बिगड़ गई हो, इसलिए यह जाहिर है कि इस बात का पता लगना बहुत मुश्किल है कि उनकी यह हालत आजादी के जंग में हिस्सा लेने के कारण हुई या किसी और तरह से हुई। ऐसा कोई पैमाना दरियाफ्त करना जिससे कि यह मालूम हो जाए कि कौन-कौन वे खानदान हैं जो कि महज सन् १८५७ की विपत्ति की वजह से ऐसी हालत में हैं, मेरी समझ से आसान नहीं है, उसमें बहुत-सी दुश्वारियां हैं।

दूसरे यह कि किसको कितना दिया जाय, किसकी जायदाद कितनी थी, इसमें भी मुख्तलिफ राय मिलेगी। कुर्बानी के मुताबिक दिया जाय या जिसकी जायदाद जितनी रही उसके मुताबिक दिया जाय, इसका भी कोई उसूल आपको कायम करना होगा, इसमें भी आपको इख्तलाफ रायें मिलेंगी। तो इस सबका नतीजा यह होगा कि एक सेक्शन में हुकूमत अपनी तरफ से एक बेचैनी पैदा कर देगी। उनमें यह ख्याल पैदा होगा कि उन्हें तो इतना मिला, हमें इतना मिलना चाहिए था, इस तरह से एक क्लास हुकूमत से डिस्सेटिस्फाइड होगा बिला वजह। और फिर जैसा कि कुंवर श्रीपाल सिंह साहब ने या प्रताप सिंह जी ने कहा, कि यह अलग इल्जाम होगा कि फलां कांग्रेसी को परवरिश कर दी या फलां को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दे दिया। अभी तक तो पोलिटिकल्स सफरर्स के सिलसिले में जो ४२ और ३० के पोलिटिकल सफरर्स थे उन्हीं के सिलसिले में था, अब आइन्दा को, इनके सिलसिले में भी यही बात शुरू हो जायगी।

तो सवाल यह है कि किया क्या जाय? क्योंकि यकीनन जज्बा बड़ा जबर्दस्त है, इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने बड़े ही जोश और खरोश के साथ अपने जज्बात जाहिर किये हैं, हालांकि अपोजीशन की तरफ से एक दो लोग ही बोले हैं। तो मेरी अर्ज यह है कि एक तो इस रिजोल्यूशन को पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता हुकूमत जिलों में गजेटियर जो बना रही है उनके जरिये से या जहां तक आजादी की लड़ाई के सम्बन्ध में तहकीकात की गई है उनके जरिये से या आदरणीय सदन के मेम्बरों से या दूसरे जिम्मेदार लोगों से जो भी कहीं इस किस्म के किसी शख्स के बारे में तवज्जह दिलाई जाय कि फलां शख्स ऐसे हैं कि जिन्होंने यह कुर्बानी की थी और आज वह तकलीफ उठा रहे हैं तो ग्रान्ट है, लोन है, स्कालर्शिप्स हैं, सब्सिडीज हैं, इसके अलावा और बहुत से तरीकों से गवर्नमेंट ऐसे लोगों की मदद कर सकती है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि ऐसे खानदानों की जरूर देखरेख होनी चाहिये और उनकी निगरानी होनी चाहिये और हुकूमत को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इस रेज्योलूशन को पास करने की आवश्यकता नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मान्यवर, मैं माननीय नारायणदास जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं हालांकि मुझे इस बात का भय है कि वह अपने प्रस्ताव को कहीं वापस न ले लें फिर भी मैं अपने विचार प्रकट करना आवश्यक समझता हूं।

अभी हमारे एक मित्र ने भाषण दिया। हमको ऐसा लगा कि उन्होंने पूरे प्रस्ताव को पढ़ा नहीं है। उनकी जानकारी के लिये मैं इसको पढ़े देता हूं कि प्रस्ताव के अन्दर क्या कहा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि "उनको राष्ट्रीय सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र दिये जायें और राजनीतिक पीड़ितों की भांति आवश्यक सुविधायें दी जायें"। इस प्रस्ताव के दो पहलू हैं। मैं समझता हूं कि जो सारी बहस हमारे दोस्त ने की है उसमें सारी बहस के पीछे, जो बुनियाद है, उसकी तरफ उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना ध्यान उनको देना चाहिये। मान्यवर, यह सवाल आज हमारे सामने नहीं है किन्तु दुनिया में जब किसी मुल्क में कोई ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है तो जो लोग शासन में आये हैं यह प्रश्न उनके सामने रहा है कि जो लोग

पहले हमारे विरोध में थे उनके साथ कैसा व्यवहार करें और उस देश की क्रान्ति में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। जो, अप्रजातान्त्रिक देश रहे हैं और जिनका प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रहा है उन लोगों ने अपने विरोधी लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया है, उनका कत्ले आम किया है, जैसा कि रूस वगैरह में हुआ।

दूसरी जगह जिन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लिया है और जब वे शासन में आये हैं तो अपने लोगों की उन्होंने सहायता की है। जब कोई क्रान्ति नाकायाब हो जाती है तो क्रान्तिकारियों को गदर करने वाला कहा जाता है और जब कोई क्रान्ति कामयाब हो जाती है तो उनको क्रान्तिकारी कहा जाता है। सन् १८५७ में उसको इसीलिये गदर कहा गया था क्योंकि उस समय हमारी लड़ाई कामयाब नहीं हुई थी।

मान्यवर, आज इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है वह यह है कि क्या जिन लोगों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया है उनका उचित सम्मान करना चाहिये या नहीं? मुझे प्रसन्नता है कि स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू की सेन्टिनरी मनाई जा रही है। बड़ा सन्तोष होता है इसको देखकर लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू यदि इतने भाग्यशाली न होते कि उनका पुत्र इस देश का प्रधान मन्त्री होता तो मेरा यह विश्वास है कि स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू की सेन्टिनरी सारे देश में न मनाई जाती और उनके नाम पर मोतीलाल नेहरू सोसायटी जैसी बड़ी संस्था आज खड़ी न होती। लाल, बाल, पाल जैसे महान् व्यक्ति किसी देश में जल्दी नहीं होते जिन्होंने हमारे देश में महान् त्याग और कुरबानी की है। इस देश में और भी बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतना त्याग किया है कि जिनका नाम इतिहास में शुमार होना चाहिये और जिनकी सेन्टिनरी मनाई जानी चाहिये लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती से जिन लोगों के पीछे व्यक्तिगत रूप में कुछ दिलचस्पी है उन लोगों का ही सम्मान हो रहा है। फिर भी हमें इस बात के लिये सन्तोष है कि कुछ लोगों का सम्मान हो रहा है। मैं व्यक्तिगत उदाहरण कम पेश करना चाहता था लेकिन हमारे मित्र को बोलने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई। उन्होंने यह कहा कि बहुत से लोगों को फांसी पर लटकाया गया। बहुत सी ऐसी घटनायें हैं। कुछ लोगों को जायदाद भी मिली थी और वह इस वजह से मिली थी कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था।

मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता लेकिन एक सरदार नगर है। मुझे अवध के इतिहास की खासतौर से जानकारी नहीं है लेकिन जिन लोगों की जायदाद ली गई उनके खानदान वालों के साथ कैसा व्यवहार हुआ इसका यह एक उदाहरण है। सरदार नगर में सरदार सुरजीतसिंह मजीठिया के परिवार को शहीद बन्धुसिंह की सारी जायदाद दे दी गई जिस पर आज फैक्टरी और एक आलीशान भवन खड़ा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के कारण बाधा हुई जिसके कारण बन्धु सिंह के परिवार को जायदाद नहीं लौटाई जा सकी? १८५७ में शहीद बन्धुसिंह ने देशभक्तों का और स्वतंत्रता के लिये काम करने वालों का साथ दिया था तो उनकी सारी जमीन मजीठिया को दे दी गई। इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो उससे सारा दृष्टिकोण समझ में आ जाता है। अभी शिवप्रसाद नागर जी संकेत कर रहे थे, मुझे भी याद आ गया कि एक राजनारायण जी मिश्र, जो लखीमपुर के रहने वाले थे, उनके एक पट्टीदार थे माखनलाल जी मिश्र। राजनारायण मिश्र १९४२ के आन्दोलन में थे। दो महीने पहले की बात है कि माखनलाल जी मेरे कमरे में मुझसे मिलने आये। मैंने पूछा कि राजनारायण जी के बच्चों का क्या हाल है उन्होंने बतलाया कि उनका लड़का १९ साल का हो गया है और ९ वें दर्जे में पढ़ता है। देहात में वैसे ही बड़ी गरीबी है और दूसरे उसकी पढ़ाई-लिखाई का कोई खास इंतजाम नहीं है। उन्होंने उस बच्चे को स्कालरशिप दिलाने की बात भी कही, जो हजारों, सैकड़ों विद्यार्थियों को मिलती है।

[श्री गौरी शंकर राय]

मान्यवर, इतना मैं जरूर करूंगा, तर्क के आधार पर नहीं, सेंटीमेंट के आधार पर, कि यह बात सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। हमने राजनारायण जैसे शहीद का नाम बहुत दिनों तक लिया। यह वह देश है कि राजनीति के मैदान में तो जरूर शहीद के नाम का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उसका कोई पुरसां हाल नहीं रहता। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वे कांग्रेस की सीमा से ऊपर थे, लेकिन चुनाव में महात्मा की लाश का इस्तेमाल होता है, चुनाव में राजनारायण की लाश का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके बच्चों को स्कालरशिप देने तक की व्यवस्था नहीं है। वह स्कालरशिप का समय समाप्त हो गया था इसलिये मंत्री जी से मैं मिला नहीं, लेकिन मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर सरकार नहीं देती है तो इस तरह से उसका इंतजाम किया जा सकता है, इस तरह के एक आध लोगों के लिये। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार मान्यता कुछ ही लोगों को देती है।

मेरे एक मित्र कह रहे थे कि जो लोग पहले पोलिटिकल नहीं थे वे सियासत में हिस्सा न लें। यह तो मैं नहीं कहता लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिनके बापदादों ने अंग्रेज का साथ दिया, उनको तो हम गुनहगार न मानें, लेकिन जो लोग मौजूद हैं और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, रायसाहब और रायबहादुर बने रहे, उनको कांग्रेस की जमात में, जिसकी आजादी की लड़ाई ही एक मात्र पूंजी है, प्रामिनेंस नहीं मिलनी चाहिये। रायसाहबों और रायबहादुरों को कांग्रेस में प्रामिनेन्स नहीं मिलनी चाहिये। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े उदार नेता हैं, उनका दृष्टिकोण भी उदार है। उनके लिये सर गिरजाशंकर बाजपेयी सन्मान के पात्र हो सकते हैं। वे आज स्वर्गीय आत्मा हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आजादी की लड़ाई के विरोधियों में उनका सर्वोच्च स्थान था। सरकार माने या न माने, किन्तु प्रस्ताव उसके सामने है। सरकार फाइनेंस की बात लेकर प्रेस करे या कोई दलील देकर बहस करके प्रस्ताव गिरवा दे, लेकिन उससे मेरे जैसे लाखों आदमियों के दिलों पर चोट लगेगी। सर गिरजाशंकर बाजपेयी जैसे लोगों को सम्मान देने में हम जैसे लोग तकलीफ ही पायेंगे। जो कल रायबहादुर थे, रायसाहब थे, हम लोगों को पकड़वाते थे, जेल भिजवाते थे, आज उनको प्रामिनेन्स मिले, यह बात उचित नहीं समझ में आती।

जनसंघ की बात मैं नहीं करता, उसका तो जन्म ही आजादी के बाद हुआ है, लेकिन कम्युनिस्ट भाइयों से अक्सर कहा करता हूं कि उनकी पार्टी में आजादी की लड़ाई के सच्चे सिपाही रहने चाहिये। (व्यवधान) मैं यह नहीं कहता कि इस तरह के लोग न आयें लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अंग्रेज का साथ दिया वे अगर आज प्रामिनेन्स में आते हैं, हुकूमत में बड़े पदों पर दिखायी देते हैं तो सेंटीमेंट्स को चोट लगती है। अब अगर नवल किशोर जी समझते हैं कि उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिये, तो दें, लेकिन मैंने अपनी राय दी और यह राय का सवाल है। मेरे जैसे लोगों से इस मामले में उनका मतभेद रहेगा और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी अगर ऐसे लोगों को प्रामिनेन्स मिलेगी तो मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो उसमें अपनी सहमति दूंगा और मैं इस हाउस में कह सकता हूं कि उसके लिये हमें तकलीफ है। तो देखना यह है कि हमारा दृष्टिकोण क्या हो।

पोलिटिकल सफरर्स को पेंशन मिलती है और उसका राजनैतिक इस्तेमाल होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको पेंशन मिली है और जिन्होंने एक दिन के लिये भी जेल का दरवाजा नहीं देखा। मुझे मालूम है और मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना वह बड़े आदमियों के सम्मान का प्रश्न बन जायगा, लेकिन ऐसे ऐसे उनके रिश्तेदार हैं कि जो सदा शासन सभाई रहे, लेकिन उनको पोलिटिकल पेंशन मिली। मैं अतीकुल रहमान जी से जानना चाहता हूं कि जब कुल तीन साल का मामला है तो जेल का रेकार्ड देखने में दिक्कत क्या है। सवाल सारे मामले को देखने के दृष्टिकोण का है। मान्यवर, मैं उन लोगों में से हूं जो यह चाहते हैं कि विरोधियों को फांसी न दी जाय, लेकिन जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में उचित हिस्सा लिया है, उनका उचित सम्मान होना चाहिये।

आज कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें फाइनेन्स पर असर न पड़ते हुए भी आप उसको कर सकते हैं। जो हमारे बाप-दादा सन् १८५७ में अंग्रेजों की मदद करते थे, उनको जायदादें मिली हुई हैं, वे उनके पास हैं। इसके लिये आप यह भी कह सकते हैं कि अब तो जमींदारी खत्म हो गयी है, इसलिये जायादादें भी खत्म हो गयीं, लेकिन श्रीमन्, हर साल उसका कम्पेन-सेशन उनको मिलता है। जो भी लोग उससे फायदा उठाते रहे हैं, मुझे उनसे घृणा नहीं है, किन्तु समाज के प्रत्येक युग में बदलाव हुआ है लोगों की कुछ मान्यतायें रही हैं, उन लोगों की भी रही होंगी। इतिहास के लिखने वाले जरूर इस बात को देखें कि युग के साथ-साथ उसमें कुछ परिवर्त्तन भी हुआ या नहीं। राजनैतिक परिवर्त्तन तो हुआ है, मगर सामाजिक और आर्थिक परिवर्त्तन भी होना चाहिये और लोगों को कुछ तो महसूस होना चाहिये। आज भी वे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारी खिलाफत की। आज भी लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी जी की मजाक बनाया करते थे और आज वे लोग चमकदार खादी की धोती और कुर्त्ते में नजर आते हैं।

मैं यह नहीं कहता कि सारा पब्लिक एक्सचेकर राजनैतिक पीड़ितों को दे दिया जाय, उनको कोढ़ी बना दिया जाय, उनसे कोई काम न लिया जाय, पैसा ही उनको दिया जाय, यह मैं नहीं चाहता और यह उचित भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को ऐसा समझते हैं कि अगर उसने पालिटिक्स में भाग न लिया होता, पोलिटिकल सफरर न होता, तो आज की स्थिति से कहीं अच्छा होता, वह अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकता होता जिसको कि पूरा करने में वह आज असमर्थ है, तो आज उसकी नीड्स को पूरा करने का धर्म इस सरकार का है और ऐसे लोगों की सरकार को मदद करनी चाहिये। इसके लिये अगर कोई फाइनेन्स रूल्स की धारा भी बीच में आती हो, तो उसे भी आपको हटाना चाहिये और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे काम चल नहीं सकता।

एक बात यह कही गयी कि ऐसा करने में बहुत-सी दिक्कतें सामने आयेंगी और कैसे वह व्यक्ति पहचाना जा सकेगा। चूंकि इस संबंध में कोई बिल हमारे सामने विचाराधीन नहीं है और अभी कोई डिटेल में बहस भी नहीं हो रही है, इसलिये मैं उन डिटेल की बातों में नहीं जाना चाहता। किसको पोलिटिकल सफरर माना जाय, इसकी भी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा और वह यह कि सरकार को इस संबंध में अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जिन लोगों ने भी अपने देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर किये हैं उनको कुछ सम्मान अवश्य दिया जाय। अगर ऐसा करने में भी पैसे का सवाल हो, इसमें भी कुछ पैसा खर्च होता हो, तो किया जाय, लेकिन जिसमें पैसा खर्च करने की बात नहीं हो उसको तो शीघ्र किया ही जा सकता है। मैं समझता हूं कि अगर यह भी आप नहीं करते तो भले ही सरकार आज किसी को कुछ कहने न दे, मगर इतिहास लिखने वाले जरूर इसकी आलोचना करेंगे।

श्रीमन्, मैं तो उन लोगों में से हूं जिनका यह विश्वास है कि आज की स्थिति में जिन लोगों की परीक्षा आजादी की लड़ाई में नहीं हुई है वैसे लोगों को डिफेन्स मिनिस्ट्री जैसा स्थान नहीं मिलना चाहिये, जैसे कृष्णा मेनन साहब। मेरी राय में देश में उप-राष्ट्रपति का पद श्री राधा-कृष्णन् जैसे विद्वान को न देकर स्वतंत्रता संग्राम के किसी सिपाही को मिलना चाहिये था। किसी देश में राष्ट्र संचालन का काम ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता जो सबसे विद्वान हों और डिग्री रखते हों बल्कि उनको दिया जाता है जो मर्यादा के अनुकूल हैं।

माननीय नवलकिशोर जी प्रशिक्षित हैं, वे आजकल में मिनिस्टर भी होने वाले हैं किन्तु यह सवाल उस समय नहीं था जब बहुत से लोग जेल गये थे। बहुत सारे लोग गये थे। तो जो निःस्वार्थ भाव से लड़े वह तो ये लोग थे और दूसरी ओर राजनीति में वह लोग आये जब बादल फट गया, बारिश का खतरा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई थप्पड़ तक मारने वाला नहीं है, तब यह लोग घुस पड़े और हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। तो हमें दोनों प्रकार के राजनीतिज्ञों में फर्क करना पड़ेगा और अगर दोनों में फर्क करना सरकार ने नहीं सीखा तो

[श्री गौरीशंकर राय]

इतिहास इन लोगों के लिये क्या कहेगा ? मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसके पीछे जो भावनायें हैं उनका समर्थन करता हूं, यद्यपि मुझे भय है क्योंकि बदकिस्मती से इस प्रस्ताव के पेश करने वाले भी सज्जन हैं वे सरकारी पक्ष के हैं और जब उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर मैंने अभी माननीय गौरीशंकर राय जी के भाषण को सुना । जहां तक इस प्रस्ताव की भावना है और इसके पीछे जिन भावनाओं का समावेश है मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सदन में नहीं होगा जो उससे सहमत न हो । केवल प्रश्न यह है कि इसके पीछे जो मांग की गयी है वह कहां तक व्यावहारिक है। माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि जो आजादी के सिपाही हैं उनको उचित सम्मान मिलना चाहिये । मैं उनसे सौ फीसदी इत्तिफाक करता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि यह हमारे देश और प्रदेश के लिये महान कृतज्ञता होगी, अगर हम १८५७ के जो वीर सेनानी थे, जिन्होंने अपने देश की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके प्रति पूर्ण सम्मान न व्यक्त करें । तो जहां तक सम्मान व्यक्त करने की बात है इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन सिपहसालारों और सिपाहियों, जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया है, उनके नाम देश के इतिहास के अन्दर स्वर्णाक्षरों में लिखे गये हैं और लिखे जायेंगे ।

लेकिन मैं उनसे इस बात में इत्तिफाक नहीं करता हूं कि आजादी के सिपाही का बेटा भी आजादी का सिपाही हो । यह आवश्यक नहीं है। ऐसी मिसालें भी मिल सकती हैं कि उन सिपाहियों के जिन्होंने देश के लिये अपना सब कुछ बलिदान किया है उनके लड़के जो पैदा हुए उन्होंने ऐसे काम भी किये हैं जो इस देश के लिये घातक सिद्ध हो सकते हैं और हुए हों ।

एक सदस्य---एकाध मिसाल ?

श्री नवलकिशोर---मिसाल के लिये तो मैं इस समय नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैंने तो यह कहा है कि यह बात हो सकती है । आपका जब मौका आवेगा तब आप भी कह लीजियेगा । मैं जानता हूं कि आजादी की जंग में आपने कितना हिस्सा लिया है । तो मैं यह कह रहा था कि यह बात हो सकती है और गवर्नमेन्ट के सामने यह कठिनाई है कि आज जब उनकी पीढ़ी, छः पुश्तें बीत चुकी हैं आज अन्दाज लगाना कि कौन से लोग किस पुश्त में देश भक्त रहे और कौन नहीं और किसको कौन चीज दी जाय, यह प्रैक्टिकली बल नहीं है।

दूसरे जो लिस्ट की बात कही गयी वह बात सही है कि कानूनी दिक्कतें हैं। जिन लोगों की जायदादें जब्त हुईं वह इतने समय के भीतर न जाने कितने हाथों के बीच में गयीं और कहां-कहां से गुजरीं । गौरीशंकर राय जी ने जमींदारी खत्म होने के समय की बात कही । उस समय भी गवर्नमेन्ट के सामने यह मसला था और इन्हीं दिक्कतों की वजह से कि लाइनियल डिसेंडेंट (Lineal descendent) किसको माना जाय, वह कितने हाथों से ट्रांसफर हुआ इसी तरह की कई दिक्कतें सरकार के सामने थीं । इसी वजह से उन्होंने उस समय उस आइडिया को छोड़ दिया ।

यह बात सही है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मिसाल ले लीजिये---झांसी की रानी थीं, उनके एक रिश्तेदार थे उनको गवर्नमेन्ट पेंशन देती थी और जब तक वह जिन्दा रहे उनको पेंशन मिलती रही । जहां तक मुझे याद है उनको ७५ रुपये माहवार मिलता था जो उनके मरने के बाद बन्द हुआ । इसी तरह से हमारे महान सेनापति तांत्या टोपे थे । उनके कोई भतीजे या रिश्तेदार थे उनको पेंशन मिलती थी । इसी तरह से आजमगढ़ के कोई नवाब साहब थे उनके रिश्तेदार को मिलती है । ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हो सकती हैं । लेकिन आज अगर यह आशा की जाय और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि उनको प्रमाण-पत्र दिये जायं, तो प्रमाण-पत्र तो उनको दिया जा सकता है जिसने स्वयं हिस्सा लिया हो, जो सेनानी रहा हो । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई ऐसी लिस्ट बन सकती हो कि जो जो देश की आजादी के लिये

मरे हों उनकी हिस्ट्री बनायी जानी चाहिये और उनके बड़े बड़े स्मारक बनने चाहिये। ऐसे स्मारक बने हैं, १८५७ के, जैसे कि रानी झांसी का और तांतिया टोपे का बन रहा है। लेकिन पांचवीं, छठी पुश्त के बाद गौरीशंकर राय जी इत्तफाक करेंगे, यह हो सकता है कि वह आदमी जनसंघ में हो, कम्युनिस्ट पार्टी में हो, तो क्या वह पसन्द करेंगे कि उनके लिये यह सर्टिफिकेट दे दिया जाय ?

श्री गौरीशंकर राय--हमको आपने समझा नहीं।

श्री नवलकिशोर--तो आपने यह नहीं कहा ? ठीक है, तब तो आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं। अब इसके अन्दर प्रैक्टिकल कठिनाई की बात है। कहा गया कि उनको सेंटीमेंटल तकलीफ पहुंचती है जब कि जिन्होंने स्वतंत्रता की मुखालिफत की उनको बहुत कुछ सम्मान मिलता है। मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी उस आजादी में हिस्सा लिया है उनमें से बहुत से लोगों के खयालात और भावनाएं इस तरह की होंगी और वह सही है, लेकिन शायद गौरीशंकर राय जी इस बात को भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी अपने ढंग की एक अजीब किस्म की आजादी हमको हासिल हुई। गौरीशंकर राय जी, अब आप उनकी बात तो बाद में सुनियेगा ....

श्री अधिष्ठाता--आप इधर को मुखातिब होकर कहें।

श्री नवलकिशोर--मैं आपके द्वारा ही कह रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि यह बात सही है, जो आपकी भावनाएं हैं, मगर जब आपने देश की आजादी को हासिल किया अंग्रेज से समझौता करने के बाद, तो वह आपने कोई महाक्रान्ति के बाद हासिल नहीं की थी। आपने संघर्ष किया, लेकिन वह अहिंसात्मक ढंग का था, अनोखा था। हिंसात्मक संघर्ष के बाद जो देश आजाद होते हैं उनमें पुराना ढांचा बह जाता है और खूनी क्रान्ति के बाद मुखालिफत करने वालों को फांसी हो जाती है। यहां कोई तानाशाही तो हुई नहीं है, आपने जनतंत्र को माना है। जिस तरह से उनको ठेस लगती है, मैं भी समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है कि उनको कोई इनाम दिया जाय जिनका संबंध देश की आजादी से नहीं था, लेकिन इसमें हमारी कठिनाई क्या है ? कठिनाई यह है कि जब हमने जनतंत्र को मान लिया है तो किस तरह से ऐसे लोगों को एलिमिनेट करेंगे ?

दूसरी बात यह है कि यह मामला बहुत कुछ पर्सनल अप्रोच का हो सकता है। हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसी बात को दूसरी तरह से सोचे और गौरीशंकर राय जी दूसरी तरह से सोच सकते हैं। उन्होंने दो व्यक्तियों का नाम लिया--डा० राधाकृष्णन और मेनन साहब का। मैं समझता हूं कि मुनासिब यह होता कि ये नाम न आते। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि मैं मेनन साहब को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता हूं। जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, मैं स्टूडेंट था तो मुझको याद है कि जो इंगलैण्ड के अन्दर इंडिया लीग थी, हम उसके तरीके से इत्तफाक करें या न करें, यह दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की आवाज को, इंडिया लीग के द्वारा इंगलैण्ड में उठाया था। राधाकृष्णन जी का जहां तक संबंध है, उनको राष्ट्र विरोधी मानने के लिये कोई तैयार नहीं होगा।

उन्होंने एक बात यह कही कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति और उसका उपराष्ट्रपति वह व्यक्ति हो जो आजादी का सिपाही रहा हो, मैं इत्तफाक करता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आपने एक जनतंत्र को माना है, तो सिपाही की बात रही नहीं। फिर तो यह बात है कि जनतंत्र के हिसाब से कौन आदमी किस तरह से वोटों के द्वारा चुना जा सकता है, यह प्वाइंट है। फिर एक बात यह है कि जनतंत्र जहां होता है तो मनुष्य की मानसिक मनोवृत्तियां दूसरी होती हैं और तानाशाहियत के अन्दर दूसरी होती हैं। तानाशाहियत में यह होता है कि विरोधी आदमी को लीक्विडेट करो और जनतंत्र में होता है कि परसुवेड करो, उसको खींचो, अट्रैक्ट करो और

[श्री नवलकिशोर]

अपनी ओर करने की कोशिश करो। डा० राधाकृष्णन तो सौभाग्य से इस देश के ही नहीं, विश्व के विख्यात दार्शनिक, लेखक तथा विचारक हैं। बहरहाल, मैं व्यक्तियों के बीच में नहीं जाना चाहता। जहां तक जजबात की बात का संबंध है, मैं अपने दोस्त को यकीन दिलाता हूं कि हमारे जजबात उनसे कम गरम नहीं हैं लेकिन व्यावहारिक तौर से भी उनको देखना होता है। हमने जनतांत्रिक पद्धति को अपनाकर अपने ऊपर कुछ लिमिटेशन्स इम्पोज की हैं जिनके अन्तर्गत ही हमें काम करना होता है।

एक बात यह कही गई कि अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहरलाल नेहरू न होते तो शायद मोतीलाल जी की शताब्दी न मनायी जाती। इत्तफाक से इस समय रवीन्द्र नाथ जी का कोई लड़का न तो प्राइम मिनिस्टर ही है और न किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ही है। फिर भी उनकी जयन्ती मनाई जा रही है। इसलिये मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। हमारे यहां कुछ हस्तियां आउटस्टैंडिंग थीं, जिनमें से पं० मोतीलाल जी भी हैं लिहाजा उनकी शताब्दी मनाई गई। गांधी जी की भी हमेशा मनायी जाती है और मनायी जायगी। आउटस्टैंडिंग लोगों की शताब्दियां आप भी मनायें और हम भी मनायें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

एक बात और कही गई। मैं इस बात को मानता हूं और कभी-कभी महसूस करता हूं कि सन् १८५७ को तो १०० साल हो गये लेकिन सन् १९४२ के आन्दोलन में जिन लोगों ने बड़ी-बड़ी यातनायें सहीं उनको उचित मात्रा में कम्पेन्सेशन देना तो बहुत बड़ी चीज है, हम उनको वह स्थान भी नहीं दे पाये जोकि उनको ऐतिहासिक रूप में मिलना चाहिये था। मैं गौरीशंकर राय जी की बात को तो मानता हूं लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। उस समय के जो सेनानी हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो अपनी कीमत को आपकी पेंशनों के द्वारा आंकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने जो त्याग किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। आप उनको कुछ भी दे दें लेकिन आप उनकी कीमत को असेस नहीं कर सकते और न कोई कम्पेंसेशन दे सकते हैं। वह अपनी जगह पर एक अनोखी चीज है। लेकिन फिर भी सन् ४२ के कुछ ऐसे आदमी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके लिये कुछ न कुछ होना चाहिये और सरकार ने उनके लिये कुछ किया भी है। लेकिन जब आप कभी किसी को कम्पेंसेशन देने की बात कहेंगे आर्थिक सहायता देने की बात कहेंगे तो आपको कोई नियम बनाने पड़ेंगे, कि उसके बेटे को दें, या उसकी बेटी को दें या उसके भतीजे को दें क्योंकि आपके साधन सीमित हैं। यही कारण था कि सन् ४२ में जिन लोगों ने त्याग किया था उनके लिये इस बात की कोशिश की गई कि उनके बच्चों की फीस के मामले में कुछ न कुछ सरकार इम्दाद करें। यह दूसरी बात है कि पूरी इमदाद न हो सकी हो। मेरे कहने की खास मंशा यह है कि १८५७ के शहीदों का मसला महत्वपूर्ण अवश्य है मगर मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकेबिल चीज नहीं है। सन् १९४८ में जब यहां पर पं० पंत हमारे मुख्य मंत्री थे तब भी उनके सामने यह प्रश्न आया था तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जहां तक भावुकता और सेन्टीमेंट्स का ताल्लुक है हम किसी से पीछे नहीं हैं लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण १८५७ के शहीदों के परिवारों को पोलिटिकल सफरर्स की लिस्ट में शामिल करना संभव नहीं है। इसी कारण से सन् १९४८ में भी इस प्रश्न पर कोई फैसला नहीं हो पाया था।

मान्यवर, जिस प्रकार से मैंने एक बात यह कही कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी आजादी के सिपाही का लड़का भी सिपाही हो उसी तरह से यह भी आवश्यक नहीं है कि १८५७ में जिन्होंने गद्दारी की हो उनका लड़का आज गद्दार ही हो। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों ने १८५७ में गद्दारी की उनके परिवार वाले देशभक्त निकले और पी० एस० पी० और कांग्रेस के अन्दर आज हैं।

एक शिकायत यह की गई कि जो बड़े-बड़े खानबहादुर और रायबहादुर थे वे कांग्रेस पार्टी के अन्दर दिखाई पड़ते हैं। मैं मान्यवर, जब बिना चश्मे के देखता हूं तो मुझे वह इधर भी दिखाई पड़ते हैं और पी० एस० पी० के अन्दर भी दिखाई पड़ते हैं। यह बदकिस्मती है कि माननीय गौरीशंकर राय जी उनको पी० एस० पी० से एलीमिनेट करने में कामियाब नहीं हुए और न हो सकते हैं क्योंकि हमने जनतांत्रिक पद्धति अपनाई है। जब आपने मेम्बरशिप ओपेन कर दी तो फिर आप किसी को भी किस तरह से रोक सकते हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि खान बहादुर और राय बहादुरों के अन्दर एक बड़ी खूबी यह होती है कि वे हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, अंग्रेज की हो या पी० एस० पी० की हो। तो ये सरकार के साथी होते हैं। अगर उसकी सरकार आवेगी तो वे उनके साथी होंगे।

कांग्रेस पार्टी के अन्दर सभी साथियों का उस हर व्यक्ति के लिये माथा झुकता है जिसने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी की। उन शहीदों के कदमों में हमारा माथा झुकता है जिन्होंने सन् ५७ में स्वतंत्रता की चिनगारी फैलाई। अगर उनको कोई आर्थिक सहायता दी जा सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर प्रमाण-पत्रों का देना संभव नहीं है, उनकी जायदादों का वापिस करना संभव नहीं है। लिहाजा मैं आशा करता हूं कि पासी जी भी सोच समझ कर अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नारायण दास जी पासी का आभारी हूं, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखकर राजनीत में एक नयी मोड़ लाने की कोशिश की है, परन्तु मुझे डर है कि वह कहीं इसे वापिस न ले लें। इसलिये मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपने दल के प्रभाव में आकर जो इस समय सत्तारूढ़ हैं, अपने प्रस्ताव को वापिस लेकर हम लोगों के हृदय को चोट न पहुंचावें।

मान्यवर, चाहे कोई भी स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे सन् ५७ का हो या २०, २१, ३० या ४२ का रहा हो, सभी में हमारे बहुत से जवान, नौजवान फाँसी के तख्ते पर चढ़ाये गये, गोलियों के शिकार बनाये गये, बहुत सी स्त्रियों के सिंदूर पुछ गये और बहुत सी माताओं की गोदें खालीं हो गईं। हमारी बहुत सी माताओं और बहनों के गर्भ गिराये गये। लेकिन जिन लोगों ने त्याग तप किया उनका सही मानों में न तो उपयोग ही हो रहा है और न उनका सम्मान और देश का हित उन मानों में हो रहा है। आजादी के आन्दोलनों में बड़े से बड़े आदमियों ने और छोटे से छोटे आदमियों ने भी त्याग किया। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि इन आन्दोलनों में, इन संग्रामों में, नेताओं और बुद्धिमानों और बड़े आदमियों से उन किसान और मजदूरों का और छोटे आदमियों का त्याग ज्यादा था जो भूखे और नंगे रह कर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। उनके सामने न किसी मिनिस्ट्री का लालच था और न असेम्बली की मेम्बरी थी। उनके सामने कोई स्वार्थ न था। उनके सामने खाली देश की स्वतंत्रता थी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि एक किसान-मजदूर के लड़के का, जो जेल में सड़ा और उसका परिवार भूखा मरा, क्योंकि उनका सहारा वही था, उसका त्याग ज्यादा है बमुकाबले हमारे भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के या हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के। लेकिन हमारा सर लज्जा से नीचा हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि उन लोगों के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पेंशनें तो क्या, उनके लड़कों को वजीफे तक नहीं दिये जाते हैं जो फांसी के तख्तों पर झूले, देश की स्वतंत्रता के लिये।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पेंशन में भी पक्षपात किया जाता है। मेरे जिले प्रतापगढ़ में ३ तहसीलें हैं। हर राजनीतिक लड़ाई में कुंडा तहसील सबसे आगे रही है लेकिन पेंशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्दराम]

में पट्टी और प्रतापगढ़ के मुकाबिले में चौथाई भी नहीं है। कारण यह है कि वहां के सब कार्यकर्त्ता सोशलिस्ट हैं। उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं।

जहां तक सम्मान देने या यादगार बनाने की बात है, उसमें भी भेदभाव हो रहा है। गौरीशंकर राय जी ने बिलकुल सही कहा कि अगर पूज्य मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी के पिता न होते तो उनकी भी यादगार नहीं मनाई जाती। नवलकिशोर जी ने टैगोर साहेब का नाम लिया, लेकिन उनकी यादगार तो साहित्यिक होने के नाते मनाई जा रही है। मैं नवलकिशोर जी से पूछना चाहता हूं कि लाला लाजपतराय, बालगंगाधर तिलक, सी० आर० दास, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, जब मोतीलाल से किसी तरह कम न थे तो उनकी यादगार क्यों नहीं मनाई जाती है? इसलिये सब जगह पक्षपात हो रहा है।

मैं, श्रीमन्, बहुत दिनों से सोच रहा था और आज मुझे मौका मिला है कहने का कि बहुत से स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिये बहुत बड़ी कुर्बानियां कीं और आज भूखे मर रहे हैं चूंकि वे अपनी पेंशन के लिये दरख्वास्त नहीं देना चाहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका कर्त्तव्य था और है कि वह एक जांच कमेटी बैठावे और इस बात की खोज करे कि सन् ५७ से आज तक के स्वतंत्रता संग्रामों में मुसीबत उठाने वाले, जेल में सड़ने वाले, फांसी के तख्तों पर झूलने वाले या गोली के शिकार होने वाले, कौन-कौन हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी को सहायता दी जाय। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बगैर मांगे, बल्कि उनके मना करने पर भी, गवर्नमेंट से उन्हें सहायता मिलनी चाहिये। उनकी यादगार मनानी चाहिये, उनका सम्मान होना चाहिये।

अभी कई तरह से राजाओं और बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया गया। राजा और नेता स्वयं नहीं लड़े। वे नेतृत्व करते थे। जैसा नागर जी ने कहा, हमने नेताओं को कंधों पर ढोया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ४२ का आन्दोलन नेताओं का आन्दोलन ही नहीं था। वे तो बैठे बिठाये गिरफ्तार कर लिये गये और बहुतों ने अपने को खुद गिरफ्तार कराया। वह आन्दोलन नौजवान विद्यार्थियों का और भूखे नंगे किसान मजदूरों का था। तो सम्मान पाने के हकदार वे लोग हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति, खान बहादुर या राय बहादुर नहीं हैं। श्री नवल किशोर जी ने कहा कि राय बहादुर और खान बहादुर तो गवर्नमेंट के खैरख्वाह होते हैं, किसी की भी गवर्नमेंट हो। लेकिन गवर्नमेंट के खैरख्वाह तो जनता के दुश्मन होते हैं और अगर ऐसा है तो वे जनता के दुश्मन हैं, नालायक हैं चाहे वे खान बहादुर और राय बहादुर ही क्यों न हों। अगर ऐसे लोग कांग्रेस के खैरख्वाह हैं तो मैं कांग्रेस को बधाई ही दूंगा!

हमारे जिले में गयादीन कुरमी जेल में मर गया और उसका परिवार भूखों मर रहा है लेकिन उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं रहने वाला जिला बुलन्दशहर का हूं। वहां पर खदोई नामक स्थान का एक अतरसिंह था जिसको जेल में ही तपेदिक हो गयी थी। वह मर गया। अब भी उसका बाप भूखों मर रहा है, कोई सहायता नहीं है। लेकिन पेंशनें किसको होती हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के पिछलग्गू हैं लेकिन जो सोशलिस्ट या प्रजा सोशलिस्ट पार्टियों में हैं उनको पेंशन देने से गुरेज किया जाता है। अगर आप वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो आप एक इंक्वायरी कमेटी बैठाइये और मालूम कराइये कि कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, त्याग किया या बरबाद हुए। अगर उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाय। मैं यह नहीं कहता कि उन लोगों को भी सहायता दी जाय जिनकी आर्थिक दशा अच्छी है!

किसी भी प्रजातंत्री सरकार का यह कर्त्तव्य है कि देश के लिये त्याग करने वालों की सहायता करे लेकिन मुझे दुख है कि जिन लोगों ने आजादी के लिये त्याग और तप किया उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यह कहना गलत है कि चन्द प्रोफेसरों और वकीलों की वजह से देश को आजादी मिल गयी। देश को आजादी मिली गरीब किसानों और मजदूरों की वजह से या

हमारे नेता सुभाषचन्द्र बोस की वजह से लेकिन आज उनका भी जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है। अगर उन लोगों के बारे में जांच करा ली जाय तो कम से कम इतिहास में तो उनका नाम, उनके जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख आ जाती लेकिन जन्म दिन उनके मनाये जा रहे हैं जिन्होंने जेल तक नहीं काटी; अगर किसी बहाने से काटी भी तो ऊंची क्लास में रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको ऊंची क्लास में रहने का क्या हक था ? उन्होंने उस समय असमानता का व्यवहार किया, जब कि उनके दूसरे साथी नीचे की श्रेणी में रह रहे थे वे आराम से ऊपर की श्रेणियों में थे। उनके साथ में उस वक्त भी पक्षपात किया गया और आज भी पक्षपात बरता जा रहा है। इसलिये मेरा एक सुझाव है कि इस बारे में एक कमेटी बनाई जाय इस सदन की जो हर एक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों, त्याग करने वालों की जांच करे और जो जिस चीज का पात्र हो उसको उसी प्रकार से सम्मान प्रदान किया जाय। जिसको सम्मान की आवश्यकता हो उसको सम्मान दिया जाय, जिसको पेंशन की आवश्यकता हो उसको पेंशन दी जाय या उनकी यादगार मनाई जाय। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथी नारायण दास जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को वापस न लें।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह तो आदरणीय सदन को मालूम ही है कि सन् १८५७ का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वह कुचला गया, दबाया गया और दफन किया गया और उसके पश्चात् जो अंग्रेजी सरकार थी, उसकी नीति के अनुसार उस गदर या उस संग्राम का किसी हिन्दुस्तानी के लिये जिक्र करना और उसकी असली हालत को बतलाना, यह उस वक्त की एक बहुत ही कठिन समस्या थी। अगर कोई शख्स उसके बारे में कोई जिक्र कर सकता था तो उस समय की सरकार की मनोवृत्ति के अनुसार ही वह अपनी जबान खोल सकता था। उसके लिये यह कहना दुर्लभ था कि असल में यह स्वतंत्रता संग्राम था और लोगों ने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिये प्रेरित होकर ही यह विद्रोह किया था, उनका नजरिया तो यही था कि यह सिपाहियों का एक विद्रोह था और ये लोग बड़े खराब आदमी थे जिन्होंने कि उस लड़ाई में हिस्सा लिया।

जब तक अंग्रेजी सरकार रही तब तक तो हम उसकी सही शक्ल व सूरत को ठीक तौर से बना नहीं सके और उसकी ठीक तौर पर जांच-पड़ताल भी नहीं हो सकी। लेकिन यह कहना कि जब से स्वराज्य हुआ, उस तरफ हमारी नजर नहीं गई, हमने उसके लिये कोई जांच-पड़ताल नहीं की, हमने उसको सही इतिहास बनाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया, वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत से लेखक इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, और चूंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष का है, इसलिये केन्द्रीय सरकार ने भी इस तरफ कदम उठाया है और उनकी तरफ से एक 'हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट' भी लिखी जा रही है। थोड़ी बहुत वह तैयार भी हो चुकी है जिसको हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर जो इलाहाबाद के थे, और बाद को इरान के एम्बेसेडर हो गये, वे उसे मुरत्तब कर रहे हैं और यहां जो हमारे अंडर सेक्रेटरी डाक्टर रिजवी, एजूकेशन के हैं, वे भी इस के लिये काफी मसाला इकट्ठा कर रहे हैं।

तो जो प्रश्न आज इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, अगर उसे कार्यान्वित करना है, तो जाहिर है कि अगर हम उस ओर कोई कदम उठावें तो कुछ न कुछ चीजें प्रमाणित होनी चाहिये, उसकी सही तसदीक होनी चाहिये, तभी हम उस तरफ कोई कदम उठा सकते हैं। यों तो उस संग्राम के जो नेतागण थे वह बहुत प्रसिद्ध हैं, उन को सभी लोग जानते हैं, जैसे नाना साहब, तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के कुंवर सिंह, अजीम उल्ला खां, अली नकी खां, और फैजाबाद के ही बगल के मौलवी अहमद उल्ला शाह थे। इस तरह के बहुत से लोग थे, इन नेताओं के बारे में हमें मालूम है। कुछ लोगों का जो यह खयाल है कि उस वक्त के यह नेता अपने स्वार्थों

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

को लेकर उस आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे कि उन की कोई जायदादें छीनी गई थीं या उन को कोई नुकसान पहुंचाया गया था, जिस की वजह से वह इस में शामिल हुए थे, यह चीज तो जैसा कि मैंने कहा अंग्रेजों की फैलाई हुई थी लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उस वक्त की जनता को काफी इस बात का ज्ञान हो चुका था कि एक विदेशी हुकूमत उनके ऊपर लगी हुई है जो कि उनकी बरबादी के लिये हुकूमत कर रही है, और वह उसके द्वारा बरबाद हो रहे हैं, उनकी बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके उद्योग खत्म हो रहे हैं। मजहबी मामले भी आये, उन्होंने समझा कि इसाईयों का प्रचार ज्यादा हो रहा है, लोगों को इसाई बनाने की बात हो रही हैं। तो इस प्रकार की बातें हुईं कि जिस से जो जन आन्दोलन था उसका एक विराट् रूप इतने जोरों से फैला कि ब्रिटिश हुकूमत कम से कम पंजाब और बंगाल के बीच का जो खित्ता था वहां थोड़े ही दिनों में खत्म दिखाई पड़ी।

इस आन्दोलन में यह चीज हुई कि जनता ने आन्दोलन में पूरा पूरा साथ दिया और बाज जगह तो ऐसा भी हुआ सिपाहियों की बगावत के पहले ही जनता ने बगावत खड़ी कर दी और आजादी प्राप्त करने में बहुत कुछ कामयाबी प्राप्त की और तब सिपाही उसमें शामिल हुए। मेरा तो यह भी विश्वास है कि अगर पंजाब, राजपूताना और हैदराबाद ने साथ दिया होता तो शायद आज का इतिहास दूसरा ही होता लेकिन दुख है कि वहां उस वक्त कुछ दूसरी ही मनोवृत्ति फैली जिस की वजह से स्वतंत्रता नहीं मिल सकी और सन् १८५७ का गदर नाकामयाब हो गया। यह इतिहास मैंने निवेदन किया लेकिन जो मूल प्रश्न है कि जिन लोगों ने इस संग्राम में भाग लिया उन के लिये हमें क्या करना है। यह तो निश्चित ही है कि जो सेनानी उस वक्त गदर में शामिल हुये और जिन्होंने बलिदान किया वह आज मौजूद नहीं हैं, आज सौ साल से ऊपर हो चुके वह खत्म हो गये और उनकी २-३-४ पीढ़ियां भी गुजर चुकीं। ऐसी दशा में हमारे लिये कोई सम्मान-पत्र किसी को देना सम्भव नहीं है। किस को दें किस को न दें ?

दूसरी चीज यह है कि इतना जमाना गुजर गया अगर कोई सम्मान-पत्र दिया जा सकता है तो उसी को दिया जा सकता है जो कि उस समय बलिदान हुए या उस जंग आजादी में शामिल हुए लेकिन वह अब मुमकिन नहीं है। ऐसी हालत में मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम उनके लिये कोई मेमोरियल खड़ा करें, उनका इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखें, सुन्दर शब्दों में उनके कार्यों का वर्णन करें लेकिन यह जो प्रस्ताव आया है कि उन को प्रमाण-पत्र दिये जांय या सम्मान-पत्र दिये जांय यह तो मैं समझता हूं कि कोई व्यावहारिक चीज नहीं है क्योंकि प्रश्न यह है कि आज जब वह नहीं रहे तो वह किसको दिये जांय और किसको न दिये जांय। इस चीज को थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि जो उन पर आश्रित थे वह अगर मौजूद हों और चूंकि उन्होंने बलिदान किया था, त्याग किया था, उनके जो आश्रित हैं उनका कोई सहारा नहीं रह गया, तो उनके लिये कुछ किया जा सकता है। लेकिन मेरी समझ में शायद उनकी भी तादाद उंगलियों पर गिनने लायक ही होगी वरना इतना समय गुजर गया है कि शायद ऐसे लोग भी कोई मौजूद न हों। अब जो उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी आये उनको इसलिये पोलिटिकल पेंशन दी जाय कि उनके पुरखों ने सैकड़ों वर्ष पहले कुछ काम किया था। उसके लिये तो कोई आधार होना चाहिये। यह कोई आधार नहीं है कि सैकड़ों वर्ष पहले उनके पुरखों ने कुछ किया था इसलिये उनको पेंशन देने लगें। वह लोग तो जैसे कि और साधारण लोग अपनी गुजर करते हैं, उसी तरह वह भी करते हैं।

दूसरी चीज यह आई कि कुछ लोगों की जायदाद छीन ली गई। अभी तक माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी जायदाद छीन ली गई और यह बिलकुल मालूम है कि वह फलां शख्स को दी गई। अगर यह कहा जाय कि वह जमींदारी खत्म हो गई और वह जायदाद कहां पर है तो उन्होंने कहा कि कम्पेंसेशन बान्ड्स मिलते हैं, उस तरफ क्यों नहीं सरकार की निगाह जाती ? तो उसमें भी यह बात है कि कई पीढ़ियां बीत चुकीं और पता नहीं वह पूरी जायदाद उसी खानदान में रही या कहां कहां गई और अगर उसी में रही तो कानून का एक

बहुत साधारण सा मसला है कि जो चीज एक मर्तबा वेस्ट हो जाती है उसे डाइवेस्ट नहीं करना चाहिये। यह हरएक कांस्टीट्यूशन और हरएक राजनीति का एक साधारण सा मसला है और हमारे संविधान में यह है कि बिना मुआवजा डाइवेस्ट नहीं करेंगे। जब वह संविधान बन रहा था तो सब पार्टियां उसमें शामिल थीं, सभी की सहमति से वह बना है, तो आज यह कहना कि सैकड़ों वर्ष से किसी शख्स के पास जो कोई चीज है उसको महज इसलिये कि उनके पुरखों ने उस वक्त भारत माता का साथ नहीं दिया था, डाइवेस्ट कर दिया जाय, मैं समझता हूं यह कोई न्यायसंगत बात नहीं होगी, इसलिये वह भी व्यावहारिक चीज नहीं है, सिर्फ एक भावना जो उठती है उसी लिहाज से कही जाती है।

इस बात से मुझे इत्तिफाक नहीं है जो यह कहा गया कि इस वक्तजो राजनैतिक पार्टियां हैं उनकी सदस्यता खुली हुई है और चाहे राय बहादुर हो या खान बहादुर हो, वह उसका मेम्बर तो बन ही सकता है। इसलिये हम अगर किसी का बड़ा सम्मान करते हैं, किसी ऊंचे ओहदे को देते हैं तो इसमें क्या ऐतराज हो सकता है? मेरी समझ में थोड़ी सी ऐतराज की बात होती है और वह यह है कि आप सदस्य तो बना दीजिये, ठीक है, जनतंत्र है, लेकिन टिकट देते हैं तो इस चीज का खयाल तो करना ही पड़ेगा....

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत देर से सुन रहा हूं, यहां जो बातें कही जा रही हैं। यह चीज सदन के सामने आई, बड़ी अच्छी चीज है। जो वीर थे उनके लिये जो लड़ने वाले थे, अंग्रेजों को भगाने वाले थे, उनका इस सरकार को पता ही नहीं है। इतना पता नहीं कौन जिले से कितने आदमी गोली के शिकार हुए, कितनी माताओं और बहनों का सुहाग गया, कितने भाइयों के हाथ पैर टूटे, कितनी बार जेल गय, सरकार को कुछ पता नहीं। जिसको अपने सैनिकों का पता नहीं वह सरकार गद्दी पर बैठने की हकदार नहीं है।

पेंशन कब मिलती है? जब प्रतिक्रियावादी मंत्री जो जिला कांग्रेस कमेटी का बना दिया है वह लिखता है कि फलां आदमी जेल गया। हम लोग जब जेल जाते थे तो वे लोग बाहर रहते थे। जब हम छूट कर आते थे तो फिर कहते थे गांधी जी की जय। मेरे घर के ११ व्यक्ति, बेटा, बहू, लड़की, भाई वगैरह आजादी की लड़ाई में जेल गये। यहीं लखनऊ कैम्प में हीरावल्लभ, भाई बेदराम का बांया तथा दांया हाथ तोड़ा गया, २४ घंटे तक लगातार पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, पर सरकार को पता नहीं कि पुजारी के भाई, लड़के जो बेकार हो गय, दोनों बाहें टूट गई, कितनी ही दफा जेल गये। मेरी स्त्री, पुत्र-बधू सब ने तकलीफें सहीं। मैंने बीझाहरी को बारदोली कराया जिसके समझौते केलिये महात्मा गांधी जी को आना पड़ा, जिला आगरा में बरोदा को बारदोली कराया, मातायें और बहनें ६ महीने तक गांव छोड़ कर चली गईं। यह सरकार आज टीकाराम पुजारी को और उनके घर वालों को भूल गई, जिन्होंने १९३२ में अंग्रेजों का सामना किया। उस पुजारी के खिलाफ इस सरकार ने चुनाव में एक नवाब को खड़ा किया जो पक्का लीगी था और फिर सरकार डींग भरती है कि हम कांग्रेसी हैं, गांधी जी के चेले हैं। १८५७ में किसानों ने आजादी के खम्भे को गाड़ा था। एक किसान था मंगल पांडेय, गरीब घर का था जिसने १८५७ में आजादी की नींव डाली थी और जो बिना पढ़ा लिखा था।

कानपुर की रंडी ने जिस देश को जगाया था १८५७ की आंधी में, तूफान मचाया रंडी ने, कमजोर और बुजदिलों को बलवान बनाया रंडी ने, सोती हुई महिलाओं को दे लात जगाया रंडी ने, आजादी संग्राम लड़ाई का उपदेश सुनाया रंडी ने, स्वतंत्रता संग्राम में पहला पैर बढ़ाया रंडी ने।

[श्री टीकाराम पुजारी]

जिला आगरा में गढ़ी सैजा की जाटनी ने १९३२ में लगान बन्दी के आन्दोलन में तीन बेटे खोये गोली से, जमींदार कुर्की करा ले गया पुलिस ले करके। लेकिन इस सरकार ने आज तक उस बूढ़ी की खबर न ली। आजादी दिलाने वाले कौन हैं? किसान और मजदूर जो फांसी पर झूल गये। हमारी लड़की सीता बीनती है, हमारी बहन चक्की पीसती है, पुजारी टीकाराम ने धक्के खाये, लेकिन नेहरू जी की बहिन विमान में उड़े, लड़की उनकी कांग्रेस की प्रेसीडेंट हो। वाह रे घर के पड़ोसी, वाह री मतलबी सरकार! आपने सच्चे सिपाहियों को देखा। मैंने क्या देखा——

कृषक और मजदूर का बेटा बिला शस्त्र लड़ते देखा,
तोप, तोड़, तलवारों की भी बाढ़ों में बढ़ते देखा,
बेड़ी पहने चक्की पीसत कोल्हू में चलते देखा,
माता, बहन, बच्चों के ऊपर लाठी बेंत पड़ते देखा,
नाक के बल से रेखा खींची, पेट के बल चलते देखा,
इतनेहू अत्याचारों पर नहीं पीछे हिलते देखा,
राजगुरु, सुखदेव, भगतसिंह हंसि हंसि के मरते देखा,
ऊधमसिंह डायर जालिम की छाती पर चढ़ते देखा,
देशभक्त, सच्चे वीरों का होते हुये कतल देखा,
इन्कलाब का गहरा नारा शीश अलग और धड़ देखा,
मौत के आ जाने पर भी कभी मौत से नहीं डरते देखा,
तिरेसठ दिन तजि अन्न अपनी मरजी ते मरते देखा,
वर्णविहीन समाज कहां जहां छुआछूत बढ़ते देखा,
बड़े आदमी से छोटे को होवा सम डरते देखा,
फीस, किराया, आबपाशी और लगान कर बढ़ते देखा,
लिया दबाकर चकबन्दी किसान को मरते देखा,
कई करोड़ के नये टैक्स की और भंवर बढ़ते देखा,
सहकारिता, सामूहिक खेती के ऊपर अड़ते देखा,
स्वर्गीय वीरों की माताओं को अन्न बिना मरते देखा,
पंडितजी की बहन लक्ष्मी स्वर्ग बीच उड़ते देखा,
अपने सभाई पिट्ठुओं को दिल्ली का टिकट मिलते देखा,
गांधीजी के हत्यारों को फूले और फलते देखा,
इक्के, तांगे में नहिं बैठे मोटर में चलते देखा,
बने मेम्बर बही हाथ में नेता बन फिरते देखा,
टाटा, बिड़ला, कमलापति, नेहरू के गले लिपटते देखा,
पड़ी गद्दों पर झूल सुनहरी, बाघ बंधा मरते देखा,
शेरों की पोशाक पहन कर मृगराज गीदड़ देखा।

मैं कह रहा हूं कि उन वीरों को याद करो, सन् १८५७ वालों को याद करो, यहां के शहीदों को याद करो। २४ हजार किसान और मजदूर लड़ाई में आहत हुए। अरे, कभी उनके यहां एक पत्र तो भेज देते कि तुमने इतने अंग्रेजों को मिटाया। यह भी तुम से न बना।

हम लोगों ने जब अंग्रेज को निकाला था और आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो यह नहीं सोचा था कि हम लोग किसी पद पर जायेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। हमने अंग्रेजों को निकाला और कहा कि राष्ट्रीय झंडे की तरफ अगर कोई आंख उठायेगा और अब भी मैं कहता हूं कि मेरे राष्ट्रीय झंडे की तरफ कोई नजर मिलायेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। हम वह लड़ने वाले हैं। लड़ने वालों को नहीं भूलना चाहिये, उनका खयाल करना चाहिये। उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिये कि कितने लोग बेकार हैं, कितनों के हाथ पांव टूटे और

उस लिस्ट को सदन की मेज पर रखना चाहिये। जो सरकार अपने सैनिक को नहीं भूलेगी वह फलेगी और फूलेगी।

दो तरह के सैनिक होते हैं। एक सैनिक वह होता है जो बन्दूक लेता है। उसे उसी दिन से कपड़ा और खाना मिलता है और नौकरी की मजदूरी मिलती है और एक सैनिक वह होता है कि जब वह इन्कलाब का नारा देता है तो गिरफ्तार होता है, बन्द करके जेल भेजा जाता है, घर की कुर्की होती है। अब दोनों में मुकाबला कीजिये। एक बन्दूकधारी है, उसे कपड़ा मिलता है, बंदूक मिलती है, भोजन मिलता है, लेकिन वह आजादी का सिपाही जेल जाता है, डंडे खाता है, फांसी पर झूलता है, उसकी जायदाद नीलाम होती है। उसकी आप परवाह नहीं करते हैं। ऐसे आजादी के सैनिक को सरकार को कभी न भूलना चाहिये। जो सरकार अपने आजादी के सैनिक का अपमान करेगी वह दुनियां में पतित हो जायगी, कोई रोक नहीं सकता।

एक चीज आपके सामने और कहूंगा। मेरे पुराने साथी हैं। इन्हें मालूम होगा कि क्या होता था आजादी की जंग में? हम क्या कहा करते थे? मर जायेंगे, मिट जायेंगे, पर कुछ करके जायेंगे, पराधीनता को हटा कर देश को स्वतन्त्र बनायेंगे। वह हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। ऐसा न होना चाहिये कि आजादी के सैनिक को पेंशन देने के लिये जो प्रतिक्रियावादी जो कांग्रेस में मंत्री बन गया है, वह हस्ताक्षर करे तब उसको पेंशन मिले। मेरे यहां जो आजादी की जंग में सैनिक लड़े उनको पेंशन नहीं मिली। एक आदमी को पेंशन मिली है जो सरकार की हर वक्त धोती धोता था और चप्पल उठाता था। यह सरकार अब भी होश में आ जाय तो भी खैर है। गरीब को न सताइये। गरीब की हाय बुरी होती है। उसकी रक्षा करनी चाहिये। अपने सैनिकों की पहचान करनी चाहिये। यह कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, १८५७ के गदर के सम्बन्ध में कल से इस सदन में बड़ी चर्चा है। इसमें दो रायें नहीं हैं कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता की वास्तविक क्रान्ति की नींव १९५७ ही थी। यद्यपि अंग्रेज इतिहासकारों ने उसको सिपाही विद्रोह के नाम से अपने इतिहास में संज्ञा दी है लेकिन यह क्रांति महलों से झोपड़ियों तक पहुंची थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सम्बन्ध में कहूं—

इस स्वतन्त्रता महायज्ञ में कई वीरवर आये काम।
नाना, धूंधूपंत, तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम॥
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम॥

कहने का मतलब यह है कि भारत की आजादी की वास्तविक लड़ाई १८५७ का गदर है। यह बात भी नहीं है कि इस गदर के कुचल जाने के बाद देश की स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त हो गया हो बल्कि १८७२–७३ में कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। बाबा लक्ष्मणदास उर्फ बंदा बैरागी के एक सरदार का नाम कूका था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ १८७२–७३ में एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। इसके बाद १९०५ में बंग भंग आन्दोलन में लोगों ने अपना बलिदान दिया जिसमें लार्ड हार्डिंज पर बम फेंका गया। इसी प्रकार और आन्दोलन हुए। इंगलैण्ड में राजपाल ढींगरा ने भारत के लिये अनुचित शब्द प्रयोग करने वाले एक प्रोफेसर को गोली मार दी। इस प्रकार मुल्क के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों नहीं लाखों लोगों ने विभिन्न रूप से अपना बलिदान दिया। इन स्वतंत्रता युद्धों में दो किस्म के लोग इस दुनियां में थे, एक तो बकरी की तरह में में करते हुए मर जाते थे और दूसरे वे थे जो चुपचाप भेड़ों की तरह अपना बलिदान दे दिया करते थे। लेकिन आज तक उनकी कुर्बानी की कोई चर्चा नहीं है। इस प्रकार सन् १९२१ में जब महात्मा गांधी के द्वारा संचालित सत्याग्रह चला तो उसमें भी हजारों आदमियों ने अपना बलिदान किया और सन् ३०, ४० और ४२ की क्रान्ति में भी हजारों मरे और लाखों ने भाग लिया। लेकिन आज

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

उन शहीदों को कोई पूछने वाला नहीं है । सन् ३० में जब कि लगान बन्दी का आन्दोलन चला उस समय हमारे जिले के अन्दर ग्राम पातल, पट्टीगुंजड़ू, तहसील लैंसडाउन के लोगों ने लगान बन्दी की । सन् ३१ तक उन्होंने लगान नहीं दिया । जिसका नतीजा यह हुआ कि ५० आदमियों की एक पुलिस की टुकड़ी लेकर रामरतन सिंह डिप्टी सुपरिंटेंडेन्ट पुलिस नैनीताल से वहां पहुंचे और ३ बजे रात को जाकर उस गांव को घेर लिया । उस घेरे में इस गांव के हर घर के अन्दर सिल बट्टे तक नहीं छोड़े गए । उनकी भेड़, बकरी, गाय भैंस अन्य चल सम्पत्ति सब वह ले गए और उसे ले जाकर सारे गढ़वाल में बेचने के लिए घुमाते रहे, लेकिन किसी ने उनको नहीं खरीदा पशु मर गए और हजारों रुपयों का नुकसान इन लोगों का हुआ । इसके अलावा जुर्माना भी लिया और लम्बी सजा भी उनको हुई, लेकिन आज तक उन लोगों को राजनीतिक पीड़ित नहीं घोषित किया गया जब कि कई दफा उसके संबंध में मैं सरकार को लिख चुका हूं, और इन लोगों से हल्फनामा भी लिया गया है परन्तु फिर भी आज तक उनको राजनीतिक पीड़ित घोषित नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार पेशावर कांड एक प्रसिद्ध कांड है जबकि १९३० में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था । उस समय फर्स्ट गढ़वाली रायफल पेशावर में थी । उसने उन पर गोली चलाने से इन्कार किया । भारत प्रसिद्ध चन्द्र सिंह गढ़वाली उसी बटालियन में थे । वह पूरी बटालियन कैद कर ली गई और उनसे हथियार छीन लिए गए, उनके बच्चों को लैंसडाउन भेज दिया गया और सारी बटालियन हैपटाबाद कैद करके भेज दी गई । उसमें से १८७ आदमियों को सजा हुई और १७ आदमियों को काले पानी की सजा हुई । चन्द्र सिंह गढ़वाली का नाम तो प्रसिद्ध नाम है जो सबकी जबान पर है, लेकिन उसमें और भी कितने ही ऐसे हैं जिनको आज कोई जानता तक नहीं । उनको कोई भी मदद गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई ।

इसी तरह से आजाद हिन्द सेना में भी मेरे जिले के हजारों लोग थे । श्री देवी सिंह राणा, सूबेदार मेजर, सेकेंड इन कमांड थर्टीन गढ़वाल रायफल के थे जो कि आजाद हिन्द सेना से मिल गई थी । इम्फाल के मैदान में जब उनके पास हथियार और गोलियां नहीं रहीं तो उन्होंने बेनटों से काम लिया और उस हालत में भी जबकि अंग्रेजों के टैंकों ने उनको घेर लिया इसी सेकेंड कमांड ने मेन्स को अपने पर बांधा और दुश्मनों के केम्प में घुस गए । वहां उन्होंने आग लगा दी जिससे उनको लाखों रुपये का नुकसान हुआ और हजारों आदमी उनके मरे और यह वीरगति को प्राप्त हुये । इस तरह का त्याग उन्होंने किया । लेकिन मान्यवर, आज आजादी की लड़ाई में जीतकर भी वह हारे हुए सैनिक की तरह जीवन बिता रहे हैं । कोई उनकी देखभाल करने व सुनने वाला नहीं है । नेता जी ने उनसे कहा था कि वीरो, उस तरफ आपकी मातृ-भूमि आपको बुला रही है । अगर हम इम्फाल और ब्रह्मपुत्र को पार करके भारत की भूमि में पहुंच गए तो मेरा जो जवान जहां हाथ रखेगा वह चीज उसकी होगी । लेकिन आज बहुत अफसोस है कि उन सैनिकों की कोई सुधबुध लेने वाला नहीं है । उनको आज भी एक तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है । अप्रत्यक्ष रूप से जो फौज में सरकार के लोग हैं वह उनको सम्मान नहीं देते, उनका हक उनको नहीं देते और सब उनको विद्रोही कहते हैं, कि उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा था ।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं ।)

मेरा कहना यह है कि सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है । आज भी उन लोगों के अन्दर ऐसी भावना मौजूद है कि आज भी उनके सामने नेता जी का नाम ले लिया जाता है तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह नेता जी की याद में इस प्रकार बेहोश हो जाते हैं जैसे किसी मनुष्य को अपनी खोयी हुई किसी चीज की स्मृति आ जाय । और कुछ देर के लिये वह अपने को भूल जाया करते हैं । उनके हृदय में अपने नेता के प्रति आदर है और शुभकामनायें हैं ।

आज भी वह अपने नेता को उसी महान् नेता के रूप में पूजते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे सैनिकों के लिये, जो पेशावर कांड के सैनिक रहे हैं या आजाद हिन्द सेना के सैनिक रहे हैं या कांग्रेस के सैनिक रहे हैं और जिन्होंने देश के लिये सेवा और कुर्बानियां की हैं और जिन्होंने देश की आजादी की इमारत को अपनी हड्डियों से खड़ा किया है और अपने रक्त से सींचा है ऐसे सैनिकों को भुलाना नहीं चाहिये। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों का जब कोई सैनिक मर जाता था तो वे उसका कितना आदर करते थे और किस प्रकार से उसका सम्मान किया जाता था। आज स्वतंत्रता प्राप्त करने पर और स्वतन्त्रता की लड़ाई जीतने पर, अंग्रेजों को अपने देश से निकालने पर हमारे देश में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक लड़ाई जीतने पर भी हारी हुई फौज की तरह से इधर उधर बेरोजगारी में गांवों में पड़े हुये हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो लहर उनके दिल में होनी चाहिये थी वह उमंग और लहर उनके दिल में नहीं है। इसके पहले तो हम यह गाया करते थे कि :

वह दिन कब आयेगा भगवन् जब अपनी ही जमीं होगी और अपना
आसमां होगा। हर नौजवां खुश और खुशहाल होगा।

हमारे यहां नौजवान यह स्वप्न देखते थे कि आजाद होने पर हम खुशहाल होंगे। इसके बाद यह गाया करते थे कि :

क्या हुआ गर मर मिटे अपने वतन के वास्ते,
बुल बुलें कुरबान होती हैं चमन के वास्ते।
हम सरेदार बसद शौक जो घर करते हैं
ऊंचा हो कौम का सर यह सर नजर करते हैं।
सूख जाये न यह पौधा आजादी का,
खून से अपने इसे इसलिये तर करते हैं।
बुजदिलों को ही सदा मौत से डरते देखा
गो कि सौ बार उन्हें रोज ही मरते देखा।
वीर वह हैं जो मौत से डरते ही नहीं।
तख्तये-मौत पर भी बिस्मिल खेल ही करते देखा।

इस तरह से गा-गाकर हम देश के लिये प्रेरणा लिया करते थे। बिना किसी साधन और बिना किसी हथियार के हम सैनिकों की तरह से घूमा करते थे। हमारे पास कोई साधन नहीं था और अपना शरीर छिपाने के लिये कोई आश्रय भी नहीं था। हमारे साथियों के अन्दर ऐसी हिम्मत थी कि हम उसके बल पर यह सोचा करते थे कि जब देश आजाद होगा तो उस वक्त हम इस आजादी की कीमत उनको दे सकेंगे और उन लोगों को खाना, रोजगार, पेन्शन दे सकेंगे, लेकिन आज देखते हैं कि दुनिया के इतिहास में इस तरह से आजादी के सिपाहियों के साथ बेइज्जती का व्यवहार कहीं नहीं हुआ जितना कि इस देश में आज हमको दिखाई देता है। अगर कोई राजनीतिक पीड़ित अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है और उसके लिये सरकार से सहायता चाहता है तो समय पर उसे वह नहीं मिल पाती है। मिनिस्टर साहब के पास आता है। कई एम० एल० एज से लिखाता है फिर भी उसको समय पर लड़की के विवाह के लिये पैसा नहीं मिलता है।

मैं अपने जिले की बात बतलाता हूं कि हमारे यहां एक व्यक्ति हैं जो गढ़वाल में किसी जमाने में लखपति थे और जिनका नाम पं० कृपाराम जी मिश्र है। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति राष्ट्र के लिये अर्पित कर दी थी। आजादी के लिये उनकी सारी सम्पत्ति बर्बाद हो गई लेकिन पेन्शन तो अलग रही उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिये ५०० रुपये की सहायता के लिये सरकार के पास दरख्वास्त दी थी तो वह भी आज तक उनको नहीं मिल पायी। उनकी लड़की का विवाह हुये लगभग एक वर्ष हो गया लेकिन आज तक उनकी दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी प्रकार से बहुत से अनाथ और राजनीतिक विधवायें हैं जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत है और उनको सहायता मिलनी चाहिये, लेकिन सरकार की तरफसे

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। १८५७ की बात छोड़ दीजिये। उस इतिहास का तो ठीक पता नहीं है कि आप कौन हैं कौन नहीं है, उनके खान्दान में किसे दिया जाय या न दिया जाय, लेकिन उनके बाद के लोगों का तो हमें पता है, अतएव उनका उचित सम्मान होना चाहिये उसी रूप में जिस रूप के वह हकदार है। सरकार का फर्ज हो जाता है कि मुल्क को आजाद करने वालों के लिये देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों के खानदानों की पूर्ण सहायता करे। अगर सरकार उनकी मदद नहीं करती है तो फिर उनको सरकार कहलाने का हक नहीं है। हमारा कर्त्तव्य है कि चाहे कोई भी सरकार हो इस प्रजातन्त्र के युग में उसे देश पर मरने वालों की सहायता अवश्य करनी चाहिये ताकि दूसरे नौजवान भी देश की सेवा करने के लिये आगे आयें। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विवेक से सोचेगी और हर जिले में एक कमेटी बनायेगी जो हर जिले में जांच करेगी कि ऐसे कितने लोग हैं जो बिना आश्रय के हैं और जिनकी मदद होना बहुत जरूरी है।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज नारायणदास जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसकी भावनाओं की कद्र करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि इस प्रस्ताव के द्वारा हमको कुछ मौलिक प्रश्नों पर विचार करने का अवसर मिल रहा है।

कुछ सज्जनों ने बोलते हुये राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिकता तथा और बहुत सी बातों का जिक्र किया और हमारे नवलकिशोर जी ने बोलते हुये जनसंघ पर भी कुछ छींटे कस दिये। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत के राष्ट्रीय इतिहास को लें तो यह देखेंगे कि हमारे यहां का एक एक कण बलिदानों से भरा पड़ा है। किसी कण का इतिहास पूछें तो किताबों के पन्ने के पन्ने भर जायेंगे। ऐसा मालूम पड़ेगा कि हमने बलिदान देकर उस कण में एक जीवन फूंक दिया है और वह मूर्तिमान हो हमारे सामने खड़ा है और हम उसकी पूजा के लिये तैयार हैं।

अगर १८५७ के पहले का इतिहास देखें तो हमको और भी बातें दिखाई पड़ेंगी। अंग्रेज के जमाने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आन्दोलन चले। उस समय जिसने अंग्रेजों को गालियां दीं, जो जेल गया उसे ही हम बड़ा राष्ट्र-भक्त और देशभक्त मानते हैं। १८५७ में जिन लोगों ने विद्रोह किया उन्हें हम राष्ट्र-भक्त मानते हैं। मैं माननीय मंत्री तथा दूसरे सज्जनों से जानना चाहता हूं कि यदि आज वे लोग जनसंघ में आ जांय तो क्या वे राष्ट्रभक्त और देशभक्त नहीं रह जाते? क्या उनके कार्य ही देशभक्त और राष्ट्रभक्त के कार्य रहे हैं? राष्ट्रभक्त तथा देश-भक्त वही हो सकता है कि जो देश की एकता कायम रखना चाहे। आज हमें इस प्रस्ताव के द्वारा इसी प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिलता है।

अंग्रेज ने १८५७ में तांत्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मी बाई, कुंवर सिंह आदि को हत्यारा कहा था और जो उनके एजेंट थे, जो सेनापति थे, हडसन आदि को राष्ट्रवादी कहा था। अगर हम सोचें और विचार करें कि वे राष्ट्रवादी थे या हम, तो हम विपरीत परिणाम पर पहुंचेंगे। मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं और सदन को बतलाना चाहता हूं कि १८५७ की क्रान्ति या विद्रोह के बारे में और उस के कारणों पर अगर हम विचार करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिये और विदेशी सत्ता को देश से निकालने के लिये किया गया विद्रोह या क्रान्ति थी। मैं आपके द्वारा सदन को इसकी भी जानकारी कराना चाहता हूं कि उस विदेशी सत्ता को निकालने के लिये तमाम राजा महाराजाओं ने, जिनके अधिकार समाप्त हो गये थे, यह विद्रोह खड़ा किया था, सिपाहियों में एक भावना पैदा की गयी थी और वह भावना कारतूस की बात ले कर पैदा की गई थी। राष्ट्रीय एकता के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बवंडर खड़ा हो गया था और हर आदमी अपनी जान की बाजी लगा कर खड़ा हो गया था, अपने को बलिदान करने के लिये तैयार हो गया था। यह धर्म के नाम पर किया गया था। कहा गया था कि उस कारतूस में गऊ और सुअर की चरबी लगायी गयी है। उस गऊ का सहारा गोखले ने भी लिया, महर्षि दयानन्द ने भी लिया और महात्मा गांधी ने भी कहा कि एक गऊ काटना एक आदमी काटने के बराबर है। अगर हम राष्ट्र की एकता चाहते हैं तो उस के लिये जो आवश्यक तत्व हैं उनको देखना पड़ेगा।

आज यह कहा जाता है कि धर्म एक ढकोसला है, किन्तु वह ढकोसला नहीं है, वह भी राष्ट्र के लिये एक जरूरी चीज है। धर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज हम नाग-पंचमी के दिन जो नागों की पूजा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं उसका भी अपना एक महत्व है। देश में लोग ग्रहण को जो मानते हैं उसका भी अपना महत्व है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह तो दकियानूसी बात है, उनका ग्रहण में विश्वास नहीं है; किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जब ग्रहण पड़ता है, उस समय अगर कोई गर्भवती स्त्री हो, और उसके शरीर पर गेरू न लगाया जाय तो उससे जो संतान पैदा होती है वह पंगु होती है। देश का बच्चा-बच्चा इस बात को जानता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म हमारे लिये, हमारी राष्ट्रीयता की रक्षा के लिये बहुत जरूरी है। लोग उसको जितना घातक बताते हैं वह उतना ही हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा है एक कोने से दूसरे कोने तक वह आपको महापुरुषों की कथाओं में मिलेगा, उनकी कहानियों में मिलेगा, उनके गीतों में मिलेगा। उन सब में हमें हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। धर्म और संस्कृत दोनों का ही हमारे लिये विशेष महत्व है।

महोदया, देश की आजादी के लिये जिन जिन वीरों ने बलिदान किया है, हमें यह देखना होगा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है? हमें उनकी भावनाओं को देखना होगा। आज उन्हीं लोगों को हम मुआवजा देने के लिये खड़े हुये हैं। आज हम देखते हैं कि भारत का प्रत्येक बच्चा अपने खून से देश की रक्षा करने के लिये तैयार है। हमारे इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपने देश के लिये अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है।

आज कौन नहीं जानता उस बात को कि किस तरह से जलियान वाला बाग का बदला सरदार ऊधम सिंह ने लिया और किस तरह से इंग्लैंड जाकर अपने कार्य को किया और वहां डायर को मारा। हिटलर तक ने अपने यहां उसका प्रयोग किया यह कह कर कि देखो एक गुलाम देश के आदमी के हृदय पर उसकी तौहीन की कितनी भावना थी कि उसने जूठे दोने आदि तक चाटे, लेकिन उसने उसका बदला लिया। उसने भी उसकी मिसाल को अपने लोगों के सामने रखा। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहां मौजूद हैं। उन महान् पुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है।

हमारे देश के अन्दर विजयानगरम् के वारिस राजा को भारत भूषण की उपाधि दी गई। उन्होंने क्या क्या किया, इसे हम सब जानते हैं। सन् १९४२ में बन्दूकों और संगीनों के साथ उन्होंने मुकाबला किया।

महोदया, जिन लोगों ने भी सन् १८५७ की क्रान्ति में भाग लिया, बाद को भले ही वह जन संघ में या अन्य किसी दल में आ गये हों, उनकी तरफ कुछ ध्यान जरूर दिया जाना चाहिये। यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि अमुक व्यक्ति भी तो भारतीय जनसंघ में आ गया है। अगर किसी के पूर्वज ने सन् १८५७ की क्रान्ति में भाग लिया है तो उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये भले ही वह किसी संघ में मिल गया हो। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। सरदार भगतसिंह के पिता को जो पेन्शन दी जाती थी वह केवल इसलिये बाद को समाप्त कर दी गई कि वह आर०एस०एस० में शामिल हो गया था। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिये कई बार जेल काटी है मगर उनको पेन्शन नहीं मिली इसलिये कि वे कांग्रेस के

[श्री हिम्मत सिंह]

सदस्य नहीं थे । हल्दौनी के एक व्यक्ति ने सत्याग्रह में भाग लिया, ७६ दिन भूखहड़ताल की, लेकिन उसको पेन्शन इसलिये नहीं मिली क्योंकि वह कांग्रेस का ४ आने का सदस्य नहीं बना । इसलिये यह बात समझ में नहीं आती कि केवल आपकी संस्था में जो लोग आयें उन्हीं को कुछ मदद मिले यदि ऐसा ही है तो अपने कानून के द्वारा इन पार्टियों को भंग कर दें और कहें कि जो कुछ राष्ट्रीय तत्व हैं वे हमी में हैं दूसरे के यहां नहीं हैं । लेकिन मैं देखता हूं कि अपने जिले के ही नवाब छतारी मुस्लिम लीग में हैं, वे क्या-क्या नहीं रहे, लेकिन आज कांग्रेस के एम०पी० बने हुये हैं । अपने जिले के नवाब मुहम्मद इस्माइल खां पाकिस्तान बनवाने में सबसे आगे थे, लेकिन पेंशन उनको मिलती रही और उनसे किसी ने नहीं कहा कि तुम देशभक्त नहीं हो, राष्ट्रभक्त नहीं हो । दूसरी ओर यदि राष्ट्रीय जनसंघ का कोई मेम्बर बन जायगा तो उसे पेन्शन नहीं देंगे । यही वह प्रेरणा है जिसके कारण मैं बोल रहा हूं । श्यामा प्रसाद मुकर्जी की हत्या हुई, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं की गई जब कि एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु होने पर इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर सब पहुंच जाते हैं । सन् १९४२ के आन्दोलन में एक-एक भारतवासी राष्ट्रप्रेमी ने भाग लिया लेकिन आज तुम कहते हो कि '४२ का आन्दोलन हमारा था । परन्तु यहां का प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी राष्ट्र के लिये मरना और जीना जानता है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो जनसंघ में आ गया वह राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता ?

पासी जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि पुराने राजे महराजे चले आ रहे हैं उनके लिये मानपत्र दिये जांय, मैं उसका समर्थन तो नहीं कर सकता, इतिहास में उनका नाम आ गया है, लेकिन किसने कितना त्याग किया, कितना नहीं किया इसके लिये एक लम्बी हिस्ट्री बनानी पड़ेगी । हम इतना तो कर नहीं पाये हैं कि संविधान के आर्टिकिल ४१ के हिसाब से हर आदमी को उसके लिये रोटी, कपड़ा, मकान आदि सब चीजों की व्यवस्था कर सकते वह भी हम नहीं कर पाये हैं क्योंकि हमारे पास उसके लिये साधन नहीं है । उसके लिये आप टैक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनको देना है, जो बेकार हैं उनके लिये हम कुछ नहीं करेंगे और हो कैसे ? उसके लिये भावना चाहिये । पासी जी के प्रस्ताव से एक बात साफ है कि हमारी जनता, हमारे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक सोचे कि देश के लिये जो मरना जानता है, जो लड़ना जानता है वह क्या है :—

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे, हर बरस मेले ।

वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशां होगा ।

इसके अलावा और कुछ नहीं है । उनका जो बलिदान है उसके लिये स्मारक बनवाइये और मेले जुड़वाइये जिससे हमारे देश का, प्रदेश का हम सब का कल्याण होगा ।

श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । सन् १८५७ के शहीदों, स्वतन्त्रता के वीर सेनानियों के इतिहास की चर्चा करते हुये बड़ा गौरव होता है क्योंकि जो हमारी स्वतन्त्रता संग्राम की इमारत बनी है लोग उसकी बुनियाद की वह ईंट पत्थर हैं जिनको कोई देखता नहीं है, लेकिन उस पर बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है । उन शहीदों के प्रति हम अच्छी भावना रखें और उनका सम्मान करें, तो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं चाहे इधर के बैठनेवाले हों और चाहे उधर के, लेकिन यह अरसा १०५ बरस का हुआ । उस वक्त किनकी जायदाद जब्त हुई थी, किनका कितना नुकसान हुआ था इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है; क्योंकि जिनकी जायदादें उस वक्त जब्त हुई थीं, जिनकी जायदादें दूसरों को दी गई थीं वह कानूनन उनकी हो गईं जिनको वह बाद को दी गयीं या जो उनके वारिस हैं । किसको उस जायदाद का मुआविजा दिया जाय या दिया जा सकता है या नहीं, ऐसी अड़चनें आकर पड़ सकती हैं, लेकिन उन शहीदों के प्रति हमें अपना सादर सम्मान प्रकट करना बहुत जरूरी है । १८५७ के

बड़े-बड़े नेता, शहीदों को तो सभी जानते हैं लेकिन बहुत से ऐसे शहीद हुये हैं जो गांव में कुर्बान हो गये और स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी वीरता के साथ लड़े, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं बना है, जो होना बड़ा जरूरी है ।

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं जौनपुर जिले की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । जौनपुर जिला स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश में आगे की श्रेणी में रहा है । १८५७ में जौनपुर जिले में आदमपुर नामक एक ग्राम है जिसमें हम्मर सिंह एक बड़े शहीद हुये हैं, उन्होंने बड़ी भारी कुर्बानी की । उनके १५ इलाके थे वह सब उस वक्त जब्त हुये हैं, उनका एक इतिहास है । निवड़िया गांव में संग्राम सिंह एक शहीद हुये हैं, गजेटियर में उनका नाम मौजूद है । इसी तरह से फौज के कुछ चौहान, जो बाद को नोनियां कहलाने लगे हैं उनका भी एक बड़ा इतिहास है और अब भी वहां की सरकारी फाइलों में उनके नाम मिलते हैं । उनमें से ९ आदमियों को कालापानी हुआ था और ७ आदमी फांसी पर लटका दिये गये थे । काला-पानी जाने वालों का पता लगाया गया । आज उनके बच्चे वहां मौजूद हैं और जिन लोगों की वह जौनपुर में संतान हैं उनसे उनका सम्बन्ध है । इस तरह से अनेक ऐसी घटनायें हैं, ऐसे अनेक शहीद हुये हैं जिनका कोई पुरसां हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है । जो बुनियाद के ईंट पत्थर हैं उनका इतिहास भी बनना चाहिये । उनको कोई मुआविजा दिया जाय या कोई ऐसी पेंशन दी जाय, हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन जहां तक उनके सम्मान का प्रश्न है, कोई स्मारक अवश्य होना चाहिये ।

किसी देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अगर कोई इतिहास नहीं होता तो उस देश का इतिहास मर जाता है । १८५७ के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाइयां हुई हैं उनमें भी बहुत से शहीद हुये हैं । जैसे जलियान वाले बाग में मदन गोपाल बच्चा शहीद हुआ, उसे सभी लोग जानते हैं । ऐसे ही कितने बच्चे हमारे यहां शहीद हो गये जिनका कोई इतिहास नहीं बना है । सन् १९२० और '२१ के असहयोग आन्दोलन में हमारे देश के कितने आदमी कुर्बान हो गये । सन् १९३०-३१ के नमक सत्याग्रह में देश की कितनी ही विभूतियां मिट गयीं, कितनी माताओं के सिंदूर लुट गये और कितने लोग फांसी के तख्ते पर लटक गये, उनका इतिहास होना चाहिये । १९३२का आन्दोलन जो स्वतंत्रता का रहा है उसमें देश के बहुत से नौनिहाल बलिदेवी पर चढ़े हैं, उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है ।

आज १२-१४ वर्ष हुये, हमारा देश स्वतंत्र हो गया । इस बीच में देश के निर्माण में जहां हम लगे हुये हैं, वहां यह भी हमारा बहुत बड़ा फर्ज था कि हम देश के शहीदों, क्रांतिकारियों का, ऐसे लोगों का जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी की है, उनका इतिहास बना देते । १९४१-४२ के उन शहीदों का भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं जिनकी वजह से हमारा देश आज स्वतंत्र हो चुका है । १८५७ के शहीदों का इतिहास तो मिलना कठिन है, क्योंकि उस वक्त का पूरा-पूरा इतिहास लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जो इधर १९२० से १९४६-४७ तक हमारे इन स्वतंत्रता संग्रामों में लोग काम आये हैं, जिन्होंने देश के लिये बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं उनके लिये भी अगर हम उदासीन हो जायं तो मैं समझता हूं हमारा बहुत बड़ा दोष है । सरकार की तरफ से कुछ लोगों को राजनीतिक पेंशनें मिल रही हैं जो कि मिलनी भी चाहिये, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने देश के लिये बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं, जिनकी माली हालत बड़ी खराब है और उम्र भी ५० के ऊपर है; उनसे प्रार्थना भी की गई कि आप दर्ख्वास्त दीजिये, लेकिन वह मुआवजा नहीं चाहते । साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत बड़ी खराब है और वह पेंशन लेना चाहते हैं, उसके लिये दर्वाजे-२ घूमते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है । सरकार ने यह शर्त लगाई है कि जो ६ महीने जेल में रहा हो वही राजनीतिक पीड़ित माना जाय । लेकिन बहुत से आदमी सन् '४२ के आन्दोलन में कितने ही दिनों तक फरार रहे, उनके घर जला दिये गये, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अगर इत्तफाक से पकड़े गये तो दो चार महीने की सजा हुई या किसी तरह से अपील वगैरह में छूट गये, उनके नाम भी शहीदों की लिस्ट में होने चाहिये ।

[श्री रामलखन सिंह]

आज पेंशन का मामला तो इतना अपमानजनक हो गया है कि कोई भी स्वाभिमानी आदमी उसके लिये दरख्वास्त देना ठीक नहीं समझता क्योंकि पेंशनों के लिये जो दरख्वास्त देते हैं वह आपकी सभी शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ दर्वाजे--२ घूमते हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती, इसलिये मेरा सुझाव है कि सन् '४२ या उससे पहले के जो राजनीतिक पीड़ित हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाय। आप अगर ६ महीने की सजा की शर्त रखना ही चाहते हों तो भले ही उसको रखें, लेकिन ऐसे आदमियों की एक लिस्ट अवश्य बन जानी चाहिये और जांच करके उनसे पूछना चाहिये कि कौन पेंशन लेना चाहता है। जिसकी माली हालत खराब हो और ५० साल से अधिक उम्र हो उनके लिये आपको स्वयं कह देना चाहिये कि तुम्हें इतनी पेंशन दी जाती है। अगर वह आदमी पेंशन लेना चाहे तो उसको मिले और अगर वह न लेना चाहे तो कोई बात नहीं। मैं महसूस करता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों और १८५७ के शहीदों के प्रति हमें जितना सम्मान प्रकट करना चाहिये उसमें हम उदासीन हैं। इस सम्बन्ध में केवल सरकार की ओर से ही कमी नहीं है बल्कि हम सभी लोग जो इधर या उधर की पोलिटिकल पार्टीज के हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराने शहीदों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते बल्कि चाहते हैं कि उनका इतिहास मिट जाय। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इन चीजों पर हमें गौर करना चाहिये क्योंकि जब तक किसी देश के वीरों का ऐतिहासिक सम्मान नहीं होता, सेनानियों की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसका इतिहास पूर्ण नहीं होता। इन शब्दों के साथ अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि भले ही उनको पेंशनें न दी जायं क़ानूनी दिक्कतों के कारण, लेकिन उनका सम्मान तो होना ही चाहिये . . . .

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---पता कैसे लगायें ?

श्री रामलखनसिंह----बहुत सी संस्थायें हैं, सरकार की तरफ से भी कमेटियां बनी हुई हैं, लेकिन वह उदासीन हैं। नाम मात्र के लिये जिलों में कभी-कभी साल में एक आध मीटिंग हो जाया करती है और कह दिया जाता है कि लिस्ट बनाओ। मुझे जौनपुर के मैजिस्ट्रेट की चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगले शनिवार को मीटिंग है जिसमें सेनानियों की लिस्ट दीजिये। कांग्रेस और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के पास रजिस्टर हैं उनसे उनकी लिस्ट मांगनी चाहिये, उनसे उनको जानना चाहिये। जेल में उन लोगों का इतिहास है। १९३२ में जिन लोगों को नजरबन्द किया गया था उनको ३--३,४--४ साल तक नजरबंद किया गया था, लेकिन आज तक उनका कोई इतिहास नहीं मिलता कि वे कहां-कहां रखे गये। किसी रजिस्टर से उनका पता नहीं लगता। सरकार चाहे प्रयास करती हो, लेकिन नौकरशाही के द्वारा उसकी तनिक भी परवाह नहीं की जाती है कि कौन सेनानी था और कौन शहीद था।

मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये और किसी किस्म की उदासीनता न होनी चाहिये। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा इतिहास मर जायगा। हमारी आजादी की लड़ाई १८५७ से १९४६ तक हुई। जहां इतनी बड़ी लड़ाई हुई हो, इतने अधिक आदमी घुल-घुल कर मरे हों, इतनी बड़ी कुर्बानियां जहां हुई हों, वहां उन लोगों की कोई सूची न हो, यह बड़े दुःख की बात है। देश के लोगों और देश का निर्माण करने वालों के लिये यह एक लज्जा की बात है। हो सकता है मेरे भाषण में कुछ ऐसी बातें भी आ गयी हों जो कुछ लोगों को कटु लगी हों, लेकिन चूंकि हम भी देश के छोटे से सेवकों में से हैं और जब जगह-जगह जाकर ऐसे लोगों की खराब हालत को देखते हैं तो हमें कष्ट होता है, इसलिये हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है।

श्री रघुराज सिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि यह प्रस्ताव उधर से आया। इस बात का खयाल इधर के तो सभी सदस्यों को हमेशा रहता ही है और हमने हमेशा इस बात का अहसास किया है कि आजादी की जंग की खिस्त अव्वल १८५७ में रक्खी गयी इसलिये अगर हम १८५७ को भूल जाते हैं और जंगे आजादी से उसको निकाल देते हैं तो हमारी तवारीख नामुकम्मिल रह जायगी। इस संकल्प

को प्रस्तुत करने वाले साहब की ताईद में हर शख्स ने इज़हारे हमदर्दी ही नहीं बल्कि उसकी हिमायत भी की। यह जरूर कहा गया कि इसके अमल में दिक्कत है, लेकिन १८५७ की तहरीक एक पोलिटिकल तहरीक थी और लोगों ने आज़ादी के लिये कुर्बानियां कीं, इससे उधर के लोगों को भी इख्तलाफ नहीं है। जब इस वाकये से इख्तलाफ नहीं है और यह तहरीक भी उधर से ही आयी है और सिर्फ एक सवाल अमल का ही रह जाता है कि वह प्रेक्टिकेबिल नहीं है, तो इंसान की ताक़त और अक्ल महदूद नहीं है। आज के स्पुतनिक युग ने यह साबित कर दिया है कि चांद में भी गोला मारा जा सकता है। लेकिन ताज्जुब यह है कि सन् १८५७ की जंग में जिसको एक सदी ही हुई, वे लोग जिन्होंने कुर्बानी की, जानें दीं, शहीद हुये, तोपों के चारे बने, गांव के गांव अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिये, सरेआम लोगों को फांसी दी गयी, लोग कालापानी गये, उनकी जायदादें जब्त की गयीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आप अपने ज़िले के कुछ लोगों के भी नाम बतला दीजिये।

श्री रघुराजसिंह चौधरी--अगर आप डिस्ट्रिक्ट गजेटियर देखने की तकलीफ गवारा करें तो बुलन्दशहर ज़िले के बारे में भी आपको मालूम हो जायगा कि उस ज़िले में कितने लोग ऐसे हुए हैं जो उस वक्त गद्दार करार दिये गये थे। आज गद्दार नहीं कहे जाते हैं, और जो उस वक्त खैरख्वाह मुल्क थे, आज भी खैरख्वाह हैं। ताज्जुब यह है कि ज़िले का सब हाल मालूम होते हुये हमने तो यह देखा कि बूतों पर से गद्दारी का लिबास उतार कर पोशाकें हमदर्दिये मुल्क पहना दिया गया और आज वे उन कुर्सियों पर बैठे हुये हैं। मेरी यह बदकिस्मती है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी मैं बुलन्दशहर की तरफ से इधर ही बैठता था और आज भी मैं इधर ही बैठ रहा हूं। तो जब आपके हर ज़िले के हर दफ्तर में मुकम्मल रेकार्ड मौजूद है तो यह मालूम कर लेना कि सन् १८५७ में कौन लोग ऐसे थे जो शहीद हुये, कौन खानदान ऐसा था जिसके लोग शहीद हुये, कौन लोग ऐसे थे जिनको अंग्रेज़ों की तरफ से खिलअतें मिलीं, यह मालूम कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप तफसील में नहीं जा सकते हैं तो कम से कम आपके पास तहरीरी जो चीज़ मौजूद हैं उस पर तो गौर कीजिये और उस पर तो ध्यान दीजिये।

मैं तो इस रेजोल्यूशन के पेश करने वाले साहब और उसकी उस जानिब से हिमायत करने वालों को इन अल्फाज़ के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं, "खैर भूले नहीं वह मेरी वफाओं को जल्द, यह गनीमत है कि जोर उनके इन्हें याद रहे"। लेकिन यह यादगार ही काफी नहीं है। इस रेजोल्यूशन के हिमायती इस सदन के ही लोग नहीं हैं, बल्कि अगर आप बाहर नज़र डालेंगे और मालूमात करेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जंगे आज़ादी का बाब नामुकम्मल रहेगा अगर १८५७ की कुर्बानियों पर पानी फेरते हैं। मैं नहीं समझता कि किस हया और किस दिल से कोई इन कुर्बानियों को बरतरफ कर सकता है जिनके खून और लहू से इस भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा और उसका ज़र्रा-ज़र्रा शराबोर है और एक एक ज़र्रा इसका शाहिद है, उनकी कुर्बानियों के लिये अलग से शहादत की दरकार नहीं है।

यह भी उधर से कहा गया कि यह कैसे मालूम किया जाय कि वे कौन खानदान के थे, वे कौन लोग थे, वे किस जगह के थे जहां ये वाकयात पेश आये जिनको सम्मान दिया जाये या जिनके साथ मसावी सलूक इस मौजूदा सरकार की तरफ से लाजिम है। आज हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे पुराने तरीके चले आ रहे हैं कि हम राजा रामचन्द्र जी और कृष्ण भगवान से अपना सिलसिला मिला कर बतला देते हैं कि उनके खानदान के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है। तो आज हमारी सरकार के लिये यह मालूम करना नामुमकिन है कि वे कौन थे तथा कहां के थे। मैं यह नहीं कहता कि चारों चूलें मुकम्मिल तरीके बिठा दी जायं, उन्हें सब कुछ मालूम हो सकता है, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक उन को करना चाहिये और उसका करना लाज़मी है। यह उन्हीं का फर्ज़ है। क़ानून के वह मालिक हैं, आईन उन के हाथ में है, उनकी तरफ से क़ानून की दिक्कतें पेश कर के हमारे सामने यह कहना और ऐसे अहम

[श्री रघुराजसिंह चौधरी]

वाकयात को नजरअन्दाज करना कोई क़ाबिल यकीन बात नहीं हो सकती। देखा गया है कि संविधान भी बहुत से मसलों पर बदला गया है और क़ानून भी तब्दील हुआ है।

इसी सदन में, जहां तक कायदों का सवाल है, शुरू में यह कायदा था कि आप जिस दर्जे में सफर करेंगे आप को उसी का किराया मिलेगा या मोटर से सफर करेंगे तो इतने आना माइलेज मिलेगा लेकिन बाद में आप को जरूरत ने मजबूर किया और सरकार ने इस कायदे को तब्दील किया और यह कर दिया कि आप किसी भी दर्जे से सफर करें आप को डबल फर्स्ट क्लास मिलेगा। इसके पीछे जो इतिहास है उसकी मैं याद नहीं दिलाता, मैंने तो सिर्फ तजकरन यह बात कही है, अक्लमंदों के लिये इशारा ही काफी होता है, मेरे कहने का मतलब यह था कि इस तरह से क़ानून और आईन में तब्दीली की जा सकती है। अगर जरूरत हो तो यह तब्दीली उन के लिये भी की जाय कि जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिये अपनी नस्लों को खत्म किया, अपने रिश्तों को बर्बाद किया, अपनी जायदादों को तबाह किया। अगर कुर्बानी के माने जेल की ए०, बी० क्लास का सर्टिफिकेट ही है तब तो मुझे कहने की कोई गुंजायश ही बाकी नहीं है, लेकिन अगर कुर्बानी या देश का पेटरियाटिज्म इससे आगे भी जा सकता है तो और बहुत सी गौरतलब मिसालें हैं, ऐसी भी मिसालें हैं कि जहां हमारे स्कूलों के बच्चे और बच्चियों ने हमारे नेताओं की गिरफ्तारी पर पुलिस के लाठीचार्ज का मुक़ाबिला किया और पुलिस की गोलियों के सामने अपनी जानें दीं। और भी इस तरह की तमाम मिसालें हैं। मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ यही समझा जाय कि जेल सर्टिफिकेट ही हम को स्वर्ग तक ले जा सकता है तो भी कम से कम उस वक्त के कुर्बानी करने वालों का इतिहास तो बन ही जाना चाहिये।

संकल्प में कहा गया है कि उन को भी मसावी सहूलियत दी जाय और यह कि उन का सम्मान किया जाय, उनको कोई सर्टिफिकेट दिया जाय। इसमें न ज्यादा दिक्कत है, न परेशानी है और न कोई सोचने वाली बात है। अगर सरकार यह कहे कि सरकार के खजाने में इसके लिये रुपया नहीं है तो भी यह बात किसी की अक्ल में नहीं आयेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले २०–२५ साल के अन्दर सोलह करोड़ से लेकर १ अरब ४० करोड़ का बजट आज बनता है। तो क्या इतनी बड़ी रकम में उन लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, उन लोगों की यादगार का कोई तरीका नहीं निकाला जा सकता? क्या हमारे खजाने खाली हो गये, क्या हम दिवालिया हो गये या हमारी अक्ल ही दिवालिया हो गई? हमारे पास कोई जाब्ता नहीं रहा, क्या हम लुंज हो गये? बड़े शर्म की बात है कि आज यह हालत हो गई जब कि यह उन लोगों का देश है कि जिनके बारे में कहा गया है कि—

"फर्ज़ जब आवाज देता है दिले बेदार को,
उठ खड़ा होता है गाजी टेक कर तलवार को।"

यह वही लोग थे कि फर्ज ने जब आवाज दी तो वह उठ खड़े हुये। आप को मालूम होना चाहिये कि यह हिन्दू मुसलमानों का इत्तिहाद का नारा सब से पहले १८५७ में ही बुलन्द हुआ और उसी वक्त उस की नींव पड़ी जब कि कहा गया कि इन कारतूसों में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगी है। सन् १८५७ में कम अहमियत के वाकयात नहीं हुये और वह ऐसी मिसालें नहीं हैं कि जिनको हमारी सरकार इस तरीके से, इस लापर्वाही से वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दे। हालांकि मुझे डर है कि कहीं यह भरी हुई बन्दूक जिसकी लबलबी पर उंगली है कहीं कमजोर न हो जाय और वहां से हट न जाय और यह कारतूस बेकार न हो जाय, यह रिजोलूशन वापस न हो जाय और जितनी दुखों की कहानी है और जितने खून के आंसू इस भवन में बहाये गये हैं वह बेकार न चले जायें। मैं तो यह उम्मीद नहीं करता, उधर के लोगों की तक़रीरों को सुनने और उनके खयालातों को समझने के बाद। आज जब कहा जाता है कि हर बात अक्सरियत पर है, अक्लियत के लिये कोई जगह नहीं है, जमहूरियत के माने यही हैं तो फिर क्या इजहारे राय हाथ उठाकर ही हो सकता है, तभी सरकार मानेगी, या दस्तखत करके वह नतीजा सुनाया जाय

तभी मानेगी ? वह सब बातें तो एक जपत के अन्दर की जाती हैं, डिसप्लिन के साथ चलती हैं, लेकिन अब कोई शुबहा नहीं रह गया इस राय में कि इस सदन का बहुमत इस रिजोल्यूशन की हिमायत में है। ऐसी हालत में अगर हमारी सरकार इस रिजोल्यूशन के राहे अकीदत में अपने सिर को नहीं झुकाती है तो इसके माने साफ हैं कि यह जमहूरियत नहीं है। इसे तो डिक्टेटरशिप कहिये या पार्टी डिक्टेटरशिप कहिये, या जो कुछ भी कहिये, इसके अलावा और दूसरे अल्फाज इसके बयान करने के लिये मेरे पास नहीं हैं।

हजारों बच्चों से बाप बिछुड़े, व तेगे किस्मत से हो के टुकड़े सुहागिनों के सुहाग उजड़े, घरों में ताले पड़े हुये हैं—इसी को कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और सरकार से तवक्को करूंगा कि यह हमारी सरकार है, यह जमहूरियत के जरिये से बनाई गई है, उसको अवाम और अक्सरियत की राय की क़द्र करनी चाहिये। ऐसे मसले हमारे सामने आयें और हमारी सरकार उन पर गौर न करे तो आइंदा आने वाली नस्लें क्या नतीजा निकालेंगी, उनके दिलों में क्या इस जमहूरियत की क़ीमत होगी ? हम इस बात को भूल जाते हैं कि आज हमने किसकी तस्वीर अपने सामने रखी है। महात्मा गांधी का आइडियल हमारे सामने है। अगर यहां से यह आवाज निकलती है कि १८५७ के लोग पोलिटिकल सफरर्स थे तो कोई वजह नहीं है कि भले ही लाख क़ानूनी अड़चनें हों, हमारे पास पैसा न हो बेग बारो आर स्टील, जैसा कि हम और कामों के लिये करते हैं वह करना पड़े, लेकिन उन शहीदों की नस्लों को अच्छे नागरिक बनाने के लिये, उनको मुआवजा देने के लिये, इज्जत से उनका सिर ऊंचा करने के लिये, कोई वजह नहीं है कि हम इसको अमली जामा न पहना सकें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैं एक व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं। आप को पहले से लिस्ट सुना देनी चाहिये कि यह यह आदमी बोलेंगे। आज मैं दो दिन से खड़ा हो रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिए। सदन का कार्य व्यवस्था के अनुसार हो रहा है।

श्री बंशीधर शुक्ल—हमको बोलने का मौका न मिले तो हम बार-बार क्यों खड़े हों. . .

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिए।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प हमारे सामने है मैं समझता हूं इसकी भावना से इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य असहमत नहीं हो सकता, यह हमारी सब की भावना का प्रतीक है। परन्तु जहां तक इस प्रस्ताव के शब्दों का सम्बन्ध है, मैं जहां तक पढ़ता हूं, इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह स्वयं निरर्थक हो गया। इस प्रस्ताव के पढ़ने से ज्ञात होता है कि प्रस्तावक ने अपना मतलब सिद्ध नहीं किया। यह संकल्प कहता है : "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सन् १८५७ ई० में चलाये गये स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों, 'क्रान्तिकारियों' और देश भक्तों के परिवारों को जिनकी सम्पत्तियां जब्त हो गईं अथवा जो अपने घरों से निष्कासित किये गये अथवा जो लूटे-फूके गये, अथवा जो नेपाल की तराई और प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में भयंकर दुःख उठा रहे हैं उनको राष्ट्रीय सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र दिये जायं और राजनीतिक पीड़ितों की भांति आवश्यक सुविधायें दी जायं।"

इसका पहला भाग जो है उसमें व्यवस्था की है कि राजनीतिक पीड़ित कौन हैं ? अव्वल तो मैं समझता हूं कोई तरीका ही आप के पास नहीं है जिससे आप खोज कर निकाल सकें

[श्री जगदीश प्रसाद]

कि कौन राजनीतिक पीड़ित है, कौन स्वतंत्रता संग्राम का सैनिक है और कौन नहीं, क्योंकि आज १८५७ को १०० साल से ज्यादा हो गये और साधारणतया ५०, ४५ साल की अवस्था में हमारे प्रदेश और देश में पोते और पोतियां तथा धेवतियां हो जाती हैं। १०० वर्ष की अवस्था के बाद चौथी, पांचवीं पीढ़ी बढ़ेगी जिसका पता लगाना मुश्किल हो जायगा कि किसने नुकसान उठाया, कौन भागा, कौन नहीं भागा। इसका पता लगाना असम्भव नहीं तो मुश्किल जरूर है जिसको मालूम नहीं किया जा सकता।

हां, एक बात मालूम हो सकती है जिसका अभी जिक्र था कि नेताओं के नाम हमें मालूम हो सकते हैं उन लीडरों और कमान्डर्स के नाम मालूम हो सकते हैं जिन्होंने कुछ टुकड़ियां, सिपाही आदि लेकर हमला किया हो या मुकाबला किया हो।

दूसरा इसका भाग है राष्ट्रीय सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र दिये जाने के बारे में। अधिष्ठाता महोदय, मैं जहां तक प्रमाण-पत्र का अर्थ समझता हूं सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके प्रति वह सम्मान होता है। किसी व्यक्ति को भारत रत्न का पदक देना है, कोई और सम्मान या पद देना है तो वह उसको दिया जाता है जो उसके योग्य है। यह नहीं कि आप उसके पोते को दिया जाय जो पता नहीं किस कैरेक्टर का है, वह उसके लेने योग्य है भी कि नहीं। मैं नहीं समझ पाया कि किसी देश में ऐसा होता हो कि उस व्यक्ति को सम्मान न दे कर उसके पोते या लड़के को दिया जाता हो।

एक बात जरूर हो सकती है कि उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाय, समुचित स्थान पर लिखा जाय। यदि उपलब्ध हो तो उनकी तस्वीर छापी जाय। इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

इसका जो तीसरा भाग है कि राजनीतिक पीड़ितों की भांति आवश्यक सुविधायें दी जायं, वह किसको दी जायं? चौथी, पांचवीं पीढ़ी में जो हैं उनको दी जाय? आज हम १९३०, १९३२, १९४० और १९४२ के राजनीतिक पीड़ितों को सुविधायें देने में तो दिक्कत महसूस करते हैं, दुर्भाग्य है, आप मुझे क्षमा करें इस बात के लिये, सही तरीके से मालूम करना कि पालामऊ बेत वास्तव में राजनीतिक पीड़ित हैं कि नहीं इसी में हम दिक्कत महसूस कर रहे हैं। और १८५७ के राजनीतिक पीड़ितों के सुविधा का तो सुझाव ही नहीं है। इस संकल्प की जहां तक भावना का सम्बन्ध है वह तो ठीक है लेकिन जिन शब्दों में यह रखा गया है उससे प्रस्तावक ने इसको निरर्थक कर दिया है और इसका मन्तव्य पूरा नहीं हुआ।

इस पर बहस के दौरान में बहुत सी बातें आयीं। माननीय बलदेव सिंह जी ने कहा कि देवी बख्श सिंह जी और बेगम हजरत महल के नाम पर स्मारक बनाये जायं। मैं समझता हूं जिनका सम्पर्क स्वतंत्रता संग्राम से रहा है वह इनके नामों को भूले नहीं हैं और किसी का विरोध भी नहीं हो सकता है इसमें कि इनके स्मारक बनाये जायं। ऐसे सुझावों पर मुझे आशा है सरकार जरूर ध्यान देगी। भूमि लौटाने के ऊपर बहुत जिक्र हुआ, लेकिन संकल्प में भूमि लौटाने का कोई जिक्र नहीं है।

एक दिक्कत और हमारे सामने है। सन् १९२० से अब तक जो आन्दोलन चले, उनके राजनीतिक पीड़ितों के लिये जो नियम बनाये गये, उनमें यह रखा गया कि दो दफा का राजनीतिक पीड़ित हो और बाद में यह भी लगाया गया कि जो सन् ४२ के आन्दोलन में जेल जा चुका गया हो। और यह बात समझ में भी आती है कि एक आदमी आवेश में आकर घर से लड़ कर सन् १९२० में जेल चला गया था और बाद में नहीं गया, मैं भी गया था, कई बार गया था, लेकिन यह भी है कि हमारे साथ ऐसे भी व्यक्ति थे जो किसी जोश में आ कर आन्दोलन में चले गये और उसके बाद सन् ४२ तक कहीं नाम भी नहीं लिया। तो क्या वे राजनीतिक पीड़ित माने जायंगे? इसी तरह से सन् १८५७ के वे परिवार यदि आज वे जीवित हैं और उन्होंने किसी आन्दोलन में भाग नहीं लिया तो क्या आप उन्हें राजनीतिक पीड़ित मानेंगे? कोई तर्क नहीं उनको राजनीतिक पीड़ित

मानने का। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तभी माने जा सकते हैं अगर वे जीवित हैं। यदि उन्होंने इन आन्दोलनों में भाग लिया हो (व्यवधान) मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पांचवीं पीढ़ी के बाद नहीं मालूम कर सकते कि किसका पट्टा था, उसने कितना नुकसान उठाया और अगर मालूम कर सकते हैं तो वह कुछ नेताओं या सेनापतियों का मालूम कर सकते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

गौरीशंकर राय जी ने कहा कि हार जाने पर बाग़ी हो जाता है और जीत जाने पर वह जीता हुआ कहलाता है। यह बिलकुल सही बात है कि लड़ाई में हार जाने वाला बाग़ी कहलाता है। एक शायर ने कहा है--

एक चाल वही लेकिन उसके बाजारे जहां में नाम हैं दो,
हारे तो बग़ावत कहलाये जीते तो नबूवत होती है।

लेकिन मैं एक बात बताऊं कि सन् १८५७ की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया उनको बाग़ी कहने वाले यहां से चले गये। वह अंग्रेज थे जो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से चले गये। आज तो उन्हें कोई भी बाग़ी नहीं कहता। हिन्दुस्तान के अन्दर आज हर आदमी इस बात को मानने के लिये तैयार है कि १८५७ की लड़ाई एक स्वतंत्रता का आन्दोलन था और उसमें जिन्होंने कुरबानी दी वे स्वतंत्रता के सेनानी थे। लेकिन दिक्कत हमारे सामने यह है कि किस तरह से उनको निकाल कर लायें। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव सन् १९४८ में भी इस सदन में आया था और उस समय भी इसी प्रकार से चर्चा हो करके उसको गिरा दिया गया था और पास नहीं किया गया था।

एक बहुत बड़ा जिक्र इस बात का हुआ कि रायबहादुरों और खानबहादुरों को बड़े-बड़े पद दिये गये, गिरजा शंकर बाजपेयी का जिक्र किया गया। यह बातें सही हैं और उस संग्राम में अपना एक लम्बा जीवन देने के बाद उन भावनाओं से मैं भी पीड़ित हूं। मुझे दुख होता है जब देखता हूं कि जिन आदमियों ने उस समय देश के साथ गद्दारी की थी उनको आज ऊंचे-ऊंचे पद दिये जाते हैं। मुझे भी इसका बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं अगर ऐसा सोचता हूं तो वह ग़लत है। जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी कह रहे थे, हमारी क्रान्ति और दूसरी क्रान्तियों में अन्तर है। हमारी क्रान्ति गांधी जी की लीडरशिप में हुई है। हमारी क्रान्ति हृदय परिवर्तन के सिद्धान्त को ले कर हुई है। हमारी क्रान्ति में किसी आदमी को कत्ल करने का उद्देश्य हमारे सामने नहीं था। जब हमने इन सब सिद्धान्तों को अपनी क्रान्ति में रखा है तो क्या हम यह कहेंगे कि उस समय जो स्वतंत्रता आन्दोलन के खिलाफ थे उसमें अगर अच्छे इंजीनियर हो गये या अच्छे डाक्टर हो गये तो उनको सरकारी पद नहीं दिये जायंगे क्योंकि उन्होंने उस समय हमारा विरोध किया था?

यह सही है कि दूसरी क्रान्तियों में जो विरोधी होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, उनका सफ़ाया कर दिया जाता है, लेकिन हमारी क्रान्ति जिस तरह से हुई है वह यह सोच कर हुई है कि हम इन सबका हृदय परिवर्तन करेंगे। और बात स्पष्ट भी है। उस समय मुखालिफ थे, लेकिन आज जब राष्ट्रीय सरकार आयी है, तो वह क्या करेंगे? अगर राष्ट्रीय सरकार के प्रति वफादार होंगे तो फिर शिकायत क्या रह गयी? अगर एक अच्छा इंजीनियर होने के नाते हम उनकी सर्विसेज को खोना नहीं चाहते, अगर अच्छा डाक्टर होने की वजह से हम उनको खोना नहीं चाहते तो अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर होने पर, अच्छा लेजिस्लेटर होने पर, अच्छा पालिटीशियन होने पर हम उन्हें क्यों खोएं? चाहे वह गिरजा शंकर वाजपेयी हों, कृष्णामेनन् हों या कोई और हों। मैं इससे सहमत नहीं। मैं इससे सहमत हूं कि उस समय चाहे कोई भी विचारधारा रखते हों, १९३० के आन्दोलन में जिसने अपनी गिरफ्तारी नहीं करवायी और वह १९४२ के आन्दोलन में शरीक हो गया, तो क्या हम उसको जेल में नहीं ले गये? जो १९२१ में कांग्रेस में नहीं था, क्या १९३० के आन्दोलन में उसके लिए हमने अपना दरवाजा बन्द कर दिया? इसी तरह से जो किसी आन्दोलन में नहीं सम्मिलित हुआ, लेकिन आज वह

[श्री जगदीश प्रसाद]

मुल्क और सरकार की वफादारी का सबूत देता है तो उसकी सेवा से इस देश और प्रदेश को क्यों वंचित रखा जाय ? हम यह भी महसूस करते हैं कि हमें उससे लाभ भी हुआ है ।

एक बात और कह दूं, यद्यपि उसका १८५७ के आन्दोलन से सम्बन्ध नहीं है। उसका बहुत जिक्र हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक पीड़ितों की जो दुर्गति हमारे देश और प्रदेश में हुई है, उसको देख कर बड़ा दुख होता है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि १९१४ की लड़ाई का सिपाही जब अपनी पेंशन लेने जाता है तो अपने सीने पर दस-पांच बैजेज लगा कर जाता है और तहसील में बड़े गर्व से जा कर कहता है कि मैं सन् '१४ का सिपाही हूं। लेकिन जब राजनीतिक पीड़ित जाता है, तो ऐसे जाता है जैसे उसके पास खाने को नहीं है, वह भूखों मर रहा है और उसे किसी चैरिटेबिल फंड से खैरात दी जा रही है । यह देखने की चीज है। मैं समझता हूं कि जिनको आप राजनीतिक पीड़ित मानें, कोई भी व्यक्ति हो, उन सब को पेंशन देनी चाहिये। अगर कोई इस काबिल हो जो पेंशन न लेना चाहे तो उसको वापस कर दे। अगर धनाभाव के कारण आप सब को पेंशन न दे सकें तो कम से कम इतना जरूर हो कि पेंशन इसलिए नहीं मिलती है कि वह भूखों मरता है बल्कि इसलिये मिलती है कि वह उसका हक है। ऐसा वातावरण और भाव हमें पैदा करना चाहिए।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)----माननीया, आज सदन में जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत है, बहुत ही महत्व का है । मैं तो आप के द्वारा माननीय नारायणदास पासी जी से पहले यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस न लें।

हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन जंजीरों को तोड़ने के लिये १८५७ से लेकर १९४६ तक हमारे जो भाई कुर्बान हुए तो मैं तो यह कहूंगा कि उनके पूरे परिवार की यह भावना थी, उन माताओं की यह भावना थी, कि हमारे पुत्र कुर्बान हों और हमारे देश के लुटेरे, देश को खाने वाले, हमारे देश से जायं । आज सदन में माननीय सदस्य कहते हैं कि अब हम उनका कैसे पता लगायें, १०५ वर्ष हो गये ? मैं तो कहूंगा श्रीमन्, उन लोगों का आज पता है। श्रीमन्, कंस ने जब अन्याय किया था तब कृष्ण ने उसका संहार किया था। उसके उपलक्ष में आज जगह-जगह उनकी पैदाइश मनायी जाती है और उनका इतिहास कौन नहीं जानता ? इसी तरह से रावण के अन्याय के मुकाबिले राम का इतिहास भी क्या आज पन्ने-पन्ने में नहीं लिखा है ? मैं तो कहूंगा कि यह सरकार की और कांग्रेस पार्टी की भूल है कि जो आज उनका लेखा नहीं है। जब राम पर संकट पड़ा था तो उस वक्त किसने उनकी सहायता की थी ? कल लखनऊ में किस व्यक्ति का मेला था ? क्या उसका इतिहास पन्ने-पन्ने में नहीं लिखा है ? जो हमारे देश के लिये कुर्बान हुए उनकी आज जानकारी न हो, यह बड़े दुःख की बात है।

एक सदस्य---आपको है ?

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'—मैं तो १८५७ में पैदा नहीं हुआ था। लेकिन १८५७ में मरने वाले लोगों की जानकारी सरकार के लेखों में होनी चाहिए। हमारे पूज्य बापू जी के जो लेख हैं जरूर उन्होंने कहीं नोट किया होगा। उनके उद्देश्यों पर और उनके लेखों पर यह कांग्रेस पार्टी चलती है। लेकिन वह उनके उद्देश्यों को भूल जाती है, यह हम जरूर कहेंगे । हां, सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशनें दीं, उनके बच्चों की फीस माफ की, वजीफे दिये, उनके लड़कों की सहायता के लिए पैसे भी दिये, लेकिन उसमें मतभेद है। वह मतभेद महोदया, क्या है ? अगर सरकार का यह नियम हो जाय कि हम दस रुपया महीने देते हैं, तो छोटे से बड़े सबको १० रुपया महीना दे । अगर सरकार का यह नियम हो कि हम १०० रुपया महीने देंगे तो १०० रुपया सब को दे। लेकिन किसी को १००, किसी को ५०, किसी को २०, किसी को ३०, यह, महोदया भेद करना है। मेरा निश्चित मत है और मैं आप के द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह भेद-भाव मिटाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सरकार राजनीतिक पीड़ितों की लड़कियों की शादी के लिए पैसा देती है । लेकिन वह पैसा कब मिलता है ? शादी के ६ महीने या ८ महीने बाद मिलता है और वह सूद में महाजन के यहां चला जाता है । मैं यह चाहूंगा कि शादी के दरमियान में वह पैसा दिया जाय ताकि उसको उचित सहायता मिले । राजनीतिक पीड़ितों के जो बच्चे प्राइमरी से लेकर उच्च विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके लिये सरकार का यह नियम होना चाहिए कि वजीफे के अलावा उनकी पूरी शिक्षा निःशुल्क होगी और उनके लिये किताबों और कागज का इन्तजाम भी होना चाहिए। इसके अलावा एक लिस्ट प्रदेश के उन सभी बच्चों की हमारी सरकार के पास होनी चाहिए। उन शहीदों की, मुल्क के लिए लड़ने वालों की सरकार जानकारी कराये और उनकी एक लिस्ट बनाये। उनका एक स्मारक हो ताकि प्रदेश और देश की जनता उनका स्वागत कर सके। यह कहना कि आज हम उनको कैसे जानें, उनके नाती पोते हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज हमारे देश में ८५ और ९५ साल तक के लोग मौजूद हैं। १०५ साल हुए हैं। मैं समझता हूं कि शायद कुछ लोग ऐसे भी जिन्दा होंगे जो उस लड़ाई में काम आने वाले के लड़के या उनके लड़कों के लड़के हों। वह जरूर जिन्दा होंगे। उनसे पता चल सकता है।

तीसरी मेरी बात यह है कि तराई के इलाके में राजनीतिक पीड़ितों को कुछ जमीनें दी गईं। वहां पर भी मतभेद हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जमीन दी गई और कुछ को नहीं दी गई। हम आपके द्वारा सरकार से यह भी अनुरोध करेंगे कि उसे एक निगाह से सबको देखना चाहिये। यह हो सकता है कि इस लड़ाई में किसी ने ज्यादा काम किया हो और किसी ने कम काम किया हो। मेरे सामने तो यह है कि जिस जमाने में लोग हमारे देश में आजादी के लिये लड़ रहे थे उस वक्त कुछ लोगों ने २३, २३ मील तक अंग्रेजों के लिये कालीन बिछाया था और हमारी लड़ाई का विरोध किया था। आज वही लोग कांग्रेस के अगुवा बने हुये हैं। सरकार को उनके बारे में मालूम होना चाहिये। मैं उन्नाव, कानपुर और हरदोई में ऐसे लोगों को बता सकता हूं। अपने जिले के लोगों के नाम मैं बता सकता हूं। सरकार इस बात को मालूम करे कि जो निकम्मे अंग्रेजों का स्वागत करते थे वे कौन लोग थे और क्या वे आज जिलों के अन्दर नेता बन गये हैं। इनके अलावा और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम हमें मालूम नहीं है।

एक बात यह कही गई कि जिन लोगों ने आजादी के आन्दोलन में भाग लिया और मरे, उनके परिवार वाले शायद जिन्दा न भी हों, और अगर हैं तो उन्होंने दूसरी पार्टी से अपना सम्बन्ध कर लिया है या दूसरी पार्टी में चले गये हैं। हम तो यह कहेंगे कि दूसरी पार्टी में भी अगर वे चले गये, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी में चले गये, चाहे जनसंघ पार्टी में चले गये हों और चाहे किसी भी पार्टी में चले गये हों, लेकिन उनकी यह भावना थी कि हमारा देश आजाद हो। सरकार को इस बात को नहीं सोचना चाहिये कि वे सरकार की पार्टी में शामिल हों तभी उनकी मदद करनी चाहिये। यह सरकार अपने को जनवादी सरकार कहती है और जनवादी सरकार के माने क्या होते हैं यह हमारे उन मित्रों को सोचना चाहिये जो इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक पेन्शन के लिये जो दरख्वास्त आती है उनको आये ३, ३ साल हो गये, लेकिन उनको आज तक खारिज नहीं किया गया।

मेरे जिले उन्नाव से भी ऐसी दरख्वास्तें आई हैं लेकिन वैसी ही पड़ी हुई हैं। यदि हमारी सरकार को खारिज करना है तो जल्दी उनको खारिज कर देना चाहिये, क्यों बेचारे वे बार-बार लखनऊ आयें और अधिकारियों की खुशामद करते फिरें। यह उनकी आशा खत्म हो जाय कि उनकी एप्लीकेशन खारिज हो गई। वह बेचारे मिनिस्टर साहब के दरवाजे पर जाते-जाते परेशान हो जाते हैं। यह नहीं होना चाहिये। हमारे मंत्री महोदय चले गये। उन्होंने कहा था कि नाम बता सकते हो। अगर वे उचित समझें तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं कि हमारे यहां की इतनी दरख्वास्तें हैं। जो राजनीतिक पीड़ित हैं,

[श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस']

और जिन्होंने कुर्बानी की है उनके घरों की कुर्की हुई है। उनके घर की महिलाओं को पुलिस ने बेइज्जत किया है। यह हालत हुई है। हमारे मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं। मेरे जिले के बहुतों को वह जानते भी हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि उन दरख्वास्तों पर तुरन्त विचार किया जाय और न देना हो तो उनको खारिज कर दिया जाय। वे लोग आज भी जनसेवी हैं चाहे किसी भी पार्टी में वह काम करते हों। वे चाहे किसी पार्टी में रहे हों, लेकिन देश में अन्याय के लिये लड़े हैं। देश में जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। हो सकता है कि मनुष्य के अन्दर कुछ तब्दीली हो जाय, लेकिन हर व्यक्ति की भावना होती है और राजनीतिक क्षेत्र में जब वह आता है और हमारे इलाके में पुलिस जब अन्याय करती है तो वह उसके लिये लड़ता है। गुंडागर्दी होती है तो उसके लिये वह लड़ता है। तो यह भावना होती है कि राजनीतिक क्षेत्र में जाकर जो बेइंसाफी होती है उसे मिटायेंगे। इसलिये सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि वह इस संकल्प को मंजूर करे और मेरे सुझावों पर विचार कर उन पर कार्यवाही करे और इसके लिये ठोस कदम उठायें। हम उनकी उसी तरह से इज्जत करते हैं जिस तरह से देवताओं की इज्जत करते हैं। इस शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने श्री गुप्तार सिंह का नाम पुकारा।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी नाम पुकार दिया गया है। उसके बाद में यह लिया जायगा।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपको इसके लिये बधाई देता हूं कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया। मैं प्रस्ताव के समर्थन में नहीं, बल्कि श्री राम दुलारे मिश्र के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव ऐसा है कि जिसे पढ़ने से एक अजीबोगरीब हालत पैदा हो जाती है। सन् १८५७ के शहीदों के लिये तो उसके द्वारा हम अपना सम्मान समर्पित करते हैं, उन्हें तो सरकार देती है लेकिन सन् ३०, ३१, ३२ और ४२ के शहीदों के लिये, जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं, उनके लिये कोई बात नहीं करना चाहते। जिनको हमने अपनी आंखों देखा है उनका नाम नहीं लेना चाहते। इस प्रस्ताव के समर्थन में एक बात और होती है। सन् १८५७ के सेनानी सन् १९३० में अंग्रेजों के हाथ के खिलौने भी रहे और आन्दोलनकारियों पर गोली चलाने वाले भी। सन् १८५७ में पंजाब में जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया और वहां से निर्वासित किये गये, रायबरेली भेजे गये और वहां जिनको गुजारा दिया गया, जिनकी पंजाब की जायदाद जब्त की गयी, उनके लड़कों ने सन् १९२१ में रायबरेली में किसानों ने जो जनतंत्र में क्रांति की थी उन पर गोली चलाई। जिनके दादा के हाथ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते-लड़ते मर जाने पर तलवार चार-चार आदमियों ने निकाली थी उनके लड़कों ने सई के पानी को मुंशीगंज के घाट पर किसानों के खून से रंजित कर दिया था सन् १९२१ में। क्या आज हम उनको मान पत्र देंगे? हम कहां जा रहे हैं? जिनके पुरखों ने सन् १८५७ में घोर संग्राम किया अंग्रेजों के खिलाफ उनके वंशज ऐसे भी हैं कि सन् '३२ में रायबरेली में जब जन आंदोलन को दबाने के लिये अंग्रेज फौज आई तो उसका स्वागत किया और स्वागत रोटी दाल से नहीं, बल्कि ५--५ और ६--६ साल के बच्चों को मार कर उनको भेंट किया गया जिनके खून के धब्बे आज भी रायबरेली में बने हुये हैं और वहीं २२ कांग्रेस के आदमियों को जेल भिजवाया गया।

आज हम सम्मान पत्र उनको दें, आज हम उनका सम्मान करें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यूं तो जो भी आदमी सन् १८५७ में मरा है और जिसने देश के लिये बलिदान किया है उससे हम या हमारे देश का बच्चा-बच्चा कभी उऋण नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह कहने

के लिये तैयार नहीं हूं कि अगर कोई डाक्टर है और उसने जनता में कुछ त्याग किया है तो उसके बच्चों को भी जो लिखना पढ़ना तक न जानते हों, इंजक्शन लगाना न जानते हों, उन्हें भी डाक्टरी की उपाधि से विभूषित कर दिया जाय।

एक सदस्य—यह प्रश्न नहीं है इस समय ?

श्री गुप्तार सिंह—यह है प्रश्न में। हम यह नहीं कहते कि जिनको हम सम्मान पत्र देने जा रहे हैं उनको न दें, पर उनके कार्यों को देख कर दें। यह नहीं कि अगर किसी के पूर्वज ने अच्छे काम किये हैं तो उसी के आधार पर हम उनके आश्रितों को भी सम्मान पत्र दे दें। जिन्होंने बलिदान किया है उनका नाम तो अमर रहेगा, पर जो उनके आश्रित हैं उनके कृत्यों को भी हमें देखना होगा। अगर उनके कृत्य अच्छे नहीं हैं तो उसका उन्हें फल भोगना होगा। अपने ही कर्मों का फल उन्हें भोगना होगा।

अब मैं अपने जिले की सन् १९३० की बात कहता हूं। उस सन् में देश की आजादी के लिये वहां के लोगों ने बड़ा त्याग किया है। आज उनकी यादगार के लिये एक शहीद मार्ग बना दिया गया है और एक पत्थर वहां लगा है। किन्तु अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि किन-किन लोगों की मृत्यु हुई थी। कुछ गलत नाम बता दिये गये, लेकिन सही नामों का पता नहीं चला। सन् १९४२ में, सरेनी एक स्थान है, वहां पर ५ आदमी झंडा लगाने के लिये एक थाने पर गये और वे सब वहां मारे गये। उन लोगों का हमें जरूर सम्मान करना चाहिये और उनकी याद में कुछ जरूर करना चाहिये। उन लोगों के नाम का जरूर वहां पर एक स्मारक स्थापित होना चाहिये।

मैं उस जिले से आता हूं जहां पर राणा बेनीमाधव जैसे वीर पुरुष हुये हैं और जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। कवियों द्वारा उनका गान किया गया है। वहां पर एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्यकार, भी हुये हैं। यह दोनों ही देश के महान व्यक्ति हुये हैं। अगर देश के न सही, तो प्रांत के अथवा रायबरेली के तो कहे ही जा सकते हैं। वहां पर उनके नाम का एक स्मारक बनना चाहिये। कोई स्कूल या स्मारक उनके नाम का जरूर होना चाहिये। या कोई टेक्निकल कालेज उनके नाम से स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। राणा बेनीमाधव के लिये किसी सबूत देने की आज जरूरत नहीं है। उनके लिये कवितायें बनी हैं "राणा बना मरदाना"। वे अवध के नेता गिने जाते थे, लेकिन आज वे रायबरेली के भी नेता न गिने जांय यह हमारे लिये दुर्भाग्य का विषय है। रायबरेली में आज भी एक वृक्ष है जो पुकार-पुकार कर साक्षी दे रहा है, गोलियों के निशान आज भी उस वृक्ष पर हैं। तो उनके सिपाहियों का पता लगाना और उनको सम्मानपत्र देना यह बड़ी दुर्गम सी बात है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि लाखों आदमी बेघरबार हो गये, लाखों आदमियों का पता नहीं है, लाखों वंशहीन हो गये हैं, अब उनका पता लगाना कि राणा बेनीमाधव के साथ कौन सिपाही मरे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन राणा बेनीमाधव का कोई न कोई चिन्ह रायबरेली में बनना परमावश्यक है।

अब रामदुलारे जी का जो संशोधन है कि १८५७ से लेकर १९४२ तक के सभी शहीदों की सूची को दृष्टि में रखकर काम करना चाहिये वह बिलकुल सही है। पेंशनों का जिक्र हालांकि प्रस्ताव में नहीं है लेकिन पेंशनें जो दी गयी हैं उसमें जहां तक धनी आदमी हैं वे सब अधिकतर पेंशन पा चुके और जो गरीब हैं वे पेंशन पाने से अधिकतर वंचित हैं। जिसको पानी की प्यास कम हो उसके लिये ज्यादा पानी हो जाय तो वह काम अच्छा है, लेकिन एक बहुत भारी अड़चन है और वह यह है कि पहले यह नियम था कि जो एक बार जेल काट आया हो उसको पेंशन दी जाय लेकिन बाद को अब यह हो गया है कि दो बार जेल काटना लाजिमी है। तो मैं संशोधन का समर्थन करते हुये मंत्री जी से प्रार्थना और अनुरोध करूंगा कि पेंशन रूल्स में संशोधन करके जो गरीब हैं, जिनका शरीर जर्जरित हो चुका है ऐसे आदमी एक

[श्री गुप्तार सिंह]

बार भी जेल काटे हों तो उनको पेंशन अवश्य प्रदान की जाय। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। माननीया, मैं इस मूल प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो माननीय नारायणदास पासी जी ने आज सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संकल्प की शब्दावली को पढ़ने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि संकल्प के अन्दर न संशोधन की आवश्यकता है और न गुंजायश। यदि इसके शब्दों को हम ध्यान से पढ़ें, जो जिस प्रकार संशोधनों की सूची पीछे दी गयी है कि इसमें यह क्वालिफिकेशन बढ़ा दी जाय कि सन् १९३०, ३१, ४२ आदि में जिन्होंने देश के लिये कष्ट सहा हो, बलिदान किये हों, उनके नाम भी किसी न किसी प्रकार इसके संदर्भ में आ जायं, मैं समझता हूं कि इसके अन्तर्गत इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि इसकी अंतिम पंक्ति को यदि आप ध्यान से देखें उन लोगों को जो उनके बन्धु-बांधव या पारिवारिक जन हैं, १८५७ में जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया, उनको सम्मान सूचक प्रमाण-पत्र दिये जायं और उनको राजनीतिक पीड़ितों की भांति आवश्यक सुविधाएं दी जायं, तो ये शब्द प्रकट करते हैं कि हमारे देश में एक श्रेणी बनी हुई है राजनीतिक पीड़ितों की और उसके अन्तर्गत जो अभिप्रेत है उसके अनुसार संघर्षकर्ताओं की वह सभी चीजें आ जाती हैं। एक पेंशन प्रणाली सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों की बनाई है जो कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक रहे हैं। अगर आवश्यक हो तो उनको पेंशन दी जाय। उसकी कुछ शर्तें भी हैं कि उसमें अवस्था ५० वर्ष से अधिक हो और दो बार जेल गये हों और १९४२ में अनिवार्यतः उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। तो वह एक श्रेणी बनी हुई है और इस प्रस्ताव के अन्त में यही मांग की गयी है कि १८५७ में जिन लोगों ने देश के लिये बलिदान किया, कष्ट सहे उनकी जो शेष संतानें हैं, उत्तराधिकारी हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाय जैसा कि राजनीतिक पीड़ितों के साथ किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव में उलझन कहां है और कहां संघर्ष की आवश्यकता है।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

राजनीतिक पीड़ित जो १९२१ के असहयोग आन्दोलन में, १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में, १९३२ या १९४१-४२ के आन्दोलनों में जेल गये हों वह सब उस राजनीतिक पीड़ित की श्रेणी में आ ही जाते हैं। इस प्रस्ताव के द्वारा तो उन विस्मृत व्यक्तियों की ओर सरकार और आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है जो एक शताब्दी बीत जाने के कारण जिनके प्रति जो आस्था होनी चाहिये थी, हमारे पास जिनका संचित ज्ञान होना चाहिये था वह बहुत कुछ विस्मृति के गर्भ में डूब चुका है। अब शेष रह गये हैं उनके पारिवारिक जन, किसी का पोता, किसी का प्रपौत्र, किसी की पुत्री का पुत्र। इस तरह से सौ वर्ष का समय चूंकि बहुत लम्बा समय होता है, केवल कुछ पारिवारिक जन ही उनके शेष हैं और यह भी सामान्य बुद्धि से माना जा सकता है और मान लेना चाहिये कि इनमें से बहुत से लोग कष्ट-ग्रसित होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिनको सहायता की आवश्यकता है। तो यह संकल्प सरकार और इस आदरणीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि १८५७ में जिन लोगों ने बलिदान किया, संघर्ष किया, तप और त्याग अपने देश के लिये किया, उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको भी वही सम्मान दिया जाय जो आज हम राजनीतिक पीड़ितों को देते हैं। सरकार पहले से परिभाषा निश्चित कर चुकी है राजनीतिक पीड़ित की, उसके अन्दर आते हैं १९२१, १९३०, १९३२, १९४१ और १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये लोग, लेकिन १८५७ को हम भूल जाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि सरकार भूल जाती है।

इसी लखनऊ में गोमती के पावन तट पर एक शहीद स्मारक बना हुआ है। उस पर यह लिखा हुआ है कि उन "अगणित बलिदानों की स्मृति में जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, इत्यादि"। यह स्मारक सरकार की ही देख-रेख में बना है और जो बड़े से बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके संकल्प से, उनकी योजना से बना है। तो मैं यह नहीं मानता कि सरकार इस बात से इन्कार करती है, या इस सिद्धान्त को नहीं मानती कि १८५७ में जिन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये प्रयास किया वह राजनीतिक पीड़ित की अथवा राष्ट्र भक्तों की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह जरूर है कि जो राजनीतिक पीड़ितों के प्रति नियम सरकार ने बनाये हैं उनमें १८५७ में जिन लोगों का सम्बन्ध स्वतंत्रता आन्दोलन से था, उनके जो अब वंशज हैं उनके प्रति विशेष उदारतापूर्ण क्लाजेज नहीं हैं जिनका लाभ वह उठा सकें।

इस संकल्प के पक्ष और विपक्ष में लोग बोले, सभी की सहज सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो उन महानुभावों के वंशज और शेष हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रश्न उठाये गये, पार्टी के प्रश्न भी उठाये गये जबकि इसमें पार्टी का प्रश्न कभी नहीं आना चाहिये था। जगदीश प्रसाद जी बोले तो उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अच्छा है, इसका पूर्वांश तो ठीक है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वह भ्रामक है। लेकिन उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव को विचारपूर्वक नहीं पढ़ा। चूंकि इस प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि उन व्यक्तियों को जिनका सम्बन्ध सन् १८५७ के शहीदों से है, १८५७ के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीर थे उनसे रहा है, उनको भी वही सम्मान प्रदान किया जाय जो कि राजनीतिक पीड़ितों को किया जाता है। इसका मलतब है कि राजनीतिक पीड़ितों की निश्चित परिभाषा इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने है और उसी परिभाषा के अन्तर्गत हम उनको भी रखना चाहते हैं। तो फिर इस प्रस्ताव के अन्दर भ्रान्ति कहां है, यह मैं नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ समय पूर्व निवेदन किया था कि इस प्रस्ताव में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। जहां तक स्थान विशेष या व्यक्तियों के नाम लेने की बात है, मैं उसे आवश्यक नहीं समझता क्योंकि इस प्रदेश में फैजाबाद से लेकर मेरठ तक, प्रदेश के कोने-कोने में स्वतन्त्रता की ज्योति जली और जिसे सन् ५७ का विद्रोह कहते हैं उसके सम्बन्ध में शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पर वहां के स्थानीय निवासियों से पूछने पर यह पता न लग जाय कि वहां के अमुक व्यक्तियों ने उस संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कुछ लोग इस आन्दोलन को तात्कालिक जमीदारों का विद्रोह कहते हैं। अगर इसे वैसा ही मान लिया जाय तो भी आखिर वह आन्दोलन किसके प्रति था और किसके नियन्त्रण में हो रहा था? दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, उस विदेशी शासन के खिलाफ जोकि यहां पर अपनी सत्ता जमाये बैठी थी। यदि हम इस प्रकार का विद्रोह कहकर इसे टाल दें या उसके महत्व को कम करें तो मैं समझता हूं कि वह हमारी अज्ञानतामूलक बात ही होगी, भ्रामक बात होगी और उससे यह प्रकट होगा कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता नहीं प्रकट करते हैं। तो उस आन्दोलन का प्रकार कुछ भी रहा हो, उस में किन्हीं भी अस्त्रशस्त्रों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन जहां तक उस आन्दोलन के उद्देश्य का सम्बन्ध है, यह निर्विवाद है कि उस समय भी भारतीयों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आग भड़क उठी थी और लोग यह चाहते थे कि वह शासन यहां से समाप्त हो। उसमें जिन लोगों ने काम किया उनके सम्बन्ध में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पर हमको दो एक ज्वलन्त गाथाएं न मिल जायं।

मेरे जिले में भी ऐसे लोग हुये जिन्होंने मोर्चा लिया था। मेरे बहुत से मित्र बिजनौर, बरेली, हरदोई, लखनऊ, फैजाबाद, राय बरेली इत्यादि जिलों के नाम ले चुके हैं।

[श्री रामकृष्ण वैद्य]

जिन्होंने सन् १८५७ का इतिहास पढ़ा है वह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उस समय स्वतंत्रता की ज्वाला जल उठी थी। यदि उस समय कुछ लोगों ने काम किया, अपना बलिदान किया तो उनका अनिवार्यतः यह परिणाम है कि आज जो उनके वंशज हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो अपदस्थ हो गये हैं, उनको सहायता की जाय। उस समय जो जमींदार थे उनके वंशजों की यह लालसा होगी कि उस प्रकार की कुछ न कुछ सुविधायें उनको प्राप्त रहें क्योंकि इस प्रकार की भावना उनके रक्त में घुल मिल गई है। एक मित्र ने कहा कि यह बड़े अन्याय की बात होगी कि एक डाक्टर के बेटे को हम डाक्टर कहें। अध्यक्ष महोदय, यहां यह मांग नहीं है। मांग तो यह है कि एक डाक्टर के बेटे को डाक्टर न कहकर कम से कम डाक्टर का बेटा तो आप कहिये। राजनीतिक आन्दोलन में जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया उनकी आज जो सन्तानें हैं वह श्रद्धा की अधिकारी हैं, सद्भावना की अधिकारी हैं और राष्ट्रीय सम्मान की अधिकारी हैं। इसको मान लेने में मैं नहीं समझता कि आपको क्या संकोच है?

यहां पर अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं उनकी भी बहुत ज्यादा चर्चा की गई। मैं भी कुछ प्रसंगवश निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कृपापूर्वक कुछ नियम बनाये जिनकी आवश्यकता थी लेकिन जिस प्रकार से उनका प्रयोजन हुआ उससे लोग असंतुष्ट हुए। कुछ शर्तें रखी गईं, जैसे ५० से ऊपर उम्र हो या जो पांच से कम दो बार जेल गया हो सन् ४२ में, इन शर्तों के पूरा होने पर ही लोगों को पेंशन मिलती है। लेकिन जब वे लोग जो पेंशन पा रहे हैं उनकी सजायें क्वालिफिकेशन्स बराबर हैं तो फिर किसी को कम क्यों मिलता है और किसी को ज्यादा क्यों मिलता है? किसी को आप २०, किसी को २५ और किसी को ५० देते हैं। इस पेंशन के देने में ऐसा भी नहीं है कि जो पांच बार जेल गया हो उसको ५० मिलता हो और जो तीन बार गया हो उसको ३० मिलता हो। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो पांच बार जेल गया उसको २५ मिल रहा है और जो तीन बार जेल गया उसको ५० मिल रहा है। आखिर यह तमाशा क्या है? इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों को हेय बना रहे हैं और आप उनको अपनी और उनकी दोनों की दृष्टि में गिरा रहे हैं। आप ऐसे नियम बनायें कि जिसका राजनीतिक आन्दोलन से सम्बन्ध रहा हो, ऐसे नियम जो साधारण हों और वह दो तीन बार जेल जाने की शर्तों को हटा दीजिये। या कम से कम उन सब लोगों को आप प्रमाणित करें कि ये राष्ट्रीय आन्दोलन के सैनिक हैं, भले ही आप उन्हें कोई आर्थिक सहायता न दें। लेकिन कम से कम उनमें वर्गीकरण तो न कीजिये कि यह अधिक महत्वपूर्ण है और यह कम महत्वपूर्ण है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार राजनीतिक पीड़ितों के नियमों में कुछ संशोधन करेगी। जहां तक सहायता का प्रश्न है और पता लगाने का प्रश्न है, उधर के भी बहुत से माननीय सदस्य बता सकेंगे कि कौन किसका वंशज है। इस प्रकार उनका पता लग सकता है।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव की भावना को स्वीकार करेगा।

*श्री जगन्नाथ लहरी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदास जी पासी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि कुछ बड़े जिम्मेदार सदस्यों ने बीच में टोक-टोक कर यह पूछा कि क्या आपको उन लोगों के नामों का पता है जो सन् ५७ के पहले बाद के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी स्वतंत्रता-संग्रामों में शरीक हुए थे। मुझे अपनी सरकार की इन कार्यवाहियों पर बड़ी हैरत होती है। बजट में भी हमने देखा और सुना कि लाखों रुपया खर्च करके हमारी सरकार स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास को लिखवा रही है। जब सरकार के सदस्य यह महसूस करते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है, तो फिर यह इतिहास किसका लिखवाया जा रहा है? यह दुमुही बात क्यों प्रस्तुत की जा रही है? पुराना इतिहास अंधकारमय जरूर है, लेकिन कोशिश करने पर वह प्रकाश में आ सकता है। स्वतंत्रता-संग्राम का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के आन्दोलनों में ही जिन व्यक्तियों ने भाग लिया है वही भारत की स्वतंत्रता के सैनिक हैं। यदि अंग्रेजों की दासता से छुड़ाने के प्रयत्नों को हम स्वतंत्रता-संग्राम मानते हैं तो उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिये सर्व-प्रथम आन्दोलन या स्वतंत्रता की लड़ाई सन् १८५७ में हुई जो गदर के नाम से पुकारी जाती है। यदि हमें अंग्रेजों की दासता से मुक्ति का इतिहास लिखना है तो वह सन् १९२१ से नहीं, सन् १८५७ से लिखना चाहिये।

जब सरकार लाखों रुपया स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास लिखने में खर्च कर रही है तो इतिहास लेखकों को हिदायत दी जाय कि वे सन् १८५७ से लिखें। डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स और तत्कालीन १८५७ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके पत्रों की खोज-बीन की जाय, तो हमें हर बात का, हर व्यक्ति का, कुछ न कुछ पता लग सकता है। क्या सरकार उस रेकार्ड को भूल गई जिसमें सन् १८५७ के कानफीडेंशल रेकार्ड को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस जगह किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया? आज हमारे मोहनजोदड़ों की खुदाई में लाखों रुपया बरबाद किया जा रहा है और इस सरकार ने अभी १० लाख रुपया खर्च करके चिड़िया घर में अजायबघर बनाया है। वहां ईंट-पत्थर तो रखे-जा सकते हैं, लेकिन भारत के उन वीर सैनिकों का पता लगाने की कोशिश यह सरकार नहीं करती है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यह बड़े शर्म की बात है। इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है? यदि आपको सचमुच इन स्वतंत्रता-संग्राम के शहीदों का सम्मान करना है तो आइये और स्पष्ट शब्दों में कहिये कि हम चाहते हैं कि उनका इतिहास लिखा जाय।

हम कांग्रेसी इस बात के लिये दुनिया में मर रहे हैं कि अगर भारत को किसी ने स्वतंत्र कराया तो सिर्फ हम कांग्रेसियों ने ही कराया। १८५७ के सैनिकों को याद भुलाना स्वतंत्रता के इतिहास के साथ और अन्याय होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पुस्तकालयों में से डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स समाप्त हो गये हैं। उनमें १०० से अधिक पन्ने १८५७ के बारे में भरे पड़े हैं। मैंने जब १८५७ की स्वतंत्रता का इतिहास लिखा तो मुझे डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स से बहुत मदद मिली। उसके हर पन्ने पर लिखा हुआ है कि फलां इनफरमेशन फलां पुस्तक से ली गयी है। अगर सरकार में साहस है तो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में उल्लिखित पत्रों और पुस्तकों की खोज करे तो उसके सामने १८५७ का सही इतिहास आ जायगा।

लेकिन यह करे कौन? किसको इसकी परवाह है? एक साहब ने कहा कि पांच पीढ़ियों के बाद में तो पता ही नहीं लगता। लेकिन हर हिन्दू का कोई न कोई गोत्र है और वह किसी न किसी ऋषि के नाम पर है कोई परशुराम से संबंध रखता है, कोई जमदग्नि से और कोई वशिष्ठ से। हम तो उस समय से अपना इतिहास जानते हैं। आप केवल सौ वर्ष के इतिहास की बात ही करते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जायेंगे जो अपनी आंखों देखी कहानी आपको बता देंगे। लेकिन उसका पता यह सरकार नहीं लगाती है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार १८५७ के शहीदों का पता लगाना ही नहीं चाहती है और बात करती है शहीद स्मारकों की। मैं पूछना चाहता हूं कि यह ढोंग फिर क्यों है? शहीद स्मारकों पर फिर लाखों रुपया क्यों बरबाद किया जा रहा है?

[श्री जगन्नाथ लहरी]

मैंने एक संशोधन इस प्रस्ताव में दिया था जो एजेण्डे में नहीं आया। वह संशोधन इस प्रकार था---

"१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में, अंग्रेजों की सहायता करने में जिन व्यक्तियों की अंग्रेजों ने सहायता की थी और पुरस्कारस्वरूप उनको जो जायदाद मिली थी वह जप्त की जाकर स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के वंशजों में वितरित कर दी जाय।"

मुझे दुःख है कि उसको एजेण्डे में नहीं रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रेवेन्यू विभाग समाप्त हो गया है। उसके रिकार्ड्स से इस बात का स्पष्ट पता चल जाता है कि १८५७ के गदर को दबाने के लिये अंग्रेजों ने पुरस्कार स्वरूप किन-किन लोगों के वंशजों को सहायता दी। लखनऊ में क्या आप कैसरबाग को भूल गये हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें ५६० आदमी जो रह रहे हैं क्या वे महल उनकी निजी संपत्ति हैं? क्या एक व्यक्ति भी उनमें से बता सकता है कि वह उसने खरीदी थी? लखनऊ का बच्चा-बच्चा जानता है कि १८५७ के गदर में अंग्रेजों की मदद करने वाले लोगों को पुरस्कार स्वरूप यह कोठियां दी गयीं थीं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह नहीं कर सकती कि उनको जब्त करके स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों में उसके वितरित कर दे? इसी तरह की संपत्तियां हर जिले और शहर में मौजूद हैं।

जमींदारी तो समाप्त हो गयी लेकिन उसके बांड्स अभी लोगों के पास हैं। जो ले लिये गये वे तो ले ही लिये गये, लेकिन सरकार उन बाकी बांड्स को जब्त कर दे और जब्त करके स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को बांट दे। यह कांग्रेस के लोगों के पुत्रों को स्कालरशिप क्यों दिया जाता है? क्या इन्होंने कोई कुरबानी की थी? उनको राजनीतिक पीड़ित केवल इसलिये माना जाता है और ३०-४० या १०० रुपया स्कालरशिप इसीलिये दिया जाता है क्योंकि उनके पूर्वज राजनीतिक पीड़ित माने जाते हैं। केवल जेल में जाने का पुरस्कार तो १००-५० रुपया माहवार उनके लड़कों को दिया जाता है लेकिन जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, जहां शहर के शहर और गांव के गांव सफा कर दिये गये वहां के शहीदों का पता लगाने के लिये सरकार को फुरसत ही नहीं है। अगर हमारी सरकार का यही रवैया रहा तो मैं समझता हूं कि शायद हम लोग यह भी भूल जायंगे---आज इतिहास के पन्ने को चाहे कितना भी दबाने की कोशिश की जाय, अन्धकार में इतिहास जरूर छिप सकता है लेकिन किसी न किसी दिन इतिहास प्रकाश में आता है।

आज चाहे सरकार उसकी खोज न करे, लेकिन स्वतंत्रता के दीवाने और जिन लोगों के अन्दर देशभक्ति की ज्वाला प्रकट हो चुकी है वे इस इतिहास का पता लगा कर ही मानेंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिये लाखों रुपया बर्बाद किया जा सकता है, हिंसात्मक जानवरों के इतिहास का पता लगाने के लिये मुर्दा अजायबघर बन सकता है, लेकिन दुख है कि भारत की उन अमर आत्माओं के लिये जिन्होंने देश के लिये अपना सर्वस्व बरबाद कर दिया, उनके इतिहास की जानकारी सरकार नहीं करा सकती। धन्य है यह सरकार और ऐसी सरकार को लाख लाख धन्यवाद है। सबसे बड़ा धन्यवाद तो यह है कि अगर श्री नारायण दास पासी ने इस संकल्प को वापस नहीं लिया तो उसके लिये एक ह्विप जारी किया गया है कि सब कांग्रेसी सदस्य उस प्रस्ताव के विरुद्ध मत दें।

मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस दल को ही स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक कहलाने का हक कैसे मिला, उनको क्या हक है कि जिसको वे चाहें उसको ही स्वतंत्रता, संग्राम के सैनिक कहें और उनको ही राजनीतिक पीड़ित होने का प्रमाणपत्र दिलावें। यह अजीब बात है कि एक कांग्रेसी सदस्य की तरफ से ही राजनीतिक पीड़ितों को प्रमाणपत्र देने का प्रस्ताव आवे तो उसके लिये ह्विप जारी किया जाय कि अगर नारायण दास पासी ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो समस्त कांग्रेसी सदस्यों को एक मत से उस प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देना होगा। इस कांग्रेसी राज्य में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के इतिहास की जानकारी कराना भी गुनाह समझा जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायण दास पासी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि सभी कांग्रेसी सदस्यों को इस प्रस्ताव के पक्ष में मत देना चाहिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। जब कोई साहित्य यहां बंटता है तो उसकी जानकारी प्रत्येक सदस्य को होती है। लेकिन अभी जो चीज बांटी गयी है, वह हम लोगों को उपलब्ध नहीं है और पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की आजादी की लड़ाई मेरे विचार में उस समय शुरू हो जाती है जिस दिन से उस देश में गुलामी की नींव पड़ती है। इस प्रकार हिन्दुस्तान में गुलामी की नींव प्लासी और बक्सर के मैदानों में तलवारों की झंकार के नीचे पड़ी और उसी दिन से हमारे देश को आजाद करने का प्रयास भी शुरू हो गया। हम सबको मालूम है कि सबसे पहले शहीद, प्लासी के मैदान में हमारे देश की हार के बाद, महाराज नन्दकुमार हुए। महाराज नन्दकुमार और मीरकासिम ने इस बात से निश्चिन्त हो जाने के बाद कि अब हिन्दुस्तान गुलाम होगा तथा अंग्रेजों की काली छाया देश पर मड़रायेगी, उन्होंने ही सबसे पहले विद्रोह का झंडा बुलन्द किया था।

१०० वर्ष के बाद एक संगठित रूप से हमारे देश में पहला प्रयास हुआ जिसे देहात के गैरजानकार और पुराने लोग बदअमली और बगावत के नाम से पुकारते रहे। १८५७ में हमारे देश का यह पहला और संगठित प्रयास हिंसात्मक तरीके से मुल्क को आजाद करने का था जिसमें हमारे देश की गरीब जनता भी शामिल हुई थी और उसमें जो असन्तुष्ट राजे महाराजे थे जो किन्हीं कारणों से कम्पनी सरकार से असन्तुष्ट थे, वे भी शामिल हो गये थे। नेतृत्व उनके ही हाथों में था, लेकिन लाखों की संख्या में जनता ने भी उसमें हिस्सा लिया था। यह स्वतंत्रता संग्राम था। उसकी असफलता के बाद बहुत दिन तक ऐसा लग रहा था कि देश सो गया है। उसके बाद आजादी की जो कोशिश हमारे देश में आरम्भ हुई जो दो प्रकार की थी। एक तो क्रान्तिकारियों के प्रयास का रूप था और दूसरे कांग्रेस के झंडे के नीचे रह कर जो प्रयास किया गया वह था। दोनों के लक्ष्य में समानता जरूर थी, लेकिन साधनों की विभिन्नता दोनों में स्पष्ट थी। एक लक्ष्य था कि हथियारों के द्वारा अंग्रेजों को देश से निकाला जाय। इसके प्रारम्भिक रूप में आतंकवादी कार्यकलापों के रूप में अंग्रेजों का मुकाबला हुआ उस अंग्रेजी आतंकवाद का मुकाबला क्रान्तिकारी प्रतिक्रियावाद से यानी टेररिज्म का मुकाबला काउन्टरटेररिज्म से किया गया, एक क्रान्तिकारी एवं उग्र तरीका अपनाया गया।

हमारे देश में सबसे पहले इस दिशा में स्वर्गीय थापेकर बन्धुओं का जिक्र है। ये आगे बढ़े, इन्होंने अंग्रेजों की हत्या के सम्बन्ध में फांसी की सजा पायी, ये पूना के रहने वाले दो भाई थे। इन्हें १८९७ में फांसी हुई थी। इसके साथ ही दूसरा आन्दोलन कांग्रेस के झंडे के नीचे आरम्भ हुआ और महात्मा गांधी के आने के पहले उसका एक रूप था और उनके आने के बाद उसका दूसरा रूप बना। उसके आने के पहले जो रूप था वह मुख्यतः इतना ही था कि केवल सम्मेलन कर प्रस्ताव पास किये जायं और वह उस समय की अंग्रेज सरकार या वाइसराय के पास भेज दिये जायं, बस यही उनका एक कार्य था और उस आन्दोलन के स्वरूप में कांग्रेस जन संघर्ष एवं जनशक्ति का रूप धारण नहीं कर पायी और कांग्रेस ने क्रियात्मक कदम उठाने का कोई निश्चय नहीं किया। महात्मा गांधी के आने के बाद कांग्रेस के रूप में, उसके संघर्ष मार्ग में एक मौलिक और अमली परिवर्तन हुआ जिसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वह इतिहास हम सब को मालूम ही है।

जो प्रस्ताव यहां माननीय नारायण दास पासी जी ने पेश किया है उसका समर्थन मैं इसलिये करता हूं कि उसमें कुछ विशेषता है। सन् १९२०, २१, ३०, ४१ और ४२ के आन्दोलनों में

[श्री झारखंडे राय]

जो हमारे प्रदेश और देश के लोग जेल गये उनको असली तौर पर हम आजादी की लड़ाई का सिपाही मानते हैं और इस सरकार ने भी उनमें से कुछ को सहायता देने की चेष्टा की है इसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं, इस दिशा में जो कुछ प्रयास हुआ है उसकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जिसका होना चाहिये था जो अभिप्रेत है उसको देखते हुये जो कुछ हुआ है वह नहीं के बराबर है इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आज की सरकार के पहले जो यहां मंत्रिमंडल था उसने हमारे सूबे के कुछ हिस्सों में स्मारक बनवाये हैं, मेरठ में, बुलन्दशहर के आंसा नगर, लखनऊ में, वाराणसी में, बिठूर में अथवा कानपुर में वह एक विशुद्ध प्रयास था, उन महान शहीदों के स्मारकों का मैं चाहता हूं कि वह प्रयास और बढ़ाया जाये, इस काम के लिये २–४, १०–२० लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। आज उन शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप ही हम मिला है और उसका फल प्राप्त कर रहे हैं, वे तो मर गये, लेकिन उनके अरमान थे कि—

उरूजे कामयाबी पर कभी हिन्दोस्तां होगा,
रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा।
कभी वह दिन भी आयेगा जब अपना राज देखेंगे,
जब अपनी ही जमीं होगी जब अपना आसमां होगा।।

लेकिन उनके वह अरमान उनकी जिन्दगी में पूरे नहीं हुये और वे हमारे बीच से चले गये। परन्तु अपने खून से उन्होंने आजादी के संघर्ष को इतना सिंचित किया कि आज उनके फलस्वरूप हमारा आजादी का मन्दिर खड़ा हुआ है और उनकी स्मृति बनाये रखने का एक भाई साधन रह गया है कि—

"शहीदों के मजारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।"

मैं चाहता हूं कि मौजूदा सरकार थोड़ा सा पैसा इधर और भी लगाये और जिन्होंने भी मुख्य मुख्य शहीद सन् १८५७ के आन्दोलन के हों, हिंसात्मक या अहिंसात्मक संघर्ष करने वाले हों, उनका छोटा मोटा गारे, ईंट पत्थर का स्मारक बनाने में कोई बड़ा पैसा नहीं लगता बल्कि वह एक प्रतीक होता है उन के उस बलिदान का जो उन्होंने देश के लिये किया। इसलिये उस दिशा में सरकार को कुछ थोड़ा साहस बढ़ाना चाहिये। ऐसे स्मारकों से वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को निरन्तर प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। मिसाल के तौर पर लीजिये। हमारे सूबे में बहुत से षडयंत्र केस चले थे। बनारस षडयंत्र केस, मैनपुरी और काकोरी षडयंत्र केस, मुसावल बम केस, जिसका श्रीमन्, आपको पूरा परिचय है, झांसी के रहने वाले दो सज्जन जिसमें थे, और बिचरी डीह नन्दगंज तथा नाबसपुर खालिसपुर एवं सहजनवां षडयंत्र केस अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोहा लेने के लिये किये गये थे। इन तमाम इतिहासों का संकलन होना चाहिए।

कांग्रेस की जो देन है वह महान रही है लेकिन जो आजादी मिली है उसमें १८५७ के गदर का महान योग है, क्रान्तिकारियों की शहादत एवं उनके समस्त प्रयासों का महान योग है, १९०५ और १९०३ में जो बंगाल में बंग भंग आन्दोलन हुआ जिसका कांग्रेस से सीधा सांगठनिक संबंध नहीं था उसका भी महान योग है। अलावा इसके कि कांग्रेस की उसमें महान देन रही, खासतौर से महात्मा गांधी के आने के बाद, आई० एन० ए० ने जो प्रयास किया है उसका भी असर युद्धोत्तर भारत में हमारे देश की फौजों तथा जनता पर पड़ा, उसे क्या हम भूल सकते हैं? हम समझते हैं कि हम अकृतज्ञ होंगे अगर उनको भुला दिया जाय। जो नाविक एवं सैनिक विद्रोह बम्बई, कराची, लखनऊ और जबलपुर में हुआ था उसका भी योग हमारी आजादी में है। आई० एन० ए० का जो प्रयास हुआ जिसमें उन्होंने मणिपुर,

कोहिमा और इम्फाल वगैरह में कुछ भूमि पर कब्जा किया था उसके असर से ५७ के बाद हमारी भूमि पर पहला विद्रोह नाविक विद्रोह हुआ जिसमें एक फौजी और जनता की क्रान्तिकारी एकता पैदा हुई थी। उसका भी एक महान् योग इसमें रहा है। १८ फरवरी, १९४६ को बम्बई में विद्रोह हुआ था और २१ फरवरी, १९४६ को, तीन दिन बाद लंदन पार्लियामेंट से ऐलान किया जाता है कि तीन आदमी दिल्ली में बातचीत करने के लिये जायेंगे। तो नैवल म्यूटिनी ने आखिरी कंकड़ी रख दी उस ऊंट के ऊपर जो अंग्रेजों का ऊंट था और उन्हें यह महसूस हुआ कि हिन्दुस्तान में जो सबसे बड़ी ताकत फौज की थी जब उसी की जड़ें हिल गईं तो अब हम हिन्दुस्तान को तलवार के बल पर नहीं रख सकते। मेरा आशय है कि इतिहास तथ्य के रूप में होना चाहिए। फैक्ट इज फैक्ट (fact is fact) चाहे उसमें व्याख्या कम हो, समीक्षा कम हो, लेकिन जो तथ्य का संकलन हो वह निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। इस प्रकार हम उन शहीदों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे।

सन् १८५७ की क्रान्ति में जिन लोगों का सब कुछ लूट लिया गया और जिन देशद्रोहियों को बड़े-बड़े स्थान और बड़ी-बड़ी कोठियां एवं जागीरें दी गयीं, क्या वह उनसे नहीं ली जा सकती हैं? लहरी जी ने जो कहा वह सही है कि उन चीजों को लेकर उनको दे दिया जाय जिनसे लेकर आज के मालिकों को दी गई थीं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे काकोरी के षडयंत्र केस के महान् नायक और शहीद श्री रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई। आज उनके नाम पर वहां अथवा जन्म स्थान शाहजहांपुर में कोई स्मारक नहीं है। असफाक उल्लाह हिन्दुस्तान के पहले मुसलमान थे जिन्हें फैजाबाद में फांसी दे दी गई। रोशन सिंह को गोंडा में फांसी हुई और राजेन्द्र लाहिड़ी को इलाहाबाद में। कुछ थोड़े से शहीद अपने सूबे के हैं, पंजाब और बंगाल के तो बहुत हैं, ऐसे लोगों की जीवनियां इकट्ठी करना और कुछ ईंट और गारे का स्मारक बनवा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ, चूंकि समय नहीं है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार उदारतापूर्वक इस पर विचार करेगी और कुछ आगे बढ़ेगी। ह्विप के जरिये से इसे गिराने की कोशिश करना बहुत बुरा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं इस प्रस्ताव का समर्थन या विरोध क्या करूं। जो कांग्रेस के ह्विप श्रीमान् शान्ति प्रपन्न शर्मा जी की ओर से एक आदेश दिया गया है....

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में भाषण नहीं होगा, भाषण प्रस्ताव पर ही होगा।

श्री बंशीधर शुक्ल—भाषण उसी पर देंगे लेकिन इसको पढ़ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल—तो श्रीमान् जी यह तो चर्चा आ ही चुकी है कि उन्होंने एक आदेश दिया है। उधर से तो कहा जाता है कि प्रस्ताव आये, शहीदों को कुछ इज्जत हो, राजबन्दियों को कुछ सहायता की जाय, प्रस्ताव रखा जाता है सरकारी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं, इसके विरुद्ध वोट दो। तो मैं तो लीडरों की हमेशा दुरंगी नीति देखता चला आ रहा हूं और सन् १९२१ से लेकर आजतक लड़ाई के मामले में आया और लड़ता रहा और देखता रहा आज सब कुछ दशा जानता हूं। सभी ने कहा है कि

[श्री बंशीधर शुक्ल]

सत्याग्रहियों के संबंध में कांग्रेस उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। बात बिलकुल सही है। आप स्वातन्त्र्य संग्राम का सन् १८५७ से एक इतिहास मानते हैं। उस समय से क्रान्तिकारी पार्टी चली आ रही थी। उस क्रान्तिकारी पार्टी को दफना कर यह सत्य अहिंसा वादियों की पार्टी इस देश में आयी। लेकिन वह क्रान्तिकारी पार्टी दबी नहीं। इस सत्य अहिंसावादी पार्टी के आन्दोलन तभी सफल हुए जब एक न एक क्रान्तिकारी आदमी का बलिदान हो गया।

सन् १९४२ में तो लीडरों के पास कोई चारा ही नहीं रह गया था, किंकर्त्तव्य विमूढ़ की भांति कहते थे कि करो या मरो और अंग्रेजों से सट्टा करके जेल के भीतर बैठ गये थे और मरने के लिये पूरे देश को छोड़ दिया। आखिर सन् १९४२ की आजादी की लड़ाई में कौन सा लीडर बलिदान हुआ, जरा बतायें? श्री राजगोपालाचार्य बलिदान हुये, श्री सीतारमैया बलिदान हुये या सरदार पटेल बलिदान हुये? बलिदान हुआ तो राजनारायण मिश्र का। और उनके साथी कैलाश अगर कहीं मिल गये होते तो उनको भी फांसी दे दी जाती। आज वे मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको पेन्शन भी नहीं दी जाती। तो मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है सिर्फ यही कहना है कि सत्य, अहिंसा और जेल यात्रा का आन्दोलन सफल नहीं हुआ, यह सर्वदा लचर स्कीम रही है और उन्हीं लोगों ने इसको चलाया जिन्हें कुछ करना धरना नहीं आता था। जिन्होंने कुछ किया है वे क्रान्तिकारी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और सत्य अहिंसावादी पार्टी में वे तभी आये जब उन्होंने देखा कि और कोई बस नहीं चलता है। इसीलिये आप सी० क्लास के कैदियों को सौतेली मां के लड़के के समान समझते हैं। कभी आपने इस बात की कोशिश नहीं कि उन लोगों को ईमानदारी से पेन्शन दी जाय। कौन सी बड़ी बात थी, लाख-डेढ़ लाख के करीब भारतवर्ष में कैदी थे। जहां आप लाखों रुपये की पेंशन सरकारी नौकरों को और लोगों को देते हैं वहां आज जब ये लोग लिख कर भी देते हैं तो आप उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि वे इस बात का प्रमाण दें कि वे राजनीतिक पीड़ित हैं। कितने शर्म की बात है कि जिस डी०सी० से लड़ाई रही उससे पेन्शन मांग कर जिन्दगी की भीख मांगे।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश के सत्याग्रह आन्दोलनों में यादगार के इतिहास में कवियों का कम महत्व नहीं रहा है। गांव में जन कवियों ने और बहुत से लोगों ने गीत लिखे और गाये और अगर उनकी जेब में कहीं वह कागज मिल गया तो वे पकड़ लिये गये जेल गये। मैंने खुद यह गीत लिखा था उसको जेब में पा जाने पर सन् ४० ई० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीन साल की सजा हुई। जबकि ९ मास की सजा होती थी और छोड़े भी नहीं गये।

सब सदस्य---कविता कविता

श्री बंशीधर शुक्ल---कविता है "आप गदर न मचायें"--हम जेल ही में रहें कांग्रेस कमेटी ने उसको छपवा कर गुप्त रूप से बटवाया और वही हुआ जो सब गदर का प्रोग्राम हमने बताया था।

(माननीय सदस्य ने एक लम्बी सी कविता जबानी सुनाई।)

श्री अध्यक्ष---क्या आप चाहते हैं कि यह कार्यवाही में छपे?

श्री बंशीधर शुक्ल---जी नहीं, कार्यवाही में मैं छपवाना नहीं चाहता।

वह समय निकल गया राज्य बदल गया, जमाना बदल गया, हम बदल गये तो अब क्या राग में फंसे।

श्री अध्यक्ष---तो फिर ठीक है।

श्री बंशीधर शुक्ल---यह बात पुरानी है। लेकिन मैं बताता हूं कि मेरी कविता मेरे पास १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में निकल आयी थी। उस पर मुझे तीन साल की सजा

हो गई थी। मेरे साथी गुप्तारसिंह मौजूद हैं। यह जो हम लोगों ने आपके साथ लड़ाई लड़ी थी, हमने जब देखा कोई रास्ता नहीं है, तो कहा चलो सत्याग्रह ही करो।

अब कहना यह है कि गीत लिखने वालों को आपने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। किसी के पास कोई गीत लिखा हुआ मिल जाता था तो वह पकड़ लिया जाता था। वह गीत नोच कर फेंक दिया जाता था। उन कवियों ने गीत गाकर जागृति पैदा की और जागृति से स्वतन्त्रता आन्दोलन चला, लड़ाई हुई और विजय हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने उस समय पर अंग्रेजों की गुलामी की, आज उनको राष्ट्र कवि माना गया है। मैथलीशरण गुप्त की कौन-सी रचना है जिसको पढ़ कर देश में इन्कलाब आया है ?

श्री अध्यक्ष--वैयक्तिक हमला नहीं होना चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल--जो अंग्रेजों के १९४२ में प्रचारक थे उनको पार्लियामेंट का मेम्बर बनाया गया--रामधारीसिंह दिनकर को। इसके अलावा मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। खेर साहब ने मना कर दिया है, इसलिये उनका आदेश सर्वमान्य है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिन लोगों के गीतों का बड़ा वर्णन किया जाता है, मैं नहीं जानता कि वह कौन से गीतों के बड़े लिक्खाड़ हैं। मैं भी गीतों का लिक्खाड़ हूं। मैंने हजारों गीत लिखे हैं। कांग्रेस के पक्ष में बीस साल रचनायें रचीं सैकड़ों देश व्यापी हुईं, सैकड़ों प्रान्त विख्यात हुईं। अब तक छै हजार रचनायें रच डाली हैं।

श्री अध्यक्ष--आपको प्रान्त का कवि मान लिया जाय ?

श्री बंशीधर शुक्ल--अगर मैं भी प्रोपेगैंडिस्ट होता तो मुझे राष्ट्रकवि नहीं, न मालूम क्या मान लिया जाता, अगर आप के साथ होता। लेकिन मुझे लड़ाई पसन्द है। मैंने यह व्रत लिया है सरकार से लड़ने का, आज भी वही कहते हैं कि--

सहम कहतें हैं सत्ताधीशों तुम दमन करो हम सहन करें।
लानत आफत अन्याय जुल्म जो कर पायें मत रहम करें।
हम भी तो लड़ने वाले हैं, देखें लड़कर गति क्या होगी,
किसके मुख पर स्याही होगी, किसकी नभ में गुंजन होगी,
जब जीवन साथी दुःख मिला तो सुख की आस लगायें क्या,
जीवन भर बोले इन्कलाब अब गीत प्रणय के गायें क्या।

मैं तो इन्कलाबी लेखक हूं। मुझे न अंग्रेजी राज्य में और न इस मूर्ख मनहूस राज्य में किसी प्लैटफार्म पर यह मौका मिला कि मैं खुल कर अपनी रचना सुना सकूं। पिछले साल दिल्ली में सम्मेलन हुआ था २६ जनवरी को। हमारे मंत्री जी जगजीवन राम जी भी आये थे। कहने लगे कि कवियों को स्वतन्त्र होना चाहिये। मैंने कहा कि मुझे आप बोलने का अवसर दीजिये। २५ हजार जनता बैठी है। कहिये तो हंसा दूं, कहिये तो रुला दूं और कहिये तो लड़ाई के मैदान में ले जाकर खड़ा कर दूं। तो सभापति हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे कि मेरे ऊपर दया कीजिये।

तो कहना यह है, दुख इस बात का है कि आप उन लोगों को भूल गये जिनके गीतों से देश में जागृति आयी, जिनके द्वारा देश स्वतन्त्र हुआ। उनके गीतों को इकट्ठा करिये और इकट्ठा करके पुस्तक छपवाइये। आप 'ए' क्लास में जेलखाने में रहते रहे और उनको 'सी' क्लास मिलता रहा। उनके साथ सौतेला बरताव बन्द कीजिये। उनकी जिलेवार पुस्तक छपवाइये। मेरे जिले में १२ सौ जेल यात्री हैं। एक द्वारका प्रसाद हैं। उन्होंने १९४२ के विप्लव में कहा था कि इस पूरे आन्दोलन के जिम्मेदार हैं। उनको फांसी का हुक्म हो गया था। लेकिन वकीलों ने वकालत की तो तीस साल की सजा हो गई थी। आज उनके पास पैसा नहीं है वह भूखों मर रहे हैं। उनको कोई पेन्शन नहीं मिल रही है। राजनारायण के नाम से स्मारक है। उनकी बीवी को केवल ३० रुपये माहवार पेन्शन मिलती है। काशीराम जी, जिन्होंने १९२१ में मास्टरी छोड़ कर जेल यात्रा की थी, उनको भी पेन्शन नहीं दी जा रही है।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

धौरहरा जहां पर तुलसीदास ने बैठ कर रामायण लिखी है, उसी गांव में पं० छोटेलाल, श्यामलाल १९२१ के आन्दोलन में चार भाइयों के साथ पकड़ लिये गये। ३८ आदमी साथ में पकड़े गये थे सब नेस्तनाबूद कर दिये गये। पुलिस ने उनका पूरा मकान घेर कर बरबाद कर दिया क्योंकि उन्होंने चन्द्रशेखर ओझा को जब वह गिरफ्तार हुये तो शाला पहुंचाई थी। तीस पैंतीस साल की सजा हुई, बहुत से जेलों में मर गये, जो आये वह मर गये। कुछ मर रहे हैं मगर कोई पूछता हाल नहीं, यह कांग्रेसी पेन्शन की दशा है और पूरा मकान उनका बरबाद कर दिया गया। आज एक गढ़ी की तरह वह खड़ा है। वह कहते हैं कि हमारा मकान ही हमें वापस कर दिया जाता तो हम पैत्रिक भूमि पर बैठ तो जाते आज हमारे गांव में वह रहते हैं, यह इस सरकार की तारीफ है। जमीन छिन गई, घर लुट गया जिस सरकार के बनाने में, वही सरकार मिटा रही है।

सन् १८५७ के इतिहास में भी हमारा जिला लखीमपुर किसी से पीछे नहीं रहा है। लोने सिंह ने हजारों अंग्रेजों को मारकर गोमती में फेंका आज भी औरंगाबाद में अंग्रेजों की कब्रें हजारों की तादाद में बनी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े भी नहीं गये थे। लोनेसिंह का राज्य छीनकर राजा महमूदाबाद को दे दिया गया जो अंग्रेजों के खैरख्वाह थे, कांग्रेस ने भी उनको अपना मान लिया। यह राजा लोनेसिंह, राजा मोरध्वज के खानदान के थे, अहबरन क्षत्री थे। जिस समय उनका राज लिया गया उस समय कोई भी यह कहने के लिये तैयार नहीं हुआ कि हम राजा लोने सिंह के खानदान के हैं। भीखमपुर के पांडे लोगों की सारी जायदाद जब्त कर ली गई, राजा साहब चहलारी नरेश का हाल तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो यह सब इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। एम०एन० राय को छोड़ा नहीं जाता। समय परिवर्तनशील हुआ करता है आज आप तख्तनशीन हैं, कल सम्पूर्णानन्द जी की तरह कहीं बैठे दिखाई दे सकते हैं। दुनिया परिवर्तनशील है। उलट-पलट चलता रहता है। यह नहीं कहा जा सकता कि आज मैं एम०एल०ए० बनकर बोल रहा हूं, कल क्या हूंगा। हो सकता है कि कल मुझे भी किसी से पास मांगना पड़े। यही दशा मंत्रियों की भी हो सकती है। जमाना परिवर्तनशील है। न जाने कौन क्या हो जाय कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि—

जेल जाय जो माफी मांगत सो मंत्रित्व करत
जेल काटि अब्दुल गफ्फार पुनि जेल परो भुकरै,
दयानिधि तेरी गति लखि न परै।

हमारे यहां तो जब पब्लिक की सरकार बनी तो हम यह समझते थे कि जो भी कौम के गद्दार हैं ये लटका दिये जायेंगे, लेकिन उसमें भी उन्हीं को अपनाया गया—

कहं भाभा कहं भीम, गाडगिल, मोदी, जानमथाई,
कहं षडमुख बलदेव मुकर्जी, कहं दिल्ली प्रभुताई,
लड़ि लड़ि मरे सुभाषचन्द्र पर नेहरू राज करै,
दयानिधि तेरी गति लखि न परै।

तो श्रीमान् जी यह दयानिधि की गति है। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि—

कहं निजाम बुन्देलखंड, कहं भोपाल राजपूताना,
कहं जमींदारी, ताल्लुकेदारी, कहं रानी, कहं राना,
आज कलम का एक दलाल हंसि राज उन्मूल करै,
दयानिधि तेरी गति लखि न परै।

तो श्रीमान् जी यह जमाना परिवर्तनशील है। पता नहीं कब किसका क्या हो जाय ? इसलिये इस चलते फिरते जमाने में कुछ काम कर जाइये।

एक बात और कह दूं, इसके बाद बन्द करता हूं। प्रत्येक जिले की एक रिपोर्ट छपवाइये जिसमें उन सभी आदमियों के नाम हों जिन्होंने जेल काटी है और हर तरह के कष्ट सहे हैं। उसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। ४ लाख रुपया आप विकास योजना में सरकारी क्वार्टरों में देते हैं अपने अफसरों के मकान बनाने के लिये, दो चार सौ रुपया इसके लिये भी दे दीजिये, इनका एक इतिहास हर जिले में छपवा दीजिये। आपने तो अपने साथियों का सत्यानाश कर दिया है। जब हम लिख कर देते हैं तो आप फौरन उनको पेन्शन दीजिए। प्रस्ताव तो वापस हो जायेगा उसके लिए क्या कहूं ? यह या तो वापस हो जायगा या फेल हो जायेगा जब कि ह्विप का आदेश निकल चुका है।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। हर देश में स्वतंन्त्रता आन्दोलन के सैनिकों की पूजा या प्रतिष्ठा की जाती रही है। लेकिन आज सवाल यह है कि हम उस सौ वर्ष के पीछे जो बातें हुईं आज उसका किस तरह से कार्यान्वियन करें। अगर उस वक्त स्वतन्त्रता आन्दोलन जिसे कहा जाता है सन् ५७ का गदर सफलीभूत होता तो वह लोग स्वयं पुरष्कृत हो जाते उसी समय। लेकिन आज सौ वर्ष बीत जाने के बाद व्यावहारिक कठिनाइयां आ गई हैं। वह स्वतन्त्रता आन्दोलन जिसे कहा जाता है, उसका उस वक्त धार्मिक भावनाओं से आविर्भाव हुआ था जिसे कि सिपाही गदर कहा जाता है, किस तरह से कारतूसों के बारे में चीज चली थी, बाद को वह आन्दोलन आया, लेकिन उसको सामन्ती आन्दोलन आप मानेंगे और वह किस रूप में भारतवर्ष के सामने आता। आज दूसरे देशों ने भी स्वतन्त्रता आन्दोलन किया, अमेरिका ने भी किया और दूसरे लोगों ने भी किया। हम कह सकते हैं कि रूस के जार ने भी स्वतन्त्रता आन्दोलन किया और चीन के लोगों ने भी स्वतन्त्रता आन्दोलन किया, लेकिन मैं नहीं जानता कि वे कितना पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से पाने के अधिकारी हुये हैं और प्राप्त करते हैं।

आज हमने देखा कि हमारे यहां स्वयं जिन लोगों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन किया और जिनके पूर्वजों ने आन्दोलन चलाया उनकी संतानों ने १९३२ में घोड़ों से उन आन्दोलन करनेवालों को रौंदवाया। इस तरह की बातें यहां पर हुई हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। हम इस तरह के हजारों स्मारक इस रूप में बना सकते हैं—पत्थर के ऊपर उन के नाम खोद दिये जायं, लेकिन उनके परिवार वालों को राजनैतिक सुविधा दें और इस तरह से राजनैतिक सुविधा आगे भी दें तो क्या यह संभव है ?

उन लोगों के सामने भी स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास रहा होगा तो आज हमको इतिहास के रूप में उसको देखना है। मैं यह समझता हूं कि देश में स्वतंत्रता आन्दोलन के पुजारियों को पुरस्कार देकर राष्ट्र को दिवालिया बनादें और उनके उत्तराधिकारियों को फिर उसी प्रकार से सम्मानित करें चाहे उनकी मनोवृत्ति किसी प्रकार की रहें, किसी प्रकार की उनकी भावना रहे तो यह युक्तियुक्त नहीं होगा। हां यह बात अवश्य है कि वह महानात्मा थीं जिनको हमें अवश्य स्मरण करना चाहिये तथा उनके परिवार वालों को सम्मानसूचक प्रमाण पत्र इस तरह से दिया जाय इस पार सरकार विचार कर सकती है किन्तु राजनीतिक पीड़ितों की सीमा में उनको नहीं लाया जा सकता है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज भी राजनैतिक पीड़ितों के लिये जो सरकार ने प्रयास किया उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं। उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमें उसको एक धन संग्रह का आधार नहीं बनाना है, लेकिन जीवनयापन के लिये हमें उनको सुविधा प्रदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम जी सहाय]

करना चाहिये । बहुत से मित्रों ने कहा कि उन लड़कों के पिता हैं तो उनको क्यों न दें । तो फिर उन लड़कों के यदि पिता नहीं है तो उनके पुत्रों को अवश्य मिलना चाहिये जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें । फिर उसके बाद उनके लड़कों का प्रश्न उत्पन्न होगा । तो इस तरह से यह तालमेल बैठता नहीं है । आज हम इस दृष्टि से कह सकते हैं कि हम किसी न किसी सरकारी अधिकारी की कृपा पर रह जाते हैं । जो सच्चाई का पालन करते हैं वह पाते नहीं हैं । जो पाने लायक हैं वह पाते नहीं हैं । जो किसी योग्य नहीं है उसको सहायता मिल जाती है । तो सरकारी अधिकारियों पर निर्भर नहीं होना चाहिये बल्कि ऐसी आपकी कोई एजेन्सी होनी चाहिये जो सब बातों को देखकर फैसला करे या कोई ऐसा प्रमाण-पत्र होना चाहिये जिस पर छानबीन होकर यह सहायता दिये जाने का निर्णय हो ।

एक जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि "सो काल्ड पोलिटिकल सफरर" । (so called political sufferer) वह एक मंत्री के कुछ संबंधी थे और जेल में भी काफी समय तक रहे थे। उन्होंने कहा था कि तथाकथित राजनैतिक पीड़ित तो बहुत हृष्ट पुष्ट आदमी हैं। उन्होंने एक प्रकार से खराब भाषा का प्रयोग किया था । इस तरह से आप ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनके मन में राजनैतिक आन्दोलन का दर्द नहीं है, कोई जोश नहीं है । इससे राजनैतिक पीड़ितों में बड़ा दर्द होता है । उनको अवश्य मिलना चाहिये । यह विभाग की असावधानी है । उसको समझना चाहिये । इस तरह से इस बात के लिये हमारा यह निवेदन है कि हम इस प्रस्ताव की आज के समय में इस भावना से कदर कर सकते हैं लेकिन जो वास्तविक कठिनाई है उसको सामने रखकर इस पर हमें विचार करना चाहिये । गान्धी जी कहा करते थे कि यदि चोर आ जाये तो दरवाजा खोल देना चाहिये । यदि चोर आयेगा भी तो उसकी चोरी की वृत्ति समाप्त हो जायगी परन्तु फिर भी साबरमती आश्रम में लोग २ घंटे लाठी लेकर पहरा दिया करते थे । चोरी न हो आज यहां भविष्य के लिये परम्परा हम स्थापित करने जा रहे हैं तो व्यावहारिक रूप से इसको देखें । इसलिये मैं देखता हूं कि बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिसके कारण इस प्रस्ताव को हम कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं । यदि कार्यान्वित करेंगे तो फिर उत्तरोत्तर कठिनाई आयेगी । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव को हमें अब अस्वीकार कर देना चाहिये ।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने इस संकल्प के बारे में कुछ नहीं कहा है । यदि वे अपनी बात कह लेते तो उससे मुझे प्रकाश मिलता और काफी आसानी हो जाती ।

श्री अध्यक्ष---जब कोई उठा ही नहीं तो मैं क्या करूं । मंत्री जी तो बैठे हैं, अगर वे बोलना नहीं चाहते तो क्या किया जाय । नियम यह है कि वे आपके उत्तर देने के बाद भी बोल सकते हैं ।

श्री नारायणदास पासी---श्रीमन्, मैं उन सारे माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे संकल्प का समर्थन किया है और सन् १८५७ से १९४२ तक के सभी आन्दोलनकारियों को सुविधायें देने, सम्मानित करने और प्रकाशन की बात कही है । अपने संशोधनों द्वारा मेरे प्रस्ताव को और महत्वपूर्ण बना दिया है कि १८५७ में जिन लोगों की संपत्ति जब्त हुई थी उसे वापस किया जाय और हर जिले में उस के लिये जांच पड़ताल कराई जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करते हुए बतला चुका हूं कि स्वतंत्रता संग्राम दो हुए हैं---एक १८५७ में और दूसरा १९४२ में । ८ अगस्त, १९४२ में जिस प्रकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूज्य बापू की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, ठीक उसी के अनुरूप १८५७ में सारे हिन्दू मुसलमान नेताओं ने मिल कर निश्चय किया था कि यह अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ जायं । क्या १८५७ का गदर केवल गदर मात्र था और वह फेल हुआ ? मेरी समझ

में नहीं आता कि वह गदर फेल कैसे हुआ ? ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय हिन्दुस्तान पर राज्य कर रही थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट नहीं और उस कम्पनी की हुकूमत के खिलाफ १८५७ के सैनानियों ने बगावत की थी और आप जानते हैं कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गयी। १९ वीं सदी में ही विक्टोरिया का एलान मौजूद है जिसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म की जाती है और जो लोग बागी हैं, भागे हुये हैं, वे लौट आयें, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

हम अपने उन सेनानियों को कैसे भुला सकते हैं। नाना धून्धूपन्त, नाना साहब, राणा बेनीमाधव, राजादेवीबख्श सिंह, बेगम हजरतमहल को कैसे भुला सकते हैं जिन्होंने ऐलान होने के बाद भी तलवारें कमर की म्यान में नहीं वापस कीं और नैपाल में जाकर मरखप जाना पसन्द किया। राणा बेनीमाधव के साथ मेरे नाना के पिता थे जिन्होंने एक बार अकेले राणा को रायबरेली जेल से मुक्त किया था जिनके माधोपुर में आज भी वंशज रहते हैं। यह केवल राजाओं की बात नहीं थी। ब्रिटेन में १८१५ में टोरी दल राज्य कर रहा था। उस समय कार्न ला पास होने पर मजदूरों और किसानों ने, जिनको कोई हक नहीं मिला, क्रान्ति की और उनके साथ ज्यादती की गई। वहां अनाज नहीं पहुंचने दिया गया ताकि वे भूखों मर जांय। हजारों को ब्रिटेन व आयरलैंड में निर्वासित किया गया और बहुत से उसमें से अमरीका चले गये और जब वापस आकर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया तब उनको अधिकार दिया गया। इस तरह से आप देखें श्रीमन्, कि जो हालत १९ वीं शताब्दी में ब्रिटेन की थी, वही हालत भारत की भी थी।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ मई, १९६१।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३८ पर)

टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army) के सम्बन्ध में जारी किये गये मुख्य आदेशों का खुलासा

टेरीटोरियल आर्मी (Territorial Army) में दो प्रकार के यूनिट हैं--शहरी और प्रांतीय (Urban and Provincial) प्रांतीय यूनिटों में परिक्षेत्रीय (जोनल) आधार पर भरती की जाती है लेकिन शहरी यूनिटों के लिये केवल ऐसे ही व्यक्तियों को भरती किया जाता है जो यूनिट वाले शहर के या उसके आस-पास के निवासी होते हैं। इन दोनों यूनिटों में कोई अन्तर नहीं होता है केवल इनके प्रशिक्षण के तरीकों में अन्तर होता है।

प्रशिक्षण (Training)

२--आदेशिक सेना में निम्नलिखित प्रशिक्षण (training) दिया जाता है।

(क) रंगरूट प्रशिक्षण तथा वार्षिक प्रशिक्षण जो कानून के अनुसार अनिवार्य है।

(ख) आदेशिक सेना तथा नियमित सेना की यूनिटों और नियमित सैनिक स्कूलों तथा कालेजों की शिक्षण पाठचर्या से संबद्ध करके स्वैच्छिक प्रशिक्षण (voluntary training)।

रंगरूट प्रशिक्षण

प्रांतीय यूनिट	३० दिन
शहरी यूनिट	पहले साल ३२ दिन तक ड्रिल जो कि सायंकाल में और सप्ताह के अन्त में तथा छुट्टियों में कराई जाती है और जिसमें कम से कम चार दिन तक का वार्षिक कैम्प भी सम्मिलित है। कैम्प में जो समय लगता है उसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में विशेष आकस्मिक अवकाश (special casual leave) माना जाता है।

वार्षिक प्रशिक्षण

३--प्रत्येक व्यक्ति को जिसने रंगरूट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या जो उससे मुक्त किया गया हो, वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो इस प्रकार होगा :

(क) प्रांतीय यूनिट प्रतिवर्ष दो कैलेंडर महीनों तक।

(ख) शहरी यूनिट प्रतिवर्ष कम से कम ३० दिन तक और अधिक से अधिक ६० दिन ड्रिल जो काम के घंटों के बाद सायंकाल में, सप्ताह के अन्त में तथा छुट्टियों में कराई जाती है जिसमें ४ से लेकर १४ दिन तक का वार्षिक कैम्प भी सम्मिलित है। कैम्प में जो समय लगता है उसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में विशेष आकस्मिक अवकाश माना जाता है।

टिप्पणी--इस प्रयोजन के लिये ४ घंटे की ड्रिल एक पूरा दिन माना जाता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये पात्रता (Eligibility)

४--इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को कुछ सामान्य अनुदेशों के अनुसार, प्रादेशिक सेना के शहरी यूनिटों में सम्मिलित होने की अनुमति है, उदाहरण के लिये, केवल ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विशेष महत्व के किसी मूल भूत पद पर आसीन हों, सामान्यतया सभी कर्मचारियों को अनुमति दे दी जाती है । प्रांतीय यूनिटों में प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात् तदर्थ आधार पर भी भरती करने की अनुमति दी जाती है।

वेतन तथा भत्ते

५--चूंकि शहरी यूनिटों में ४ से लेकर १४ दिन तक के वार्षिक कैम्प की अवधि को छोड़कर, जिसे विशेष आकस्मिक अवकाश माना जाता है, रंगरूट और वार्षिक प्रशिक्षण कार्यालय समय के बाद दिया जाता है, इसलिये ऐसे प्रशिक्षण में व्यतीत किये गये समय के लिये संबंधित कर्मचारी को सेना में अपने पद की कोटि के अनुसार सैनिक (military) तथा असैनिक (civil) दोनों ही दरों से वेतन पाने का अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रादेशिक सेना में या नियमित (regular) सेना की यूनिटों में या नियमित सैनिक स्कूलों और कालेजों की शिक्षण पाठचर्या से संबद्ध होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है अथवा यदि उसे असैनिक सत्ता (civil power) के समर्थन में अथवा वास्तविक युद्ध के समय में नियमित सेना के समर्थन करने के लिये बुला दिया जाय तो उसका असैनिक कर्त्तव्यों का पालन करना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसे या तो असैनिक वेतन तथा भत्ते दिये जाते हैं अथवा सैनिक वेतन तथा भत्ते दिये जाते हैं, जो भी इनमें से अधिक हों। यदि असैनिक वेतन तथा भत्ते सैनिक वेतन तथा भत्तों से अधिक होते हैं तो उसका सैनिक वेतन प्रतिरक्षा सेना अनुमानों (Defence Services Estimates) से दिया जाता है, और असैनिक वेतन और सैनिक वेतन का जो अन्तर होता है (difference between the civil pay and the miltary pay) वह उस साधारण व्यय शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है जिसके नामे उसका असैनिक वेतन डाला जाना चाहिये। इन परिस्थितियों में सैनिक कर्त्तव्य के लिये बुलाये गये व्यक्तियों के स्थान पर स्थानापन्न पदोन्नतियों के लिये विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत कर दिया गया है।

६--रंगरूट प्रशिक्षण तथा वार्षिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रांतीय यूनिटों की स्थिति में कुछ थोड़ा सा अन्तर है। इन यूनिटों में रंगरूट प्रशिक्षण तथा वार्षिक प्रशिक्षण लगातार ३० दिन तक और दो कैलेंडर महीनों तक दिया जाता है और कार्यालय समय के बाहर नहीं, जैसा कि शहरी यूनिटों की दशा में किया जाता है। जिसके दौरान में संबंधित व्यक्ति अपने असैनिक कर्तव्यों का सम्पादन नहीं करता। इन यूनिटों में भी रंगरूट तथा वार्षिक प्रशिक्षण के समय किसी व्यक्ति को या तो असैनिक वेतन मिलता है या सैनिक वेतन, जो भी इन दोनों में से अधिक हो। सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर जो प्रांतीय यूनिटों में रंगरूट या वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, या शिक्षण पाठचर्या में सम्मिलित हो रहे हों या आपाती स्थितियों (emergencies) में सक्रिय सैन्य सेवा का कार्य कर रहे हों, विभागाध्यक्ष आदि स्थानापन्न पदोन्नति करते हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५३ पर)

अंतरिम जिला परिषद्, आगरा द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये सड़कों को दी गई प्राथमिकता

नई सड़कों का निर्माण—

प्रथम प्राथमिकता

	लम्बाई
१—किरौली कगरौल खेरागढ़	१६ मील
२—इरादतनगर शमशाबाद	६ १/४ ,,
३—शमशाबाद फतेहाबाद	११ ,,
४—फतेहाबाद फीरोजाबाद	११ ,,
५—फतेहपुर सीकरी बिचपुरी लिंक सड़क	१ ,,
६—आगरा जलेसर	१७ १/२ ,,
७—एतमादपुर खंडौली	१३ ,,
८—फतेहपुर सीकरी भरतपुर	६ ,,
९—नगला कमला खेरागढ़	३ १/२ ,,

द्वितीय प्राथमिकता

१०—फीरोजाबाद जलेसर	१४ ३/८ ,,
११—भदरौली पिनहट पपरी नागर	१३ ,,
१२—फीरोजाबाद मतौली	१४ ,,
१३—खदौली सेमरा	२ १/२ ,,
१४—फतेहपुर सीकरी खेरागढ़	१६ ,,

तृतीय प्राथमिकता

१५—बरातना नरकी	४ ,,
१६—परना रोड	४ ,,
१७—एतमादपुर बरहन अनवालखेरा	१२ ,,
१८—बियाना फतेहपुर सीकरी	६ ,,

पुनर्निर्माण—

१—फीरोजाबाद कोटला	९ १/४ ,,
२—सैयां खेरागढ़	७ १/२ ,,
३—बरनौटा पिनहट	५ ,,
४—अछनेरा बिचपुरी	६ १/२ ,,
५—बाह बटेश्वर	४ ,,
६—बिचपुरी आगरा	५ १/४ ,,

आधुनीकरण—

१—आगरा शमशाबाद राजाखेरा	५ ,,
२—आगरा बाह फत्रौराघाट	१६ ,,
३—फरेरा बटेश्वर	१४ १/२ ,,

अ पुरुषोत्तम सखा

मंत्री, जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग परामर्शदात्री समिति एवं सहायक अभियन्ता प्रथम प्रान्तीय खंड, आगरा द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये सड़कों को दी गई प्राथमिकता की सूची

नई सड़कों का निर्माण--

	प्रथम प्राथमिकता	लम्बाई
१--फतेहाबाद शमशाबाद	.. .. ..	११ ,,
२--विक्रमपुर कैजसा	.. .. ..	१२ ,,
३--खैरागढ़ बागारोल	.. .. ..	६ ,,
४--बिचपुरी फतेहपुर सीकरी लिंक रोड (नहर के सहारे)	..	१ ,,
५--फतेहाबाद फिरोजाबाद	.. .. ..	११ ,,
६--शमशाबाद इरादतनगर	.. .. ..	६ १/४ ,,
७-- भदरोली पिनहट	.. .. ..	६ ,,
८-- पिनहट पापरी नगर	.. .. ..	७ ,,
९-- इटा मलपुरा सहारा	.. .. ..	८ ,,
	द्वितीय प्राथमिकता	
१--आगरा जलेसर	.. .. ..	१७ १/२ ,,
२--फतेहपुर सीकरी भरतपुर	.. .. ..	६ ,,
३--एतमादपुर खदौली	.. .. ..	१३ ,,
४--आगरा इरादतनगर	.. .. ..	१३ १/४ ,,
५--फिरोजाबाद जलेसर	.. .. ..	१४ /३/८ ,,
६--फतेहपुर सीकरी खरोगढ़	.. .. ..	१६ ,,
	तृतीय प्राथमिकता	
१--फिरोजाबाद दतावली	.. .. ..	१४ ,,
२--बारतारा नारखी	.. .. ..	४ ,,
३--पारना रोड	.. .. ..	४ ,,

पुनर्निर्माण--

१--फिरोजाबाद कोटला	.. .. ..	९ १/४ ,,
२--सैया खैरागढ़	.. .. ..	७ १/२ ,,
३--घूरनोटा पिनाहट रोड	.. .. ..	५ ,,
४--आगरा अछनेरा बिचपुरी	.. .. ..	६ १/२ ,,
५--बाह बटेश्वर	.. .. ..	४ ,,
६--बिचपुरी आगरा	.. .. ..	५ १/४ ,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५४ पर)

न्यूज एजेंसियों को वर्ष १९६०–६१ में दी गई सहायता का विवरण

न्यूज एजेंसी का नाम	धनराशि	उद्देश्य
(१) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, लिमिटेड	(क) १२०० रु० प्रतिमास की दर से चन्दा । (Subscription)	यह धन टेलीप्रिन्टर मशीन द्वारा अंग्रेजी में समाचार प्राप्त करने के लिये दिया गया।
	(ख) ३७५ रु० की सहायता	यह धन नैनीताल में न्यूज बुलेटिन भेजने के लिये दिया गया।
(२) इंडिया न्यूज एन्ड फीचर्स एलायन्स, नई दिल्ली	१०० रु० प्रति मास की सहायता, अगस्त, १९६० से जनवरी, १९६१ तक और फरवरी व मार्च, १९६१ में ३०० रु० प्रति मास की दर से चन्दा (Subscription)	यह धन न्यूज व फीचर सर्विस के लिये दिया गया। फरवरी, १९६१ से समाचारों की तीन प्रतियां खरीदने के कारण सहायता की रकम बढ़ा दी गयी।
(३) नैशनल प्रेस आफ इंडिया, लखनऊ	(क) २,००० रु० का वार्षिक अनुदान (Subsidy) ।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिये दिया गया।
	(ख) १,००० रु० का मासिक अनुदान (Subsidy) ।	विभाग की ओर से हिन्दी समाचार पत्रों को तार द्वारा संवाद भेजने के लिये यह धन दिया गया ।
(४) हिन्दुस्तान समाचार समिति, दिल्ली ।	(क) २,००० रु० का वार्षिक अनुदान (Subsidy) ।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिये दिया गया।
	(ख) ६,००० रु० का अतिरिक्त वार्षिक अनुदान (Subsidy) ।	यह धन हिन्दी टेलीप्रिंटर न्यूज सर्विस तथा विकास कार्यों को विशेष प्रचार के लिये दिया गया ।
(५) इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस, लखनऊ ।	१,२०० रु० का वार्षिक अनुदान । (Subsidy) ।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिये दिया गया ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७५९ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६१) के ६ ठवें बुधवार के लिये निर्धारित श्री छेदीलाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६–२७ के उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
२६—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में भीरा पलिया स्टेशनों के बीच जो शारदा नदी का पुल चौड़ा करके बस, ट्रक, मोटरों के निकालने का बनाया जाने वाला है उसका बनाना कब शुरू किया जायगा और कितने वर्षों में बनकर तैयार होगा ?	२६—इस रेल के पुल पर सड़क (road deking) बनाने का काम तथा उसका पूरा करना भारत सरकार से संबंधित है।
२७—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस पुल को चौड़ा करने में कितना रुपया किस मद में खर्च होने का अनुमान है ?	२७—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

गिरधारीलाल

मंत्री,

सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सूचना

	रु०	
१—रोड डेकिंग स्थापित करने पर व्यय	५,०५,७५१	(अनावर्तक)
२—रोड डेकिंग के रख-रखाव एवं कार्य संचालन पर व्यय	२७,९०७	(आवर्तक)
३—स्टाफ क्वार्टरों के रख-रखाव पर व्यय	२,५२६	(आवर्तक)
४—रेलवे पुल के रख-रखाव पर व्यय का एक भाग जो राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।	३६,७५७	(आवर्तक)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—८१ एल० ए०—१९६१—८४५।